मंगलवार,
३ मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

मंगलवार, ३ मार्च, १९५३

सदन की बैठक २ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आयात निर्यात की विदेशी कम्पनियां

*४३७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में आयात तथा निर्यात करने वाली विदेशी कम्मनियों की संख्या ; और

(ख) क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना है कि इन कम्पनियों में ऊंची नौकरियों में से कितने प्रतिशत पर भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं, और यदि हां, तो क्या उनके काम करने की स्थितियां तथा शर्तें वही हैं जिन पर इन कम्पनियों ने अपने देशों के नागरिकों को नौकर रखा हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यह सूचना नहीं मिलती ।

(ख) हमारी ३१ जुलाई, १९५२ की अधिसूचना के उत्तर में जो आंकड़े मिले हैं उन्हें जोड़ा जा रहा है, । मैं यह कहना चाहता हूं कि हम—मेरा विश्वास है कि आज—यह सूचना प्रकाशित कर देंगे ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या विदेशी कम्पनियों में ऊंची नौकरियों पर भारतीयों के रखे जाने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई आधार निश्चित किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य यह पूछते हैं "क्या कोई अधिकृत निदेश दिया गया है ?" तो उस का उत्तर है "नहीं" ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार विदेशी कम्पनियों की कोई सूची नहीं रखती ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस सम्बन्ध में एक कठिनाई है । १९४८ में रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया ने एक पड़ताल की थी और सूची तैयार करने का अगला प्रयत्न ३१ जुलाई को जारी की गई अधिसूचना द्वारा किया गया । सरकार इस बात को समझती है कि न केवल विदेशी कम्मनियों बल्कि सारे ऐसे मामलों के सम्बन्ध में प्राप्य सामान्य सूचना अपूर्ण है । यही कारण है कि हम ने सदन में आंकड़े संग्रह विधेयक रखा है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार का विचार है कि भविष्य में उपरोक्त नौकरियों के लिये कोई आधार निश्चित किया जाय ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार जो भी आधार निश्चित करेगी अनौपचारिक होगा । मैं पहले भी इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । जब मुझे मेरे माननीय मित्र श्री गाडगिल ने पूछा था कि सरकार कोई कानून बनाने का विचार रखती है तो मैं ने कहा था कि नहीं ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है कि विदेशी कम्पनियों में वतन तथा अन्य पारिश्रमिकों के सम्बन्ध में योरोपियन और भारतीय कर्मचारियों के बीच भेदभाव बरता जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है । सरकार को कुछ अभ्यावेदन मिले हैं । स्वाभाविक ही है कि ये उन लोगों ने किये हैं जो अपने हितों को आगे बढ़ाना चाहते हैं : यह इस लिये किया जाता है कि यह आम लोगों का प्रश्न बन जाय । मेरा विचार है कि समाचार पत्र कुछ संघों के स्मरण-पत्रों का प्रचार कर रहे हैं । मैं पहले इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हू ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार को मालूम है कि समाचार पत्रों में एक स्मरण पत्र प्रकाशित हुआ था जिस में भारतीय कर्मचारियों ने कहा था कि कम्पनियों के विभागों के भारतीय अध्यक्षों की अवहेलना कर के इंगलैंड से नये कर्मचारी मंगाये जा रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने वह देखा है । मेरा विचार है कि सारे मामलों को देखा जाय तो यह बात सिद्ध नहीं होंगी । सम्भव है कि किसी व्यक्तिगत मामले में यह ठीक हो ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार के लिये ऐसी कम्पनियों की सूची बताना सम्भव नहीं है जिन्हें अपने आयात के लिये अनुज्ञप्तियां लेनी पड़ती हों ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कोई जम कर बैठ जाय और सूचना इकट्ठी करने लगे तो सम्भव हो सकता है । जब यह आंकड़े संग्रह विधेयक क़ानून बन जायगा तो हमें किसी प्रकार की किसी भी सूचना, जो कि माननीय सदस्य चाहते हों, के लिये कहा जा सकेगा ।

भारत के पड़ौसी देशों के साथ संधियां और अभिसमय

*४३८. **श्री ए० सी० गुहा :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने १८५८ के बाद, स्वतन्त्र रूप से या ब्रिटेन की सरकार की एजन्ट के रूप में पूर्वी तुर्किस्तान, भूटान, स्यम्स, ईरान और अरब सामन्त-राज्यों के सहित अपने पड़ौसी देशों के साथ कई सन्धियों तथा अभिसमयों पर हस्ताक्षर किये थे ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सदन पटल पर उन देशों की सूची रखने का विचार रखती है जिन की ओर भाग (क) में संकेत किया गया है ?

(ग) इस समय भारत की उन सन्धियों, अभिसमयों और क्षेत्रों के सम्बन्ध में, क्या स्थिति है ?

(घ) क्या इन संधियों और अभिसमयों को रद्द कर दिया गया है, उन की कालावधि समाप्त होने को है या प्रस्तुत वस्तुस्थिति के अनुसार उन का पुनरीक्षण किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (घ). जी हां। इस समय में भारत सरकार ने पड़ौसी देशों के साथ बहुत सी सन्धियां तथा अभिसमय किये हैं। इन में से बहुत सी सन्धियां व्यापार, वाणिज्य तथा नौचालन और डाक के प्रबन्ध जैसे चिट्ठियां, पार्सल, बीमा की हुई बस्तुएं, मनी आर्डर, वी० पी० और सी० ओ० डी० सेवाओं के सम्बन्ध में हैं। कुछ अपराधियों को सौंपने या अपराध करने वालों को एक दूसरे के देश में भेजने के सम्बन्ध में थीं। कुछ सन्धियां वायु यातायात के सम्बन्ध में हैं।

आज़ादी मिलने के बाद से पड़ौसी देशों जैसे अफ़गानिस्तान, भूटान, बर्मा, ईरान, इराक़, नेपाल, सिक्किम, सीरिया और टर्की के साथ कई नई सन्धियां की गई हैं। पाकिस्तान के साथ कई विषयों के सम्बन्ध में कई क़रार किये गये हैं।

किसी सन्धि का रद्द नहीं किया गया परन्तु जहां नई सन्धियां की गई हैं, पुरानी सन्धियां समाप्त हो गई हैं। पुरानी सन्धियों में से कई में, विशेषतया उन में जिन का सम्बन्ध डाक तथा वैसे ही मामलों से है, समय समय पर जारी की गई आज्ञाओं के अधीन रूपभेद कर के उन्हें प्रस्तुत स्थितियों के अनुकूल बनाया गया है।

मुख्य सन्धियों तथा अभिसमयों की सूची साथ दी हुई है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १]** इस में डाक प्रबन्ध सम्बन्धी तथा वायु यातायात सम्बन्धी सन्धियां शामिल नहीं हैं।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह सच है कि कुछ पुरानी सन्धियां भारत की रक्षा सम्बन्धी मामलों के बारे में थीं, और यदि हां, तो उन सन्धियों की स्थिति क्या है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किस देश के साथ ?

श्री ए० सी० गुहा : तिब्बत या नेपाल या अफ़गानिस्तान, ईरान या मध्य पूर्व के किसी देश के साथ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : निम्नलिखित देशों के साथ हमारी नई सन्धियां हुई हैं: नेपाल, सिक्किम, भूटान, टर्की, सीरिया, इराक़, बर्मा, ईरान और अफ़गानिस्तान। इस लिये इन देशों के साथ जो भी पुरानी सन्धियां थीं वह समाप्त हो गईं। नई सन्धियां स्थिति के अनुकूल हैं।

श्री ए० सी० गुहा : तिब्बत के साथ सन्धियों और अभिसमयों की क्या स्थिति है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान के सम्बन्ध में मेरे विचार में कई सन्धियां हैं। मेरा विचार है कि ये सन्धियां १९वीं शताब्दी के मध्य से होनी प्रारम्भ हुईं और ये वाणिज्यिक दूतों के सम्बन्ध में हैं। स्पष्ट है कि इन में से कुछ सन्धियों की कालावधि समाप्त हो चुकी है। बाकी अन्य रूपों में प्रचलित हैं, अर्थात् जहां तक वे आजकल लागू होती हैं। उन में से कुछ बदली हुई परिस्थितियों के कारण लागू नहीं हैं।

सेठ गोविन्द दास : क्या ऐसे भी अभी कुछ देश हैं जिन से इस तरह के सुलहनामों की चर्चायें चल रही हैं और अगर हैं तो कितने देश हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, एक तो है। मैं यकायक सब का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन एक तो मसकत ही है, हालांकि वह कोई बड़ा मुल्क नहीं है। इस की ट्रीटी सन् १९५१ में खत्म हो गई थी और इस वक्त उस से बातचीत चल रही है।

श्री ए० सी० गुहा : तिब्बत में बदली हुई परिस्थिति को देखते हुए क्या उन सन्धियों तथा अभिसमयों का पुनरीक्षण करने की

कोई प्रस्थापना थी या कि उन्हें अपने आप ही समाप्त होने दिया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जैसा कि मैं ने कहा उन में से कुछ का काल समाप्त हो गया है ; वे स्थिति के बिल्कुल ही अनुकूल नहीं हैं । कुछ का काल पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है परन्तु हम यह समझ सकते हैं कि वे निलम्बित दशा में हैं । कुछ बातचीत हुई है, सन्धि का पुनरीक्षण करने की उतनी नहीं जितनी कि नये प्रबन्ध करने की । कुछ पुराने सम्बन्ध चल रहे हैं और सम्भवतः उचित समय पर उन्हें विधिवत् रूप दे दिया जायगा ।

श्री जी० पी० सिन्हा: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि तिब्बत के साथ अलग सन्धि सम्भव है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं, श्रीमान् । यह तो चीन की जन सरकार के साथ सन्धि होगी ।

डी० डी० टी० कारखाना, दिल्ली

*४३९. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में एक डी० डी० टी० कारखाना खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां तो इस के बनाने का काम कब हाथ में लिये जाने का विचार है ; और

(ग) यह कारखाना बनाने पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) जी हां, जैसा कि मैं माननीय सदस्य के ३० मई, १९५२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर में पहले ही बता चुका हूं ।

(ख) बनाने का काम जल्दी ही शुरू होने की आशा है और यह १९५३ के अन्त से पहले समाप्त हो जाना चाहिये :

(ग) लगभग ४० लाख जिस में से भारत सरकार भूमि और भवनों, सामान, उसे लगाने के सम्बन्ध में २२ लाख ५० हजार रुपया देगी । बाक़ी का ख़र्च संयुक्त राष्ट्र संघ बाल सहायता कोष देगा जो कि बाहर से मशीनें तथा सामान मंगा कर देगा । विश्व स्वास्थ्य संस्था टेक्नीकल कारीगर देगी जिस से कि मशीनें लगाई जा सकें और चालू की जा सकें ।

डा० राम सुभग सिंह : इस कारखाने में कितना डी० डी० टी० तैयार हो सकता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं ठीक ठीक आंकड़े तो नहीं बता सकता । मेरा विचार है कि इस में प्रति वर्ष ७५० टन डी० डी० टी० तैयार हो सकेगा ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि बाहर से मंगाये गये डी० डी० टी० की तुलना में, यह कारखाने किस भाव पर यह डी० डी० टी० दे सकेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : मोटा अनुमान लगाया गया है परन्तु यह तो स्वाभाविक है कि वास्तविक लागत उस समय की परिस्थितियों के अनुसार लगाई जायगी जब कि यह कारखाना चालू हो जायेगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह कारखाना भारत की आवश्यकताओं को कहां तक पूरी करेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : देश को आवश्यकता बहुत अधिक है और इस कारखाने में तैयार हुए माल से देश की जरूरत का कुछ ही भाग पूरा होगा । भारत सरकार इस बात पर

विचार कर रही है कि और मशीनें लगा कर इस कारख़ाने को अधिक माल तैयार करने के योग्य बनाया जाय ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : देश की वास्तविक आवश्यकता कितनी है और यह उस का कितना प्रतिशत भाग पूरा करेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह तो प्रति वर्ष बदलती रहती है । यह तो मलेरिया के प्रकोप पर निर्भर है, जिस के डी० डी० टी० द्वारा रोके जाने की आशा है । मैं ठीक ठीक मात्रा तो नहीं बता सकता । मैं कोई मात्रा बता भी दूं तो वह कल्पनात्मक होगी ।

भारत पाकिस्तान व्यापार क़रार

*४४२. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत और पाकिस्तान के चालू व्यापार क़रार की शर्तें कहां तक पूरी की गई हैं ; और

(ख) दोनों देशों के बीच व्यापार के लेन देन की स्थिति क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) प्रस्तुत क़रार ८ अगस्त, १९५२ को लागू हुआ था और आंकड़े १५ जनवरी, १९५३ तक के ही उपलब्ध हैं । इस सामग्री के आधार पर इस बात का ठीक ठीक पता नहीं लगाया जा सकता कि इस पर कहां तक कार्य हुआ है । परन्तु एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है जिसमें ८ अगस्त, १९५२ से १५ जनवरी, १९५३ तक के व्यापार के आंकड़े दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २]**

(ख) १५ जनवरी, १९५३ तक हम ने जितना माल पाकिस्तान को भेजा था उस से लगभग १ करोड़ ७१ लाख रुपये अधिक मूल्य का सामान वहां से मंगाया था ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या पाकिस्तान के साथ पुनरीक्षित व्यापार करने की प्रस्थापना है, और यदि हां, तो उस की सम्भाव्य शर्तें क्या होंगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य जानते हैं कि इस व्यापार करार की कुछ अवधि और बाक़ी है । भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच बातचीत चल रही है जिस से कि व्यापार क़रार का पुनरीक्षण किया जा सके, और इस का क्षेत्र विस्तृत हो सके । बातचीत अभी प्रारम्भिक ही है ।

श्री ए० सी० गुहा : सूची से मुझे मालूम हुआ है कि पाकिस्तान से मंगाये जाने वाली अनुसूचित वस्तुओं में पटसन था तो नहीं, परन्तु सब से बड़ी राशि कच्चे पटसन के लिये है । यह कैसे मंगाया गया, कोई लाइसेंस प्रणाली थी या कि यह खुले आम लाइसेंस में है ? इस का विनियमन कैसे किया गया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस बात के होते हुए भी कि क़रार में विशेष रूप से कुछ वस्तुओं के आयात या निर्यात के लिये होने की बात कही गई है, बहुत सी वस्तुओं क़रार में नहीं है और पटसन उन में से एक है । पाकिस्तान से पटसन के आयात के लाइसेंस, उसे प्रयोग करने वाले की आवश्यकता के आधार पर दिये जाते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : लाइसेंस कौन देता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत सरकार ही तो देती है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या ये आयात नियंत्रण कार्यालय द्वारा दिये जाते हैं या किसी और एजेंसी द्वारा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आयात नियंत्रण कार्यालय के अतिरिक्त लाइसेंस देने वाली और कोई एजेंसी नहीं है ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्टरी, लिमिटेड

*४४३. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार ने सरकारी मकान निर्माण करवाने पर उस के बनाए जाने से ले कर "हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड" नाम की भारतीय-स्वीडिश फ़र्म को सौंपे जाने तक उस में कुल कितना रुपया, समय समय पर होने वाले खर्च सहित, लगाया था ;

(ख) विनियोग तथा अन्य खर्च सहित सारे धन और उपरोक्त लिमिटेड कम्पनी को दिये गये परिसम्पतों के मूल्य का अन्तर;

(ग) क्या इस अन्तर को हानि समझ कर भुला दिया गया है ;

(घ) कम्पनी में लगाये गये रुपये में भारतीय-स्वीडिश फर्म और भारत सरकार का अनुपात ;

(ङ) क्या इस कम्पनी द्वारा तैयार किये गये मकान मुख्यतः सरकार के ही प्रयोग के लिये होंगे या नहीं ;

(च) क्या इस कम्पनी ने मकान तैयार करने का काम शुरू कर दिया है ; और

(छ) क्या सरकार का सदन पटल पर एक विवरण रखने का विचार है जिस में इस कम्पनी के उद्देश्य दिये हुए हों ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सरकारी मकान निर्माण करवाने पर कुल खर्च लगभग १ करोड़ ६ लाख रुपये है । यह कारखाना भारतीय-स्वीडिश कम्पनी को नहीं दिया गया बल्कि २७ जनवरी, १९५३ को दिल्ली में बनाई गई व्यक्तिगत लिमिटेड कम्पनी को पट्टे पर दिया गया है । इस कम्पनी के हिस्सेदार हैं--भारत सरकार और मैसर्ज़ बसाखा सिंह वाल्लेनाबर्ग की भारतीय स्वीडिश फ़र्म ।

(ख) तथा (ग) कम्पनी को पट्टे पर दिये गये ब्लाक का घटित मूल्य ३६·६ लाख रुपये है । बहुत से फालतू सामान, औज़ार, बना तथा बिना तैयार हुआ माल, जो कि रसद तथा विसर्जन के निदेशक के कार्यालय द्वारा विसर्जित किया जा रहा है, का मूल्य लगभग ५० लाख रुपये है । कुछ फुटकर माल भी नई कम्पनी को बेचा जा रहा है और उस से प्राप्त मूल्य इस कम्पनी में सरकार की पूंजी के रूप में रखी जा रही है । विसर्जन का काम पूरा हो जाने के बाद ही हानि को भुला देने का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

(घ) यह समझा जाता है कि प्रश्न यह है कि भारत सरकार और भारतीय स्वीडिश कम्पनी के कितने हिस्से हैं । कम्पनी की प्रस्तुत अंश पूंजी एक लाख रुपये है जिस में से आधी आधी दोनों हिस्सेदारों की है । भारतीय-स्वीडिश कम्पनी, इस कम्पनी धीरे धीरे १७ लाख रुपये की मशीनें उधार देगी और अधिकाधिक १० लाख रुपये तक की कार्य-पूंजी दे रही है जिस पर वह ब्याज नहीं लेगी ।

(ङ) इस कारखाने द्वारा तैयार की गई वस्तुएं लोगों और सरकारी विभागों दोनों को मिल सकेंगी ।

(च) आशा है कि कम्पनी जल्दी ही मकान बनाने का काम शुरू कर देगी ।

(छ) कम्पनी के उद्देश्य, उस के मैमो-रेण्डम आफ़ असोसियेशन में ब्यौरेवार दिये हुए हैं, जो सदन के पुस्तकालय में मिल सकता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी क्या मैं जान सकता हूं कि इस कम्पनी से कोई प्रतिभूति ली गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : कैसी प्रतिभूति ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : यह एक कम्पनी को पट्टे पर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई प्रतिभूति ली गई है ।

श्री के० सी० रेड्डी : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को अच्छी तरह समझा नहीं हूं । कम्पनी के प्रबन्ध पर हमारा बराबर का नियंत्रण होगा और मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि प्रतिभूति की आवश्यकता क्यों थी ।

श्री दाभी : कम्पनी को यह कारखाना पट्टे पर देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह बड़ी लम्बी कहानी है परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि कारखाने में जितना माल तैयार होने की आशा थी उस से बहुत कम तैयार हुआ क्योंकि एक तो टेक्नीकल कठिनाइयां थीं और दूसरे इसे चलाने की लागत पहले अनुमानों से अधिक थी । इन कारणों से, जिस ढंग से यह कारखाने को चलाने का शुरू में विचार था, उसे छोड़ दिया गया । अब चेष्टा की जा रही है कि कारखाने में नये उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार, जिस के लिये वह कम्पनी विशेषतया अच्छी है जिस के साथ हम ने क़रार किया है, कारखाने में प्राप्य सुविधाओं को काम में लाया जा सके ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : पट्टे की कालावधि कितनी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : संविदा जो है ।

श्री के० सी० रेड्डी : क़रार हो गया है । काश कि मैं यहां इस प्रश्न का प्रत्यक्ष ही उत्तर दे सकता । मेरा विचार है कि यह कालावधि दस वर्ष है, परन्तु मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यह कितनी राशि के लिये पट्टे पर दी गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : प्रारम्भ में इस का पुस्त-मूल्य ५५ लाख रुपये था परन्तु वह घटकर लगभग ३५ लाख रुपये रह गया है । यह चालू आय-कर नियमों के आधार पर आकलन कर के प्रति वर्ष पौने दो लाख रुपये के हिसाब से पट्टे पर दिया गया है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस कम्पनी को इस संयुक्त कम्पनी का प्रबन्ध करने के लिये कोई विशेष पारिश्रमिक या कमीशन दिया जा रहा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : कम्पनी को कोई कमीशन देने का विचार नहीं है । कम्पनी के हिस्से आधे सरकार के पास हैं और आधे उस कम्पनी के पास । भारतीय स्वीडिश कम्पनी के पास इस कम्पनी के जो हिस्से हैं व 'ए' क्लास के हैं और भारत सरकार के पास 'बी' क्लास के । 'ए' क्लास के हिस्सों पर लाभ का ६० प्रतिशत भाग मिलेगा और 'बी' क्लास के हिस्सों पर ४० प्रतिशत । अन्यथा कोई विशेष कमीशन नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : इन 'ए' क्लास और 'बी' क्लास हिस्सों का क्या मतलब है ?

उपाध्यक्ष महोदय : लाभ का ६० और ४० प्रतिशत ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : माननीय मंत्री ने कहा कि कारखाना पट्टे पर दिया हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि इस के हिस्से सरकार के पास हैं। यदि यह पट्टे पर दिया हुआ है तो पट्टे पर देने वाला व्यक्ति उसी पट्टे को लेने वाला नहीं हो सकता । यदि सरकार इस कम्पनी में अभी तक हिस्सेदार है तो इसे पट्टे पर देने का

प्रश्न ही नहीं उठता । मैं यह एक और प्रश्न के लिये कह रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न की भूमिका इतनी लम्बी है तो.... .

श्री **श्यामनन्दन सहाय** : कई बार यह आवश्यक होती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कम्पनी को जो हिस्से दिये गये हैं उन के लिये कम्पनी ने कुछ रुपया दिया है । इस कम्पनी को कुछ हिस्से दिये गये हैं । सरकार को, इस कम्पनी को दिये गये हिस्सों के लिये कितना रुपया प्राप्त हुआ है ?

श्री के० सी० रेड्डी : माननीय सदस्य को भ्रम हो रहा है । कम्पनी की पूंजी नाम मात्र की अर्थात् केवल एक लाख रुपये है जिस में से ५० हज़ार रुपया भारती-स्वीडिश कम्पनी देगी और ५० हज़ार रुपया हम देंगे । सम्भवत: माननीय सदस्य पट्टे पर दिये गये पूंजी परिसम्पतों, काम चलाने की पूंजी और अन्य बातों की सोच रहे हैं । कम्पनी ने आधे हिस्से खरीद लिये हैं और उन के लिये नक़द रुपया देने को तैयार है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि कम्पनी यह एक लाख रुपया कैसे देगी और क्या हमें पट्टे की शर्तें देखने को मिल सकती हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : शर्तें पुस्तकालय में हैं । अगला प्रश्न ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : यह एक लाख कैसे दिया जायगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कच्चे पटसन के भाव

*४४४. **श्री बी० के० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पटसन के फटका बाज़ार के बन्द होने से देश में कच्चे पटसन के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या पटसन के लाने ले जाने के भाड़े के लिये कोई पुन: समायोजन किया गया है ;

(ग) क्या पटसन के मूल्यों की स्थिति को सुधारने के लिये कोई प्रस्थापित कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या अब तक की गई किन्हीं कार्यवाहियों से कच्चे पटसन के मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). श्रीमान्, मुझे इस प्रश्न का विस्तारपूर्वक उत्तर देने की अनुमति दीजिये । १९ दिसम्बर, १९५२ को मेरे द्वारा एक वक्तव्य दिये जाने के बाद से सरकार कच्चे पटसन के मूल्यों तथा पटसन उद्योग पर गम्भीरतापूर्वक विचार करती रही है । मैं ने उस समय कहा था कि भारतीय पटसन मिल संघ से कहा जा रहा है कि वे बिहार के दूर स्थित क्षेत्रों में पटसन मिल सकता है या नहीं इस बात की पड़ताल करने और पटसन उगाने वालों तथा मिलों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने के लिये एक प्रतिनिधि मण्डल भेजें । उन्हें यह भी कहा गया था कि पहले की अपेक्षा अधिक पटसन खरीदने लगें । मैं ने २० फ़रवरी, १९५३ को श्री एल० एन० मिश्र द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२४ के उत्तर में भारतीय पटसन मिल संघ के प्रतिनिधि मण्डल के दौरे का ब्यौरा बताया था । कच्चा पटसन पहले की अपेक्षा कुछ अधिक खरीदा जाने लगा है जैसा कि इस बात से स्पष्ट है कि मिलों के पास १९ दिसम्बर, १९५२ को १० लाख गांठों की तुलना में १४ फ़रवरी, १९५३ को १२ लाख गांठ कच्चा पटसन था ।

२. जब मैं २९ जनवरी को बिहार गया था तो राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने मुझे बताया कि भारतीय पटसन मिल संघ के प्रतिनिधिमण्डल ने, किसानों द्वारा पहले से ही बेची जा चुकी फ़सल का जो अनुमान लगाया था वह बहुत कुछ ठीक था और इस का अधिकतर भाग कलकत्ता और दूसरे उन केन्द्रों में पहुंच गया है जहां पटसन काम में लाया जाता है । रेलवे मंत्रालय, उत्तरी केन्द्रों में बची हुई फसल को ले जाने की पर्याप्त सुविधायें देने के लिये कार्यवाही कर रहा है । और जांच किये जाने से पता चला है कि बिहार से कलकत्ते तक कच्चे पटसन के भाड़े की दरें डेढ़ रुपया प्रति मन और सवा दो रुपये प्रति मन के बीच हैं ।

३. जहां तक फटका बाज़ार के बन्द होने का सम्बन्ध है, इस का मुख्य प्रभाव यह हुआ है कि विशेषकर पटसन के बने माल के मूल्यों में समय समय पर जो फेर-बदल हुआ करता था, वह कम हो गया है और पटसन के बने माल और कच्चे पटसन के मूल्य, इस बाज़ार के बनने के बाद से अधिक स्थिर हो गये हैं । मूल्य का स्तर अभी तक कम है । इस का मुख्य कारण यह है कि उद्योग को अपना उत्पादन बेचने में विकट कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि स्टाक निर्यात और उत्पादन के आंकड़ों से पता चलता है । १९५२ में पटसन का ९,५२,००० टन माल बना । यह उत्पादन १९५१ की तुलना में ८०,००० टन अधिक था परन्तु १९५२ में हमारा निर्यात पहले की अपेक्षा ३७,३०० टन कम रहा । इस का फल यह हुआ कि वर्ष के अन्त में मिलों के पास १,१५,५०० टन माल जमा हो गया । १४ फ़रवरी, १९५३ को यह मात्रा बढ़ कर १,३१,५०० टन हो गई । पिछले चार महीनों में औसत से हर महीने ४३,००० टन माल बाहर भेजा जाता रहा जब कि पिछले माली साल में यह औसत ६३,००० टन थी । ऐसी बात नहीं कि सरकार को इस रुझान का पता ही न हो, उस ने पिछले सप्ताह पटसन के बोरों पर निर्यात-शुल्क घटा दिया है । आशा है कि इस से पटसन उद्योग तथा इसे उगाने वालों को अपने उत्पादन का अच्छा मूल्य मिल सकेगा ।

४. यह कहने से कि पटसन व्यापार में कुछ ऐसे काम भी चलते हैं जिन से मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है, यह तात्पर्य नहीं कि वास्तव में स्थिति ऐसी है । जैसा कि सदन को मालूम है सरकार का विचार है कि शीघ्र ही एक आयोग नियुक्त करे जो कच्चे पटसन और पटसन के बने सामान के क्रय विक्रय की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में व्यापक जांच करेगा और यह भी देखेगा कि सट्टेबाज़ों का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है । यह आयोग इस सम्बन्ध में सिफ़ारिशें भी करेगा कि पटसन उगाने वाले और उद्योग को अपने उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाने के लिये क्या कार्यवाहियां की जानी चाहियें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आगे से इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जब भी माननीय मंत्री लम्बे वक्तव्य देना चाहें, वे उन की प्रतियां पहले ही या तो बांट दें और या उन्हें सदन पटल पर रख दें ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सदन पटल पर रख दी जायं और अगली बार वे प्रश्न पूछ लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगली बार वे प्रश्न पूछ लें । मैं चाहता हूं कि जितने भी प्रश्न समाप्त हो सकते हों, किये जायें । माननीय सदस्य शिकायत कर रहे हैं कि उन के प्रश्न रुके पड़े हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम किसी और प्रश्न

के सम्बन्ध में इसी मामले पर आधे घंटे की चर्चा करना चाहते थे। मेरा विचार है कि वह मामला आप के पास विचाराधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा ।

श्री बी० के० दास : एक ही प्रश्न है श्रीमान् । समाचार पत्रों में यह समाचार छपा था कि एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। क्या वह उस आयोग से भिन्न है जिस की ओर माननीय मंत्री ने संकेत किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां। दो समितियां हैं । एक समिति खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने बनाई है । यह समिति पटसन के उत्पादन, कैसा पैदा किया जाना चाहिये और किस प्रकार के पटसन को बढ़ावा देना चाहिये—इन बातों के लिये बनाई गई है । दूसरी समिति पटसन तथा पटसन के बने माल के क्रय विक्रय के सम्बन्ध में है ।

श्री ए० सी० गुहा : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की ओर से या वाणिज्य मंत्रालय की ओर से ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : एक तो खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने नियुक्त की है और दूसरी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने ।

श्री पी० जी० सेन : क्या सरकार पटसन के मूल्य बढ़ाने की किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने स्थिति बहुत स्पष्ट रूप से बता दी है । मैं ने जो कुछ कहा है उस को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिये पटसन का मूल्य बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है । जो भी हो, सरकार यदि पटसन का मूल्य बढ़ा भी दे, वह पटसन के बने माल का मूल्य नहीं बढ़ा सकती जो कि पटसन के मूल्य पर आधारित होता है ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले इस वक्तव्य का अध्ययन कर लें और फिर किसी अन्य समय इस पर प्रश्न पूछें ।

श्री सारंगधर दास : मेरा प्रश्न वक्तव्य के सम्बन्ध में नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय पटसन मिल संघ को यह आदेश दिया गया था कि यह मालूम करे कि पटसन का फाल्तू स्टाक केवल बिहार में ही है या उड़ीसा और आसाम में भी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : केवल बिहार में ।

श्री सारंगधर दास : उड़ीसा में क्यों नहीं ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई अनुमान है कि पटसन उगाने वालों के पास कितना पटसन है और गांठें बांधने वालों के पास कितना चला गया है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि ७५ प्रतिशत पटसन, उगाने वालों के हाथ से निकल चुका है । यह सूचना जनवरी के अन्त में प्राप्त हुई थी । अब लगभग एक महीना हो चुका है । मैं पश्चिमी बंगाल के पटसन के सम्बन्ध में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

भारत में फ्रांसीसी बस्तियां

*४४५. **श्री बी० के० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पांडीचेरी की दुःखद घटनाओं

के सम्बन्ध में फ्रांस की सरकार को जो चिट्ठियां भेजी गई थीं उन का कोई आशाजनक उत्तर मिला है ;

(ख) क्या फ्रांसीसी सरकार सम्बद्ध प्रश्नों के शान्तिपूर्ण हल के लिये तैयार है ; और

(ग) क्या पेरिस में हमारे राजदूत द्वारा फ्रांस की सरकार से बातचीत शुरू किये जाने के फलस्वरूप स्थिति में परिवर्तन हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) भारत सरकार को अभी तक सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला है ।

(ख) भारत सरकार को ऐसी आशा है ।

(ग) कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ ।

श्री बी० के० दास : भाग 'क' के उत्तर के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने कहा कि कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन की ओर से कोई उत्तर मिला भी है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारी अन्तिम चिट्ठी १७ दिसम्बर को भेजी गई थी । उसका कोई उत्तर अभी नहीं मिला है ।

श्री ए० वी० टामस : पांडीचेरी के लोगों द्वारा तंग किये जाने पर यदि आस पास के गांवों के लोग पांडीचेरी पर ही अधिकार कर लें तो भारत सरकार का क्या रवैया होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही करने का सुझाव है ।

श्री गोपाल राव : इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार इस मामले को अन्तिम रूप से तै करने के लिये कड़ी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस प्रश्न पर हमारे विचार स्पष्टतया बताये जा चुके हैं । मैं नहीं जानता कि कड़ी कार्यवाही से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है ।

श्री वेंकटारमन् : क्या मैं यह जान सकता हूं कि पांडीचेरी की फ्रांसीसी पुलिस बहुधा बिना अनुमति भारतीय क्षेत्र में आ जाती है और उन लोगों को तंग करती है जो फ्रांसीसी बस्तियों के भारत में मिलाये जाने के पक्ष में है और जिन्होंने भारतीय क्षेत्र में शरण ली है ?

श्री अनिल के० चन्दा : पहले बहुत सी ऐसी घटनायें हो चुकी हैं ।

श्री वेंकटारमन् : क्या २० फ़रवरी को ऐसी किसी घटना का समाचार मिला था ?

श्री अनिल के० चन्दा : २१ फ़रवरी को सीमा पर बड़ी गम्भीर घटना हुई थी । हम ने उस के सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा मांगा है, जो अभी हमें मिला नहीं है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में फ्रांसीसी सरकार का क्या रवैया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह झुक नहीं रही ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हम यह नहीं कह सकते कि फ्रांसीसी सरकार का क्या रवैया होगा । वह पहले कह चुकी है कि इस प्रश्न पर जनमत लिया जाना चाहिये और सदन को याद होगा कि उस के बाद हम ने उसे कहा था कि इन बस्तियों में उस की अपनी कार्यवाहियां हैं कि न्यायपूर्ण ढंग से जनमत नहीं लिया जा सकता । बात यहीं तक बढ़ी है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या अभी तक सीमा पर घटनायें होती हैं ? क्या ऐसी

घटनाओं को रोकने के लिये सीमा पर की गश्ती टुकड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जैसा कि मैं ने कहा, २१ फ़रवरी को सीमा पर बड़ी गम्भीर घटना हो गई थी । लेकिन वैसे कुछ समय से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है । इन क्षेत्रों में हमारी पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि फ्रांसीसी क्षेत्रों से परिवार अभी तक भारत आ रहे हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जनमत संग्रह की तैयारी की जा रही थी तो गुण्डागर्दी की कुछ घटनायें हुई थीं और क्या फ्रांसीसी सरकार द्वारा गुण्डागर्दी के लिये कुछ लोग गिरफ्तार किये गये थे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: माननीय सदस्य उन घटनाओं की बात कर रहे हैं जो दो वर्ष पहले हुई थीं ।

श्री ए० सी० गुहा : जब जनमत संग्रह की तैयारियां की जा रही थीं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: जनमत संग्रह की कोई तैयारियां नहीं की जा रही थीं ।

श्री वेंकटारमन् : क्या सरकार ने सीमा पर होने वाली ऐसी घटनाओं पर प्रतिरोध प्रकट किया है और क्या उन्हें उस का कोई सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्री अनिल के० चन्दा : पहले जो घटनायें हुई हैं उन के सम्बन्ध में हम ने पेरिस म फ्रांसीसी सरकार और पांडीचेरी सरकार से विरोध प्रकट किया है ।

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति : इसका पर्याप्त उत्तर दिया जा चुका है । अगला प्रश्न ।

कोयला लेजाने के लिये माल गाड़ी के डिब्बे

*४४६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री २१ नवम्बर, १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या ५३४ पर उठाये गये अनुपूरक प्रश्न को ध्यान में रख कर यह बतलाने लाने की कृपा करेंगे कि कोयले की खानों से देश की अपनी खपत के लिये कोयला ले जाने के लिये प्रति दिन मालगाड़ी के कितने डिब्बे रखे जाते हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : १९५२ में सारी खानों से ३४७४ डिब्बे प्रतिदिन ।

डा० हरि मोहन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारतीय कोयला खान संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन माननीय मंत्री को मिला है ?

श्री के० सी० रेड्डी : माल गाड़ी के डिब्बे देने के सम्बन्ध में ? विभिन्न संघों, खान संघ, खान संस्था जैसी विभिन्न संस्थाओं से सामान्य परिवहन स्थिति के सम्बन्ध में विभिन्न समयों पर विभिन्न अभ्यावेदन मिल रहे हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : कोयला ले जाने के लिये कितने डिब्बों की मांग की गई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : चालू वर्ष के लिये ?

श्री के० सी० रेड्डी : ४६२२ डिब्बे मांगे गये थे और ३४७४ दिये गये ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि ये डिब्बे दिये जाने पर भी खानों के पास बहुत सा कोयला जमा हो गया

था और क्या यह कोयला जल्दी ही हटा लिया जायगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरा विचार है कि मैं माननीय सदस्य के ऐसे ही प्रश्न का उत्तर पहले भी दे चुका हूं। उस समय मैं ने कहा था कि खान के पास कोयले का स्टाक कम होता जा रहा है।

शोधित टिटानियम और उस की मिश्रित धातुओं का नमूने का प्रारम्भिक प्रयोग

*४४७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य** तथा **उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज़ ने एंजनीयरी तथा वायु-यान-एंजनीयरी में, शोधित टिटानियम और उस की मिश्रित धातुओं का नमूने के प्रारम्भिक प्रयोग के विकास के सम्बन्ध में प्रयत्न किये हैं ;

(ख) क्या कोई मशीन लगाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या परीक्षण किये गये हैं और उन का क्या परिणाम हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) तथा (ग) . कहा जाता है कि राष्ट्रीय धातुशोधन प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग किये जा रहे हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस समय इम्पीरियल कैमीकल इण्डस्ट्रीज़ का कोई परीक्षण सम्बन्धी संयंत्र है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि पिछले वर्ष त्रिवेन्द्रम की भारतीय टिटानियम फ़ैक्ट्री के बन्द हो जाने का क्या कारण था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : क्योंकि इस कारखाने द्वारा तैयारी की जाने वाली वस्तु अर्थात् टिटानियम डायाक्साइड बिकती नहीं थी।

श्री मात्तेन : क्या सरकार, टिटानियम तथा उस के उत्पादनों की तैयारी के लिये एक कारखाना खोलने के सम्बन्ध में अमरीका के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करती रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

पश्चिमी जर्मनी से टेक्नीकल सहायता

*४४८. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी जर्मनी के साथ व्यापार सम्बन्ध फिर से स्थापित होने के बाद से भारतीय उद्योगों के विकास के लिये उस देश से कितनी टेक्नीकल सहायता प्राप्त हुई है ?

(ख) इस समय पश्चिमी जर्मनी कौन सी मुद्रा वाले दल में है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) पश्चिमी जर्मनी के साथ जो व्यापार सम्बन्ध है उस में इस बात की चर्चा नहीं की गई कि कोई विशेष टेक्नीकल सहायता दी जायगी परन्तु सामान्य रूप से यह कहा गया है कि जर्मन अधिकारी इस बात के लिये अपने प्रभाव से काम लेंगे कि जर्मन कम्पनियां, फ़र्में और उद्योगपति भारतीय उद्योगों तथा भारत सरकार को अपने अनुभव से लाभ पहुंचायें। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में कुछ रूप में पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त टेक्नीकल

सहायता का विवरण दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३]**

(ख) सुलभ मुद्रा वाले दल में।

श्री एस० सी० सामन्त : हमें जो विवरण दिया गया है उस में मैं देखता हूं कि दल "बी" में १ नवम्बर, १९५१ से ३१ अक्तूबर, १९५२ तक ९ व्यक्तियों को जर्मन उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये पश्चिमी जर्मनी भेजा गया । क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन लोगों को किन उद्योगों में प्रशिक्षण दिया गया है और क्या वे वापिस आ गये हैं और उन्होंने कोई उद्योग प्रारम्भ कर दिया है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मुझे पूर्व सूचना दीजिये ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण में कहा गया है कि जर्मन विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में अध्ययन करने के लिये २३ व्यक्तियों को भेजा गया । क्या मैं यह जान सकता हूं कि उन्होंने सामान्य शिक्षा के लिये भेजा गया है या किसी टेक्नीकल शिक्षा के लिये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस से तो यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एस० सी० सामन्त : यह विवरण में दिया हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : विवरण में बहुत सी बातें हो सकती हैं । अब से माननीय सदस्य केवल पूछे गये प्रश्नों के सम्बन्ध में ही अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री एस० सी० सामन्त : भाग (ख) के सम्बन्ध में क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या उन देशों के साथ क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव बरता जाता है जो हमारे मुद्राक्षेत्र में ही हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रश्न का मतलब नहीं समझा हूं ।

चीन और रूस के साथ व्यापार क़रार

*४४९. **श्री के० के० बसु** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने चीन की जन सरकार और रूस के साथ लम्बे समय के व्यापार समझौते करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाहियां की हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : भारत सरकार ने चीन की जन सरकार या रूस के साथ लम्बे समय के व्यापार समझौते करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है क्योंकि सरकार का यह विचार है कि क्योंकि उस की व्यापार सम्बन्धी नीति बहुदेशीय और बन्धी हुई नहीं है, व्यापार के सुचारु रूप से होने के लिये विशेष व्यापार समझौतों की आवश्यकता नहीं है । इन देशों के साथ व्यापार समझौते न होने से, सरकार द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुएं, चीन या रूस से, माल के बदले माल के आधार पर, नक़द धन दे कर या सामान्य व्यक्तिगत व्यापार द्वारा, प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं पड़ी है ।

श्री के० के० बसु : क्या यह सच है कि हाल ही में एशिया तथा दूर पूर्व के आर्थिक आयोग के सम्मेलन, में जिस में हमारे प्रतिनिधिमण्डल के नेता माननीय वाणिज्य मंत्री थे, रूस सरकार ने कहा था कि वह हमें माल के बदले माल के आधार पर मूल मशीनें आदि देने को तैयार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं अपने माननीय साथी से पूछूंगा कि यह बात ठीक है अथवा नहीं ।

श्री गोपाल राव: क्या सरकार को पता है कि सरकार द्वारा जापान, चीन और अन्य देशों को तम्बाकू का निर्यात करने की अनुमति न दिये जाने के फलस्वरूप तम्बाकू की बहुत बड़ी मात्रा पड़ी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे खेद है कि इस के लिये मुझे पूर्व सूचना मांगनी पड़ेगी ।

श्री गोपाल राव: क्या माननीय मंत्री को देश के विभिन्न राज्यों के तम्बाकू व्यापारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जी नहीं । मुझे नहीं मिला ।

श्री के० के० बसु: माननीय वाणिज्य मंत्री यहीं हैं । मैं नहीं जानता कि वे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय वाणिज्य मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): कौन सा प्रश्न ? माननीय सदस्य उसे दोहरायें तो मैं उस का उत्तर दे दूंगा ।

श्री के० के० बसु: प्रश्न यह था कि क्या हाल ही में, एशिया तथा दूर पूर्व के आर्थिक आयोग के सम्मेलन में रूस के प्रतिनिधि-मण्डल ने यह प्रस्ताव किया था कि वह हमें माल के बदले माल के आधार पर मूल सामान देने को तैयार हैं, और यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री करमरकर: ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया और उन के लिये इस सम्मेलन में ऐसा प्रस्ताव करना संगत भी नहीं था ।

श्री के० के० बसु: क्या माननीय मंत्री अपने विभाग से पूछेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में भारत के समाचार पत्रों में कोई समाचार छपा था ?

श्री करमरकर: यदि एशिया तथा दूर पूर्व के आर्थिक आयोग के सम्बन्ध में ऐसा कोई समाचार था तो वह ग़लत था ।

किवक का उत्पादन

*४५०. **श्री वी० पी० नायर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने मद्रास में एक भारतीय कम्पनी को पारकर इन्कार्पोरेटिड (अमरीका की स्याही तथा पेन बनाने वाली) के साथ साझे में पूंजी के विनियोग की अनुमति दी है; और

(ख) क्या सरकार का सदन पटल पर इस कम्पनी के निदेशकों की सूची, जो पूंजी के विनियोग के समय थी और बाद में उस सूची में कोई फेरबदल यदि हुई हो, सहित रखने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख) . मैं माननीय सदस्य का ध्यान, १८ नवम्बर, १९५२ को श्री नम्बियार द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४०९ के उत्तर की ओर दिलाता हूं ।

श्री वी० पी० नायर: श्रीमान्, मेरा एक निवेदन है । जब ऐसे उत्तर दिये जाते हैं जिन के सम्बन्ध में हमें तब तक कुछ पता नहीं होता जब तक कि वे पढ़ कर न सुना दिये जायें, हमारे लिये उन की ओर निर्देश करके अनुपूरक प्रश्न पूछना सम्भव नहीं । मैं ने माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछा है और उन्हों ने पहले कभी दिये गये उत्तर की ओर संकेत किया है । अब क्या हम पुस्तकालय में जा कर उस उत्तर को पढ़ कर आयें और फिर अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें ? कम से कम उन्हें उस उत्तर का संक्षेप तो बता देना चाहिये

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: प्रश्न बिलकुल ऐसा ही था ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही था ? इस सत्र में यह प्रश्न पूछा गया और उस का उत्तर दिया गया था या कि पिछले सत्र में ?

श्री चट्टोपाध्याय: वे उसी उत्तर को दोहरा दें तो इस से बड़ी सहायता मिलेगी ।

श्री पुन्नूस: क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह प्रश्न सूची में ही क्यों रखा गया ?

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । मुझे यह कहना पड़ेगा कि प्रथा यह है । जब कोई प्रश्न बहुत पुराना न हो, इस सत्र में या पिछले सत्र में पूछा गया हो, तो उस का उत्तर नहीं दिया जाता । यदि ऐसा कोई परिवर्तन न हुआ हो जिस से कि माननीय मंत्री को भिन्न उत्तर देना पड़े तो बहुधा यह कह दिया जाता है कि अमुक प्रश्न के उत्तर में यह उत्तर दिया जा चुका है । जो माननीय सदस्य नये हैं, यदि वे भूल चुके हों, तो मेरा सुझाव यह है कि जब भी माननीय मंत्री पुराने उत्तरों की ओर संकेत करें जो पहले सत्र या इसी सत्र में दिये जा चुके हों तो वे विवरणों की तरह यह वक्तव्य दे दें कि माननीय सदस्य अमुक प्रश्न की ओर निर्देश करें जिस का उत्तर अमुक दिन दिया गया था । इस से माननीय सदस्यों को सुविधा होगी और अब से यही किया जायगा ।

श्री वी० पी० नायर: श्रीमान्, अभी हमें पता ही नहीं कि वह उत्तर क्या था, तो हम अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: वह तो ठीक है । अब से मैं माननीय सदस्यों को यह परामर्श दूंगा कि वे पिछले सत्र के प्रश्न तथा उनके उत्तरों को पढ़ लिया करें । ऐसी बात नहीं कि यह जिम्मेदारी माननीय मंत्रियों पर ही है कि वे कहते रहें—"अमुक प्रश्न के लिये अमुक दिन के अमुक उत्तर को देखिये ।" वे ही पुराने उत्तरों की ओर क्यों निर्देश करें । माननीय सदस्यों को भी उन की ओर निर्देश करना चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर: यह हमारी ग़लती है कि हम सूचनालय पर निर्भर रहें । मैं एक प्रश्न पूछूं श्रीमान् । ?

क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि भारत में इस नये उद्योग, पारकर इनकार्पोरेटिड का देशीय स्याही उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सचिव समिति ने इस पर विचार किया है और इस उद्योग की अनुमति दी है ।

श्री के० के० बसु: क्या मैं यह जान सकता हूं कि विदेशी विनिमय नियंत्रण के अधीन कितनी विदेशी पूंजी लाने की अनुमति दी गई है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: २ लाख का दो तिहाई ।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारत में बनी हुई क्विक कम दर पर, अर्थात् आजकल की चालू क़ीमत से कम पर बेची जायगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं माननीय सदस्य को सलाह दूंगा कि देखें क्या होता है ।

श्री नानादास: क्या मैं यह जान सकता हूं कि पारकर कम्पनी मद्रास में पेन बनाने का कारख़ाना खोलेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: तै तो यही हुआ है ।

बांध निर्माण की ट्रेनिंग

*४५१. **श्री एस० एन० दास:** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इंजनीयरों को बांधों के

डिज़ाइन तथा उन के निर्माण की ट्रेनिंग देने के लिये एक योजना बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) कुल कितना खर्च आयेगा और इस योजना के अधीन कितने व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). इस योजना का ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है । इसलिये इस समय कोई सूचना देना सम्भव नहीं है ।

श्री एस० एन० दास: श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस समय नदी घाटी योजनाओं के स्थानों पर इन विषयों की ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध है ?

श्री हाथी: श्रीमान्, व्यवहार्य ट्रेनिंग के लिये पहले ही एक स्कूल है जहां पढ़ कर आये हुये छात्रों को भेजा जाता है ।

श्री एस० एन० दास: श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस बात का निश्चय करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है कि इन योजनाओं के लिये कितने टेक्नीकल काम जानने वालों की आवश्यकता है ?

श्री हाथी: जी हां । हम यह अनुमान लगाने की चेष्टा करते रहे हैं कि अगले पांच वर्षों के लिये हमें ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है ।

श्री एस० एन० दास: श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि यह ट्रेनिंग जल्दी ही शुरू की जाय, और यदि हां, तो वे कौन से राज्य हैं और क्या वे इस प्रश्न के वित्तीय पहलू के सम्बन्ध में भी सहयोग देने को तैयार हैं ?

श्री हाथी: यदि किसी राज्य की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से, इंजीनीयरों को ट्रेनिंग के लिये भेजने के सम्बन्ध में कहा हो तो मुझे कुछ पता नहीं ।

मशीन टूल्स कम्पनी

***४५३. सरदार ए० एस० सहगल**: (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि स्विट्ज़रलैंड की ओरलिकोन मशीन टूल्स कम्पनी ने बंगलौर के पास जलहाली में, मशीनों के औज़ार बनाने का कारख़ाना खोला है ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है कि इस के लिये सरकार को कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा ?

(ग) यह कम्पनी उत्पादन कब शुरू कर सकेगी और प्रति वर्ष कितने तेज चलने वाले ख़राद, मिलिंग करने वाले ख़राद और बड़े काम में आने वाले बर्मे बनाये जायेंगे ?

(घ) इस कारख़ाने में पूरी तेजी से काम शुरू होने तक, इस पर कुल कितना खर्च होगा ?

(ङ) प्रति वर्ष उत्पादन का अनुमानित मूल्य क्या होगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत भारत सरकार और ज्यूरिच, स्विट्ज़रलैंड की कम्पनी मैसर्स ओरलीकोन मशीन टूल वर्क्स ब्यूहर्ले एण्ड कम्पनी द्वारा साझे में बनाई गई व्यक्तिगत लिमिटिड कम्पनी—हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटिड की ओर है जो कि जलहाली में मशीनों के औज़ार बनाने के कारखाने के प्रबन्ध के लिये बनाई गई है । यदि ऐसा है, तो उत्तर है "हां" ।

(ख) कम्पनी की अधिकृत पूंजी १२ करोड़ रुपये है । भारत सरकार और मैसर्स ओरलीकोन मशीन टूल वर्क्स समय समय पर

मांगी गई और जारी की गई पूंजी ९० प्रतिशत और १० प्रतिशत के अनुपात से देंगे । अभी ३ करोड़ रुपये की पूंजी मांगी जायगी। उत्पादन प्रारम्भ होने पर सरकार के ९० प्रतिशत हिस्से का ५ प्रतिशत मैसर्स ओरलीकोन को मुफ्त दे दिया जायगा ।

(ग) आशा है कि कारख़ाना अगस्त, १९५३ में काम शुरू कर देगा और १९५५-५६ में पूरी तेजी से काम करने लगेगा । आशा है कि उस समय यह कारख़ाना ९०० तेज़ चलने वाले ख़राद, ४६० मिलिंग करने वाले ख़राद और २४० बड़े काम में आने वाले बर्मे प्रति वर्ष बनायेगा ।

(घ) अनुमान है कि इस कारख़ाने पर ८ करोड़ ३७ लाख रुपये पूंजी व्यय होगा ।

(ङ) लगभग ४ करोड़ रुपये ।

श्री के० के० बसु: श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटिड का प्रबन्ध स्विस फ़र्म पर छोड़ दिया गया है और क्या उसे कोई विशेष कमीशन दिया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी: कम्पनी का प्रबन्ध संचालकों के बोर्ड के हाथ में होगा । प्रबन्ध संचालक को सरकार नामज़द करेगी । संचालक बोर्ड में सरकार के संचालक भी होंगे । इस समय ७ संचालकों में से ५ सरकार के हैं । कम्पनी को कोई विशेष कमीशन नहीं दिया जायगा । यदि मैं सरकार तथा कम्पनी के बीच हुये समझौते का ब्यौरा देने लगूं तो उस में बहुत समय लगेगा । मेरा विचार है कि इस समझौते की नकल पुस्तकालय में है । यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न पूछें तो मैं ब्यौरा दे सकूंगा ।

श्री वी० पी० नायर: श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस कम्पनी में भी 'ए' तथा 'बी' हिस्सों में कोई भेद किया जाता है जैसा कि कुछ मिनट पहले बताये गये मामले में उल्लेख किया गया था ?

श्री के० सी० रेड्डी: जी नहीं, ऐसा कोई भेद नहीं है ।

डा० जयसूर्य : क्या यह सच है कि स्विट्ज़रलैंड की फ़र्म ओरलीकोन के साथ समझौता करने से पहले इस ने चेकोस्लोवाकिया से मशीनों के औज़ारों का कारख़ाना स्थापित करने के सम्बन्ध में मशीनों आदि के आकार प्रकार तथा अन्य पूरा ब्यौरा मांगा था ?

श्री के० सी० रेड्डी: श्रीमान्, मुझे इस प्रस्थापना के पहले इतिहास का पता नहीं है । कई अन्य सूत्रों से पूछताछ की गई थी ।

डा० जयसूर्य : क्या यह सच है कि फिर वही आकार प्रकार और ब्यौरा ओरलीकोन वालों को दे दिया गया ?

श्री के० सी० रेड्डी: मैं उत्तर देने से पहले इस की छानबीन करना चाहता हूं ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता परन्तु मेरे विचार में ऐसा असम्भव है, क्योंकि माननीय सदस्य का प्रश्न इस बात की ओर संकेत है कि ऐसा किया गया । जहां तक मैं जानता हूं ऐसा नहीं किया गया । मुझे पूरा विश्वास तो नहीं परन्तु यह निश्चित है कि ऐसा किया गया तो बड़ी अनुचित बात थी । मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं हो सकता था ।

श्री के० के० बसु: श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस समझौते में कोई ऐसा उपबन्ध है कि बाहर से जो भी वस्तु ख़रीदी जाय, या तो स्विट्ज़रलैंड के विशेषज्ञों से ख़रीदी जाय या ऐसी हो जिस से वे सन्तुष्ट हों ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि ज़रा अपनी बात को स्पष्ट कर दें। मैं उन का प्रश्न समझ नहीं सका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह इस समझौते का एक अंग है कि जो भी वस्तु ख़रीदी जाय इस फ़र्म से परामर्श करने के बाद ख़रीदी जाय ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां।

श्री के० के० बसु : केवल परामर्श से ही नहीं बल्कि ऐसी हो जिस से ये विशेषज्ञ सन्तुष्ट हों।

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां। ऐसी हो जिस से कम्पनी को सन्तोष हो क्योंकि इस को ठीक ढंग से चलाना और उस का टेक्नीकल पहलू भी कम्पनी के हाथ में ही है। यह स्वाभाविक ही है कि मशीनों तथा उन अन्य वस्तुओं के बारे में, जो यह कारख़ाना स्थापित करने के लिये आवश्यक हैं कम्पनी का परामर्श लेना पड़ेगा।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फ़ैक्टरी से भारत की आवश्यकतायें कहां तक पूरी हो सकेंगी।

श्री के० सी० रेड्डी : काफ़ी हद तक।

कर्नल ज़ैदी : क्या ओरलीकोन के साथ समझौते में छात्रों को ट्रेनिंग देने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस सम्बन्ध में एक विशेष उपबन्ध है। विशिष्ट काल में, इस कारख़ाने में काम करने वाले सभी भारतीय होंगे और इस प्रयोजन के लिये इस कम्पनी को न केवल यहां बल्कि स्विट्ज़रलैंड में अपने कारख़ाने में भी ट्रेनिंग देनी होगी। एक यह प्रस्ताव भी है कि मशीनों के औज़ार बनाने वाले इस कारख़ाने के साथ ही एक ट्रेनिंग स्कूल भी खोल दिया जाय।

पार-पत्र और प्रवेश-पत्र

***४५४. श्री गिडवानी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि ढाका में भारत के पार-पत्र कार्यालय ने १६ अक्तूबर, १९५२ से १५ दिसम्बर, १९५२ तक ४० हज़ार से अधिक यात्रा सम्बन्धी पत्र (प्रवेश-पत्र और प्रव्रजन-पत्र सहित) जारी किये;

(ख) क्या यह सच है कि कलकत्ता में पाकिस्तान के पार-पत्र कार्यालय ने इसी काल में २० हज़ार से भी कम यात्रा सम्बन्धी पत्र जारी किये ; और

(ग) क्या यह सच है कि केवल सुवर्ण हिन्दुओं को प्रवेश-पत्र दिये गये जिन के सम्बन्धी स्थायी रूप से पूर्वी पाकिस्तान में रहते हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं हैं कि भारत में पाकिस्तान के प्रवेश-पत्र कार्यालयों ने कितने प्रवेश-पत्र दिये। हाल में हुये भारत-पाकिस्तान पार-पत्र सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने वक्तव्य दिया था कि २४ जनवरी, १९५३ तक, कलकत्ता में पाकिस्तान के प्रवेश-पत्र कार्यालय ने भारतीय नागरिकों को २२,१०५ प्रवेश-पत्र दिये और पाकिस्तानी नागरिकों को ३०,००० देश लौटने के प्रमाण-पत्र दिये।

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई शिकायत नहीं पहुंची है।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय अधिकारियों से पाकिस्तान से आने वाले बहुत से व्यक्तियों को कलकत्ते में क्रिकेट का मैच देखने के लिये प्रवेश-पत्र दिये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे आशा है कि दिये गये होंगे । यह बड़ी अच्छी बात है ।

श्री गिडवानी: क्या सरकार को मालूम हैं कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी अधिकारियों ने हिन्दू व्यापारियों को, जिन का व्यापार कराची में है, प्रवेश-पत्र नहीं दिये क्योंकि उन की निश्चित नीति यह मालूम होती है कि हिन्दुओं को कराची में अपना व्यापार चलाने के लिये कोई सुविधायें न दी जायें ?

उपाध्यक्ष महोदय: इस का पहला भाग तो प्रश्न है और दूसरा उस का परिणाम या अपनी राय ।

श्री अनिल के० चन्दा: मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य विशेष प्रश्नों के सम्बन्ध में पहले सूचना दे दिया करें जिस से कि मंत्रीगण आवश्यक सूचना इकट्ठी कर सकें । अन्यथा उन के लिये पहले से सूचना तैयार रखना सम्भव नहीं है ।

भारतीय जो लंका के रजिस्टर्ड नागरिक हैं

*४५५. **श्री ए० एम० टामस:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना है कि भारतीय तथा पाकिस्तानी नागरिकता अधिनियम के लागू होने के बाद से कितने भारतीयों को लंका के नागरिक रजिस्टर किया गया है ?

(ख) प्रार्थना-पत्रों की कुल संख्या कितनी है ?

(ग) कितने प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिये गये ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) १५ जनवरी, १९५३ तक १६,०३९ ।

(ख) २,३७,०३४ । औसत से प्रत्येक प्रार्थना-पत्र साढ़े तीन व्यक्तियों (प्रार्थी की पत्नी तथा बच्चों सहित) के सम्बन्ध में है ।

(ग) आंकड़े नहीं मिलते ।

श्रीमान्, मैं साथ में यह भी कह दूं कि यह उत्तर तैयार किये जाने के बाद हमें सूचना मिली है कि ८ जुलाई, १९५२ को लंका के प्रधान मंत्री ने लंका की संसद् में कहा था कि २६८७ प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं ।

श्री ए० एम० टामस: श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार ने यह पूछा है कि इन प्रार्थना-पत्रों को निपटाने में इतनी देरी क्यों हुई ? १६ जनवरी के बाद से २ लाख प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ।

श्री अनिल के० चन्दा: किसी समय लंका सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि वह इन प्रार्थना-पत्रों को निपटाने के लिये अतिरिक्त अधिकारी और उपायुक्त रखेगी परन्तु मालूम होता है कि इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया ।

श्री ए० एम० टामस: क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार को मालूम है कि लंका में बसे हुये भारतीयों को म्युनिस्पल चुनावों में अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और वहां की प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक रखा गया है जिस का उद्देश्य स्थानीय निकायों के चुनाव सम्बन्धी क़ानून, स्थानीय निकाय चनाव अध्यादेश को, संसद् के चुनाव क़ानून के अनुकूल बनाना है ?

श्री अनिल के० चन्दा: इस के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

कोयले का उत्पादन

*४५६. **श्री एन० पी० सिन्हा:** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

कि कोयले की उत्पादन की सीमा निर्धारित करने की कोई प्रस्थापना है, यदि हां, तो कहां तक ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): सरकार ने निश्चय किया है कि केवल धातु शोधन में काम आने वाले कोयले की उत्तम श्रेणियों के उत्पादन को सीमित किया जाय। ऐसे कोयले के उत्पादन को सीमित करने का विचार नहीं है जो धातु शोधन के काम में नहीं आता। १९५३ में धातु शोधन के काम में आने वाले कोयले की श्रेणी 'ए' तथा 'बी' के उत्पादन की मात्रा ७४ लाख टन निश्चित की गई है। श्रेणी १ तथा दो की मात्रा, १९५२ में उस के उत्पादन जितनी ही रखी गई है।

श्री एन० पी० सिन्हा: मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या भारत सरकार के हाल ही के निश्चय के अनुसार खानों के लिये यह आवश्यक है कि नये मज़दूरों को भरती करने से पहले कोयला बोर्ड के अध्यक्ष से अनुमति लें ?

श्री के० सी० रेड्डी: माननीय सदस्य का संकेत व्यक्तिगत खानों की ओर है या रेलवे की खानों की ओर ?

श्री एन० पी० सिन्हा: मैं निजी खानों की बात कर रहा हूं।

श्री के० सी० रेड्डी: मुझे खेद है श्रीमान्, कि मैं अभी इस का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री के० के० बसु: क्या मैं यह जान सकता हूं कि खानों के उत्पादन को अनुपाततः सीमित किया जायगा और यदि हां तो इस का उन खानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिस के मालिक भारतीय हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी: ऐसा भेदभाव करने की कोई मंशा नहीं है कि खानों के मालिक भारतीय हैं या योरोपियन। भारत सरकार के आदेश सभी खानों के लिये हैं चाहे वे किसी की भी हों। प्रत्येक खान के उत्पादन पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस का आगणन प्रत्येक खान के सम्बन्ध में करना पड़ेगा।

श्री के० के० बसु: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्पादन को, प्रस्तुत उत्पादन के अनुपात से सीमित किया जायगा। इस का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री के० सी० रेड्डी: यह इतना आसान नहीं है जितना कि माननीय सदस्य समझते हैं। प्रत्येक खान के लिये मात्रा निश्चित नहीं की गई। कुछ हालतों में खानों के एक दल को ही इकाई मान कर, उन का उत्पादन सीमित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं किसी विशेष भाग को दोष नहीं देता। कुछ माननीय सदस्य जो स्वयं प्रश्न पूछ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसलिये मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि सदन में चुप हो कर बैठें।

श्री के० के० बसु: श्रीमान्, वे अपने उत्तर को दोहरा नहीं सकते ?

श्री एन० पी० सिन्हा: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि कोयला बोर्ड के अध्यक्ष ने धनबाद में सम्वाददाताओं के साथ भेंट में कहा था कि कोयले के उत्पादन को ठोस ढंग से सीमित किया जायगा और खानों के मालिक विशेष मात्रा से अधिक कोयला नहीं भेज सकेंगे ? श्रीमान्, क्या यह सच है ?

श्री के० सी० रेड्डी: श्रीमान्, मैं नहीं जानता कि कोयला कमिश्नर ने उस विशेष प्रेस सम्मेलन में क्या कहा था। कोयला कमिश्नर ने सरकारी अधिसूचना के अनुसार कुछ आदेश दिये हैं। कुछ प्रतिबन्ध तो हैं। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का संकेत कोयला कमिश्नर के किन आदेशों

की ओर है । यदि वे कुछ और स्पष्टतया बतायें तो मैं उस प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करूंगा ।

बिहार के लिये कपड़ा

*४५७. **श्री एन० पी० सिन्हा:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में बिहार को जो कपड़ा दिया गया वह उस राज्य के लिये अपर्याप्त था ?

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण था ?

(ग) १९५१ तथा १९५२ में बिहार को कपड़े की कितनी गांठें दी गईं और प्रत्येक वर्ष में साड़ियों और धोतियों की संख्या कितने प्रतिशत थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : (क) सितम्बर, १९५२ तक यह शिकायत थी कि कुछ प्रकार के सस्ते कपड़े की मात्रा अपर्याप्त थी ।

(ख) कोई कमी नहीं थी, मांग के अनुसार कपड़ा दिया गया ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४]**

श्री एन० पी० सिन्हा: माननीय मंत्री ने कहा है कि कोई कमी नहीं थी । परन्तु मैं देख रहा हूं कि विवरण में दिया है कि धोतियों तथा साड़ियों की मासिक आवश्यकतायें पूरी नहीं की जा रहीं । १९५२ में प्रत्येक मास भजे गये कपड़े के आंकड़ों से यह स्पष्ट है । क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस का क्या कारण है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यह खेद की बात है कि विवरण का पहला स्तम्भ भूममूलक है । मासिक आवश्यकता वह है जो कि राज्य ने मांगी है । यह आवश्यक नहीं कि उसे हम ने भी स्वीकार कर लिया हो । माननीय सदस्य १९५१ तथा १९५२ में भेजे गये कपड़े के आंकड़ों की तुलना करें तो उन्हें पता चलेगा कि १९५२ में जितना कपड़ा दिया गया वह १९५१ की तुलना में काफी अधिक था ।

श्री एन० पी० सिन्हा : मेरा प्रश्न यह था कि १९५२ में प्रत्येक मास की आवश्यकता की तुलना में कितना कपड़ा भेजा गया । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस कमी को निकट भविष्य में पूरा करने के लिये कार्यवाही कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे मालूम है कि इस समय काफ़ी कपड़ा है ।

भारत में विदेशी नागरिक

*४५८. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि दूसरे देशों के ऐसे नागरिकों की, जो दिसम्बर, १९५२ तक भारत में रहे हैं, संख्या कितनी थी ; और

(ख) क्या उन में से किसी को भारतीय नागरिक बनाया गया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) यह जाने बिना कि माननीय सदस्य किस विशेष काल की ओर निर्देश कर रहे हैं, निश्चित आंकड़े बताना सम्भवन नहीं हैं । सरकार के पास जो सूचना है वह ३१ दिसम्बर, १९५१ को उस के पास नाम दर्ज कराने वाले भारतीयों की है । उस तिथि को यह संख्या ७०,३२६ थी । इस में राष्ट्रमण्डलीय नागरिक और १६ वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल नहीं हैं ।

(ख) संविधान के लागू होने के बाद से १०८५ विदेशियों को भारतीय नागरिक मान लिया गया है । परन्तु वे भाग (क) में दिये गये आंकड़ों में सम्मिलित नहीं हैं

क्योंकि ३१ दिसम्बर, १९५२ को विदेशी नहीं थे ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस ७० हज़ार में कितने अमरीकी नागरिक हैं और भारतीय नागरिक बनने वाले १०८५ में कितने अमरीकन थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : अलग प्रश्न पूछा जाय तो मैं आवश्यक सूचना दे सकता हूं ।

अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड

*४६०. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने भारत सरकार से क्या महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें की हैं ?

(ख) सरकार ने इन में से कौन सी सिफ़ारिशें मान ली हैं और उन्हें कार्यान्वित किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग **मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) तथा (ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५]**

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने सिफ़ारिश स्वीकार कर ली है और यदि हां तो अब तक कौन से सरकारी भवनों को दस्तकारी की वस्तुओं से सजाया गया है या उन में ये वस्तुयें लगाई गई हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, माननीय सदस्य का तात्पर्य किस सिफ़ारिश से है ? मद १ में कहा गया है :—

> "सारे राज्यों के मुख्याधिकारियों से कहा जाय कि वे राज भवनों और सरकारी भवनों म हाथ से बनी हुई वस्तुयें लगायें ।"

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं यह पूछ सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस सिफ़ारिश को, जो कि उस ने स्वीकार कर ली है, कार्यान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उस विशेष मद के उत्तर में यह कहा गया है :

> "इस सम्बन्ध में सभी राज्यों की सरकारों को लिखा गया था । अभी तक त्रिपुरा, कच्छ, बिहार और मनिपुर की सरकारों ने यह उत्तर भेजा है कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं । बाक़ी राज्यों के उत्तर अभी नहीं आये ।

बनावटी तेल

*४६१. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४८ में घटिया प्रकार के कोयले से बनावटी तेल तैयार करने के सम्बन्ध में जांच करने के लिये रखी गई फ़र्म की रिपोर्ट पर कोई निश्चय किया गया है, यदि हां, तो क्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सरकार ने कोई निश्चय नहीं किया ।

श्री झूलन सिन्हा : यह मामला कितनी देर से खटाई में पड़ा हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यह खटाई में नहीं पड़ा हुआ है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि हम बनावटी तेल सम्बन्धी योजना के बारे में कब सरकार द्वारा निश्चय किये जाने की आशा कर सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यह ऐसा मामला नहीं जो निश्चय किये जाने

के लिये पड़ा हो । निकट भविष्य में निश्चय की आशा नहीं की जा सकती ।

लंका के साथ व्यापार सम्बन्ध

*४६२. **कुमारी एनी मस्करीन:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के लंका के साथ व्यापार सम्बन्ध हैं ?

(ख) दोनों देश एक दूसरे को कौन कौन सी वस्तुयें भेजते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां, लंका के साथ हमारे सामान्य व्यापार सम्बन्ध हैं ?

(ख) मैं आपका ध्यान वाणिज्य सूचना तथा आंकड़ों के महा निदेशक कलकत्ता द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़े, देश तथा मुद्रा के हिसाब से, जनवरी से मार्च, १९५२ तक" तथा अन्य प्रकाशनों की ओर दिलाता हूं । इन की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में मिल सकती हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन: क्या मैं यह जान सकती हूं कि लंका को अनाज भेजा गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: इस के लिये मुझे पूर्व सूचना मांगनी होगी ।

एक माननीय सदस्य उठे—

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तीर्थ यात्रा के लिये भारत आने वाले पाकिस्तानी

*४४०. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) इस वर्ष दिल्ली में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के ६७वें उर्स में भाग लेने के लिये कितने पाकिस्तानी भारत आये; और

(ख) पिछले बारह महीनों में कुल कितने पाकिस्तानी, उन के जत्थों की संख्या सहित, भारत में तीर्थों की यात्रा के लिये आये ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) ७६ ।

(ख) १९५२ में २० जत्थे तीर्थ स्थानों पर आये जिन में कुल १६६९ तीर्थ-यात्री थे ।

संयुक्त राष्ट्र संघ का काश्मीर सम्बन्धी संकल्प

*४४१. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव ने काश्मीर के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद् का अन्तिम संकल्प भारत को भेज दिया था ; और

(ख) क्या भारत ने २३ जनवरी, १९५३ तक अपना उत्तर भेज दिया था ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद् का २३ दिसम्बर, १९५२ का संकल्प स्वीकार नहीं किया और इस की सूचना सुरक्षा परिषद् को दे दी थी ।

कपड़े तथा सूत के स्टाक

*४५२. **श्री एस० सी० सिंघल:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कपड़े के कारखानों के पास इस समय कितना कपड़ा तथा सूत है और उसी महीने में पिछले तीन वर्षों में मिलों के पास कितना कपड़ा तथा सूत था ;

(ख) क्या निर्यात शुल्क घटाये जाने के फलस्वरूप भारत से कपड़े का निर्यात बढ़ गया है, यदि हां, तो कितना ?

(ग) कितनी मिलों ने इस लिये काम बन्द कर दिया है कि उन के पास बहुत सा कपड़ा जमा हो गया था और इन मिलों के बन्द होने से उत्पादन कितने प्रतिशत घट गया है ; और

(घ) क्या कपड़े में मन्दी आने के कारण सरकार ने कपड़े सम्बन्धी लाइसेंस देने की अपनी नीति में कुछ ढिलाई की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ख) निर्यात-शुल्क में कमी हुये इतना समय नहीं बीता है कि उस के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सके ।

(ग) १७ कारखानों ने कपड़ा जमा हो जाने के कारण, १९५२ में विभिन्न कालावधियों के लिये पूरी तरह या आंशिक रूप से काम बन्द कर दिया । इस काल में कपड़े के उत्पादन में २१ प्रतिशत और सूत के उत्पादन में ४१ प्रतिशत की कमी हुई ।

(घ) व्यापारियों को लाइसेंस देना राज्यों की सरकारों का काम है । परन्तु केन्द्रीय सरकार ने उन्हें कहा है कि खुले आम लाइसेंस दें ।

विवरण

वर्ष	प्रत्येक वर्ष की ३१ दिसम्बर को स्टाक	
	सूत	कपड़ा
	(आंकड़े गांठों में)	
१९४९	१३४,८२७	२३७,५२०
१९५०	७५,७८७	१४९,५१६
१९५१	११५,५५५	२१४,०२९
१९५२	१५०,०००	२६४,०००

इस्पात उद्योग के लिये विश्व बैंक द्वारा ऋण

*४५९. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के विकास के लिये कुल कितनी राशि उधार दी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : ३ करोड़ १५ लाख डालर (लगभग १५ करोड़ रुपये) ।

कपड़े के कारखानों के लिये रूई

*४६३. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सूती कपड़े के कारखानों को, उन की १९५१-५२ की खपत के आधार पर रूई का शत प्रति शत कोटा देने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या कपड़े के कारखानों ने रूई का पूरा कोटा उठाने का निश्चय किया है ; और

(ग) क्या सरकार ने कारखानों के लिये अपना कोटा उठाने का कोई समय निश्चित किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) कारखानों के लिये यह आवश्यक है कि ज्योंही रूई बाजार में आये उसे उठा लें ।

विकास योजनाओं के लिये जन-शक्ति

*४६४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सामुदायिक योजना केन्द्रों में से कोई अपने अपने

क्षेत्रों में बेकार व्यक्तियों को योजना तथा विकास कार्य के लिये संगठित कर सका है और उन से काम ले सका है, यदि हां तो कौन सा ;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में कहां तक प्रगति की है ; और

(ग) उन कामों की विभिन्न श्रेणियां जो कि विभिन्न केन्द्र अभी तक कर सके हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां । सभी केन्द्र ।

(ख) तथा (ग) इस का ब्यौरा त्रैमासिक रिपोर्टों में मिल सकेगा जो कि राज्यों की सरकारों से प्राप्त होने लगी हैं ।

दूध से बने खाद्य पदार्थ

***४६५. श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७ से अब तक भारत में विदेशों से दूध से बने खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में मंगाये गये और उन का मूल्य कितना था, और किस किस देश से मंगाये गये ;

(ख) इसी काल में भारत में दूध से बनाये गये पदार्थों की मात्रा तथा मूल्य ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि जहां तक इस उद्योग का सम्बन्ध है, विदेशी माल की स्पर्धा से भारतीय हितों की रक्षा की जाय ; और

(घ) क्या भारत सरकार की, दूध से बने खाद्य पदार्थों के उद्योग का विकास करने की कोई योजना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ख) ये पदार्थ भारत में नहीं बनाये जाते ।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी हां ।

सीमा सम्बन्धी समस्याओं पर भारत-बर्मा सम्मेलन

***४६६. श्री रिशांग किशिंग** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में सीमा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में भारत तथा बर्मा की सरकारों के प्रतिनिधियों की कितनी बैठकें हुईं और उन में किन विषयों पर विचार किया गया ?

(ख) ऐसी बैठकों में सामान्यत: किन लोगों को दोनों सरकारों के प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है ?

(ग) क्या सरकार का, इन बैठकों की कार्यवाही सदन पटल पर रखने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) एक बैठक दिसम्बर, १९५२ में हुई थी । ऐसी समस्याओं पर विचार किया गया था जो दोनों सरकारों पर प्रभाव डालती हैं और एक सी हैं ।

(ख) दोनों सरकारों के ऐसे प्रतिनिधि जिन्हें सीमा सम्बन्धी समस्याओं की जानकारी है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

विदेशी निर्माता कम्पनियां जो व्यापार करती हैं

***४६७. श्री हेडा** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में ऐसी विदेशी निर्माता कम्पनियों की संख्या पिछले पांच साल में प्रत्येक राज्य में कितनी थी जिन्होंने पहले तो निर्माण का काम प्रारम्भ किया और

उस के बाद अपने ही या वैसे ही उत्पादनों का व्यापार प्रारम्भ कर दिया ?

(ख) क्या सरकार इस बात को प्रोत्साहन देती है और यदि नहीं तो वह इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी, नहीं । इस समय कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

बम्बई राज्य में नदी घाटी योजनायें

*४६८. **डा० अमीन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बम्बई राज्य में नदी घाटी तथा सिंचाई की योजनाओं के नाम तथा स्थान जिन के लिये भारत सरकार सहायता दे रही है या देना चाहती है,

(ख) ऐसी प्रत्येक योजना का अनुमानित व्यय और उस में से प्रत्येक योजना पर बम्बई राज्य की सरकार कितना खर्च करेगी और भारत सरकार कितना ; और

(ग) ऐसी प्रत्येक योजना से कितने एकड़ भूमि पर खेती प्रारम्भ होने तथा कितनी बिजली तैयार किये जाने की आशा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) बम्बई राज्य में किसी नदी घाटी या सिंचाई योजना को न तो केन्द्रीय सरकार सहायता दे रही है और न देने का विचार रखती है । भारत सरकार राज्य सरकार को बड़ी अधिक प्राथमिकता वाली अधिकृत योजनाओं के लिये ऋण देती है । ऐसे ऋणों की राशि का निश्चय प्रत्येक वर्ष केन्द्र के संसाधनों को ध्यान में रख कर किया जाता है । १९५२-५३ में, गंगापुर स्टोरेज योजना (जो नासिक ज़िले में है) और बेलगाम ज़िले में घाटाप्रभा दक्षिणी किनारा नहर योजना (अवस्था १) के लिये १ करोड़ रुपये का ऋण रखा गया है । १९५२-५३ में दोनों योजनाओं पर खर्च की प्रगति के सम्बन्ध में ब्यौरा मालूम होने पर इस ऋण के दिये जाने की स्वीकृति दी जायगी । जिन योजनाओं के लिये १९५३-५४ में ऋण दिया जायगा, उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार के साथ बात तै नहीं हुई है ।

(ख) गंगापुर स्टोरेज योजना—३३४ लाख रुपये ।

घाटाप्रभा दक्षिणी किनारा नहर योजना (अवस्था १) ५४५ लाख रुपये ।

इन योजनाओं पर खर्च राज्य सरकार करती है । केन्द्रीय सरकार तो केवल ऋण देती है । इसलिये यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता कि केन्द्रीय सरकार व्यय का कितना भाग देगी और राज्य सरकार कितना ।

(ग) गंगापुर ४५,००० एकड़

घाटाप्रभा १००,००० एकड़ ।

ये केवल सिंचाई योजनायें हैं और कोई बिजली पैदा नहीं की जाती ।

मोटर कारें और उनके पुर्ज़े

*४६९. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मोटर कारों और मोटरों के पुर्ज़ों के आयात के सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

(ख) जनवरी, १९५३ से उपरोक्त वस्तुओं के आयात को अधिक करने का क्या प्रभाव हुआ है ?

(ग) कौन कौन से माडल की कारों के पुर्ज़े भारत में जोड़ कर कारें बनाई जाती हैं और १९५०, १९५१ तथा १९५२ प्रत्येक

माडल की कितनी कारें इस प्रकार जोड़ कर बनाई गईं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस वर्ष के चालू छः महीने के लिये मोटरों के आयात सम्बन्धी नीति विचाराधीन है । लाइसेंस कालावधि जनवरी—जून, १९५३ सम्बन्धी आयात व्यापार नियंत्रण पुस्तक में पुर्जों सम्बन्धी नीति का विवरण है ।

(ख) अभी इतना समय नहीं बीता है कि इस के प्रभाव जाने जा सकें ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७]**

लंका के साथ व्यापार क़रार

*४७१. **श्री दामोदर मेनन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लंका तथा भारत के बीच प्रस्तुत व्यापार करार की अवधि दिसम्बर, १९५२ में समाप्त होने के बाद उस की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में बातचीत की जा रही है ; और

(ख) क्या लंका से कोपरा तथा नारियल के तेल का आयात बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। जी, नहीं ।

चमड़ा उद्योग

*४७४. **स्वामी रामानन्द शास्त्री** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) चमड़ा उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार चमड़े की तैयार वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में क्या पग उठा रही है ;

(ख) कच्चे चमड़े के निर्यात को रोकने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं; और

(ग) सरकार ने इस उद्योग के विकास के लिये कहां कहां और कितने कारखाने खोले हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) चमड़े की तैयार वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने न केवल चमड़े की वस्तुएं बनाने वालों को निर्यात नियंत्रण के प्रतिबन्धों से मुक्त कर दिया है बल्कि ऐसी वस्तुओं के आयात के विशेष लाइसेंस भी दिये हैं जो चमड़े की तैयार वस्तुओं में लगती हैं जिस से कि वे बाहर भेजी जा सकें । साथ ही, ऐसे कच्चे माल, जिस का अभाव है, जैसे भैंसों तथा गायों की कच्ची खालें, का निर्यात भी बिल्कुल बन्द कर दिया गया है । इस का फल यह हुआ है कि १९५१-५२ में निर्यात का मूल्य, १९५०-५१ के निर्यात मूल्य से लगभग चार गुना था ।

(ग) सरकार ने कोई कारखाना नहीं खोला है ।

मशीनी हलों के पुर्जे निर्माण

*४७५. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश में मशीनी हलों के मालिकों की आवश्यकता पूरी करने के लिये उन के पुर्जे बनाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है या करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी, नहीं । सरकार

ने इस उद्योग के विकास का काम ग़ैर सरकारी उपक्रम पर छोड़ रखा है ।

पंच वर्षीय योजना

*४७६. **कर्नल जैदी** : (क) क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जनता में पंचवर्षीय योजना का अधिकाधिक प्रचार करने तथा उसे लागू करने के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

(ख) क्या सीधी सादी भाषा में छोटी छोटी ऐसी पुस्तिकायें तैयार की गई हैं जिनमें योजना के उद्देश्य तथा लक्ष्यों का सजीव चित्रण हो, जिस से कि जनसाधारण उन्हें समझ सकें, यदि हां तो कितनी देशीय भाषाओं में ?

(ग) क्या विभिन्न देशीय भाषाओं में विशेषतया स्कूलों के छात्रों के लिये कोई छोटी पुस्तिकायें योजना के सम्बन्ध में तैयार की गई हैं ?

(घ) क्या सरकार योजना का जन-साधारण में प्रचार करने के लिये रेडियो तथा फ़िल्मों से काम ले रही है, यदि हां, तो किस प्रकार ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) पंच वर्षीय योजना का अधिकाधिक प्रचार करने के लिये जो कार्यवाहियां की गई हैं, उन में निम्नलिखित भी हैं :

(१) अखिल भारतीय रेडियो ने देश भर के लिये वादविवाद तथा वार्ताओं का कार्यक्रम तैयार किया है। रेडियो के सभी केन्द्रों से साधारण कार्यक्रमों में हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया तथा आसामी में कुल ४९ वादविवाद तथा १६२ वार्तायें प्रसारित की गईं । ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों और स्कूलों के कार्यक्रमों में विशेष प्रसारण किये गये । ग्रामीणों के लिये कार्यक्रमों, जिन में फार्म फोरम (खेती सम्बन्धी) कार्यक्रम भी हैं, में सामुदायिक योजनाओं के सम्बन्ध में बड़े विस्तृत पैमाने पर प्रसारण किये गये । विभिन्न विकास योजनाओं के सम्बन्ध में कई रूपक कार्यक्रम तथा रेडियो समाचार भी प्रसारित किये गये ।

(२) पंच वर्षीय योजना की कई विकास योजनाओं का जनता में प्रचार करने के लिये फ़िल्मों का उपयोग भी किया जा रहा है । हाल ही में सूचना तथा रेडियो मंत्रालय के फ़िल्म विभाग ने दो सच्ची घटनाओं की फ़िल्में—"न्यू लैंड्स फ़ार ओल्ड", जो दामोदर घाटी योजना में मिट्टी के कटाव के सम्बन्ध में है और "रोड टू न्यू इण्डिया"—दिखानी प्रारम्भ की हैं । ये फ़िल्में हिन्दी, बंगाली, तामिल, तेलुगू और अंग्रेज़ी में तैयार की गई हैं और लगभग ३२५० सिनेमाओं में दिखाई जा रही हैं । इन में से लगभग ८५० सिनेमा चलते फिरते सिनेमा हैं जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । इन फ़िल्मों की प्रतियां राज्यों की सरकारों को दी गई हैं जिस से कि वे उन्हें चलते फिरते सिनेमाओं द्वारा दिखा सकें ।

फ़िल्म विभाग की साप्ताहिक समाचार-फ़िल्म "इण्डियन न्यूज़ रिव्यू" में भी पंच वर्षीय योजना सम्बन्धी बातें होती हैं ।

(३) समाचार सूचना शाखा ने ६ प्रादेशिक भाषाओं—हिन्दी, उर्दू, मराठी, गुजराती, तामिल और बंगाली, में पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में समाचार पत्रों को बहुत से लेख भेजे । इन में संशोधित योजना के संक्षेप और औद्योगिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त, योजना के विभिन्न पहलुओं और महत्वपूर्ण विकास योजनाओं पर विशेष लेख भी थे । इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि अधिक से अधिक योजनाओं की तस्वीरें ली जायें । योजना के निर्माण

के दिनों में योजना आयोग के जो सम्मेलन हुये थे, उन की कार्यवाही का बहुत प्रचार किया गया जिस से कि आयोग को यह पता चल सके कि उसने जिन विषयों पर विचार किया है, उन के प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया है ।

(४) पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में पहली प्रदर्शिनी, जनवरी १९५३ में की गई थी ।

(ख) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने पंच वर्षीय योजना का जन संस्करण तथा हिन्दी में एक पुस्तिका प्रकाशित की है । इस जन-संस्करण का हिन्दी तथा अन्य देशीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है ।

(ग) स्कूलों के लिये एक पुस्तिका तैयार की जा रही है और शीघ्र ही विभिन्न देशीय भाषाओं में प्रकाशित कर दी जायगी ।

(घ) योजना के प्रचार के लिये प्रसारण, फ़िल्मों, पोस्टरों, चार्टों, तस्वीरों वाले चार्टों, इश्तहारों, विज्ञापनों, पर्चों (फोल्डर्स) सिनेमा तथा दूसरी स्लाइडों, प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकों तथा पुस्तिकाओं, फोटो, तथा प्रदर्शिनियों का उपयोग करने का कार्यक्रम बनाया गया है । रेलवे शताब्दी के सम्बन्ध म, पांच वर्षीय योजना की एक प्रदर्शिनी की जा रही है । इस के बाद दो चलती फिरती प्रदर्शिनियां होंगी जो गर्मी के दिनों में देश भर में जायेंगी ।

राजस्थान के लिये सार्वजनिक रेडियो सेट

३५१. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजस्थान को किसानों के लिये कितने सार्वजनिक रेडियो सेट दिये गये हैं ?

ण मंत्री (डा० केसकर) : सार्वजनिक रेडियो सेटों का प्रबन्ध सम्बद्ध राज्य सरकार करती है ।

प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि

३५२. **श्री एल० जे० सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि में अब तक कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(ख) इस निधि से, नवम्बर, १९४७ में इस के शुरू किये जाने से ३१ जनवरी, १९५३ तक सहायता कार्यों के लिये कितना धन दिया गया है ;

(ग) कैसी सहायता के लिये धन दिया गया और ऐसे सहायता-कार्यों के नाम तथा संख्या जिन के लिये अब तक धन दिया गया हैं ; और

(घ) ऐसे प्रत्येक सहायता-कार्य के लिये दी गई राशि ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ६२,९१,७६४ रुपये १५ आने ५ पाई ।

(ख) ६०,९६,१४९ रुपये ३ आने ४ पाई ।

(ग) तथा (घ) आप का ध्यान लोक सभा में ८ जुलाई १९५२ को अतारांकित प्रश्न संख्या ३६० के दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है जिस में बताया गया है कि प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि (सामान्य तथा खाद्य सहायता लेखे) के नवम्बर, १९४७ में प्रारम्भ होने से ३१ जुलाई, १९५३ तक इस में से कितनी धन राशि दी गई ? **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८]**

प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि का धन मुख्यत: विस्थापित व्यक्तियों को सहायता देने और भूचाल, बाढ़, सूखा आदि विपत्तियों से उत्पन्न कष्टों के निवारण के लिये प्रयुक्त किया जाता है । साधारणतया

यह किया जाता है कि राज्यों के राज्यपालों और/या मुख्य मंत्रियों को धन राशियां दे दी जायें । कुछ राशियां, सहायता कार्यों में लगी संस्थाओं को सहायता अनुदानों के रूप में दी गई हैं ।

साम्बर नमक का फ़ुटकर भाव

३५३. **श्री जी० डी० सोमानी** : क्या **उत्पादन** मंत्री सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिया हुआ हो कि साम्बर झील से नमक लेने वाले राज्यों में अब और २८ अप्रैल, १९५० से पहले नमक का प्रति सेर मूल्य कितना था ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९]**

नमक का व्यापार

३५४. **श्री जी० डी० सोमानी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सामान्य व्यापारियों द्वारा और ज़िलों के नामनिर्देशित व्यक्तियों द्वारा १९५२ में कितने मन नमक बेचा गया और उस की प्रतिशतता कितनी थी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :

	मात्रा मनों में	कुल मात्रा की प्रतिशतता
सामान्य व्यापारियों द्वारा बेचा गया नमक ।	३,४३,००,०००	५५
ज़िलों के नामनिर्देशित व्यक्तियों द्वारा बेचा गया नमक ।	२,८२,००,०००	४५
कुल मात्रा	६,२५,००,०००	

संसद सदस्यों के रहने के मकान

३५५. **श्री दाभी** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नार्थ तथा साउथ एवेन्यू में, संसद् के दूसरे सत्र के बाद संसद् सदस्यों के रहने के लिये कितने मकानों का निर्माण पूर्ण हुआ ; और

(ख) नार्थ तथा साउथ एवेन्यू में, संसद् के अगले सत्र से पहले संसद् सदस्यों के रहने के लिये कितने मकान बन कर तैयार हो जायेंगे ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : आठ ।

(ख) चौंसठ ।

आयात तथा निर्यात व्यापार

३५६. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत से कितने टन माल बाहर भेजा गया और कितने टन बाहर से मंगाया गया ;

(ख) प्रत्येक देश से इस की प्रतिशतता; और

(ग) उन भारतीय बन्दरगाहों के हिसाब से प्रतिशतता जहां से यह माल बाहर गया या बाहर से आया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत के आयात तथा निर्यात व्यापार के आंकड़े टनों में उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

जस्त को साफ़ करने का संयंत्र

३५७. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का, देश में जस्त साफ़ करने का संयंत्र लगाने का विचार है ?

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र कब और कहां लगाने का विचार है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सरकार का देश में ऐसा संयंत्र अपनी ओर से लगाने का अभी कोई विचार नहीं है । परन्तु भारत सरकार ने देश में जस्त साफ़ करने का उद्योग स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति बना दी है ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

मलाया में भारतीय

३५८. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** मलाया में रहने वाले ऐसे भारतीयों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जो कि संधीय क़रार में हाल ही में परिवर्तन होने के बाद वहां की नागरिकता के अधिकारी हो गये हैं ?

(ख) ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है जिन्हें वास्तव में वहां के नागरिक बना लिया गया ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) यह अनुमान लगाना कठिन है कि मलाया में वहां की नागरिकता पाने के अधिकारी भारतीयों की कुल संख्या कितनी है ।

(ख) पिछले वर्ष ३१ दिसम्बर तक लगभग २ लाख भारतीय मलाया के नागरिक बन चुके थे ।

कपड़ा (निर्यात)

३५९. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के लिये बाहर भेजने के लिये कपड़े का कितना कोटा निश्चित किया गया है ?

(ख) १ अप्रैल, १९५२ से ३१ जनवरी, १९५३ तक कुल कितना कपड़ा बाहर भेजा गया ?

(ग) कपड़े पर निर्यात शुल्क हाल ही में कितना घटाया गया था और किस तिथि से ?

(घ) दिसम्बर, १९५२ और जनवरी, १९५३ में कपड़े के निर्यात के क्या आंकड़े हैं ?

(ङ) अगले वर्ष के लिये निर्यात का कितना कोटा निश्चित किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस समय निर्यात के लाइसेंस बिना रोक टोक दिये जा रहे हैं ।

(ख) ५५ करोड़ ९८ लाख ५० हज़ार गज़ सूती कपड़ा ।

(ग) ४ जनवरी, १९६३ से मोटे और दर्मियाने कपड़े पर निर्यात शुल्क मूल्य के हिसाब से २५ प्रतिशत से घटा कर १० प्रतिशत कर दिया गया है । बढ़िया और बहुत बढ़िया कपड़े पर निर्यात शुल्क नहीं लिया जाता ।

(घ) क्रमानुसार ५ करोड़ ८ लाख और ४ करोड़ ३४ लाख गज़ ।

(ङ) इस समय निर्यात के लाइसेंस बिना रोक,टोक दिये जा रहेहैं ।

कातने और बुनने की मिलें

३६०. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) देश में सूत कातने वाली और

सूत कातने तथा बुनने वाली मिलों की संख्या कितनी है ?

(ख) १९४८, १९४९, १९५०, १९५१ और १९५२ म इन मिलों ने कुल कितना सूत तैयार किया ;

(ग) बुनने वाली मिलों में सूत की खपत कितनी हुई ; और

(घ) १९४८, १९४९, १९५०, १९५१ तथा १९५२ में करघों का कितना सूत दिया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सूत कातने वाली मिलों की संख्या ११३ और कातने तथा बुनन वाली मिलों की संख्या २७६ है ।

(ख) से (घ) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०]

अमोनियम सल्फ़ेट के कारखाने

३६१. **डा० सत्यवादी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सिंदरी के सरकारी कारखाने के अतिरिक्त अमोनियम सल्फेट (तिक्तानु शुल्बीय) बनाने वाले कौन कौन से कारखाने हैं ;

(ख) इन कारखानों में प्रति वर्ष कितना माल तैयार होता है और कितनी निकासी होती है ; और

(ग) प्रत्येक कारखाने में अलग अलग इस के उत्पादन पर प्रति टन कितनी लागत आती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११]

(ग) ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है

संसद सदस्यों के रहने के लिये नये मकान

३६२. **श्री रामजी वर्मा** : क्या निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नार्थ तथा साउथ एवेन्यू में संसद् सदस्यों के रहने के नए मकान बनाने का ठेका किस टेकेदार या ठेकेदारों को दिया गया है और कितने समय में ये मकान बनाये जाने हैं ; और

(ख) इन बनाये जा रहे मकानों में फ़र्नीचर लगाने का ठेका किस व्यक्ति और व्यक्तियों को दिया गया है और प्रत्येक प्रकार के फ़र्नीचर की क्या दरें दी जा रही हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) यह काम मैसर्ज न्यू भारत कंस्ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया है । उन्होंने १७ अक्तूबर, १९५२ को काम शुरू किया था जो इस तिथि से ९ महीने के भीतर पूरा किया जाना है ।

(ख) यह काम अभी किसी ठेकेदार को नहीं दिया गया परन्तु टेण्डर विचाराधीन हैं ।

करघे का कपड़ा

३६३. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में भारत में कितना और कितने मूल्य का करघे का कपड़ा तैयार हुआ और उस की कितनी खपत हुई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अनुमान है कि १९५२ में १ अरब गज करघे का कपड़ा तैयार हुआ जिस में से ५ करोड़ चालीस लाख गज बाहर भेजा गया । इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है कि करघे के जितने कपड़े की खपत हुई उस की मात्रा तथा मूल्य क्या था ।

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
३ मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, ३ मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

३ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

अमरीकी विध्वंसक जहाजों का कलकत्ता में आगमन

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की पूर्वसूचना भेजी गई है जिसका विषय है "चार अमरीकी विध्वंसक जहाजों के कलकत्ता में आगमन के फलस्वरुप उत्पन्न हुई स्थिति ।" माननीय सदस्य की सूचना क्या है ?

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : प्रेस की सूचना के अनुसार एम० सी० गोवन, एम० सी० नायर, हेली तथा हिकाक्स नाम के चार अमरीकी नौ-सेना के विध्वंसक जहाज, जिन्होंने कोरिया युद्ध में भाग लिया है, कलकत्ता में आये हैं। इन्हीं सूचनाओं के अनुसार यह जहाज बज बज डिपो में इंधन तथा खाने पीने के सामान को लेकर फिर कोरिया लौट रहे हैं। इस दौरान में हमारी नौ-सेना के स्थानीय कमांडर अमरीकी नौ-सेना अधिकारियों को निमन्त्रित कर रहे हैं। इससे हमारी विदेश नीति पर कुछ विचित्र सा प्रकाश पड़ता है।

यह रिपोर्ट आज के 'स्टट्समैन' में तथा कुछ बंगाली पत्रों में छपी है ।

मेरी आपत्ति यह है कि हमने इस युद्ध के बारे में अपनी स्थिति को पूर्णत: स्पष्ट कर रखा है हम इसके सर्वथा विरुद्ध हैं। यदि हम उपरोक्त ढंग से ऐसे लोगों की सहायता करना चाहते हैं जो इस हत्याकाण्ड को लम्बा खींचना चाहते हैं तो निश्चय ही यह एक ऐसी बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिये ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मुझे स्वीकार करना पड़ा है कि मैं माननीय सदस्य के वास्तविक ध्येय को समझने में सर्वथा असमर्थ रहा हूं। अगले दिन उन्होंने कोरी कल्पना से काम लेते हुए यह कहा था कि डम डम हवाई अड्डे पर ३,२०० अमरीकी हवाई जहाज उतरे थे (अन्तर्बाधा)।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : वह मेरी बात का सीधे उत्तर दें। वह दूसरी बात का निर्देश क्यों कर रहे हैं। अगले दिन उन्होंने भारत में गोरखों की भर्ती से भी इंकार किया था।

श्रीमती रेणु चक्र होवर्ती (बसीरने) उन्होंने किसी व्यक्ति के सेना की वर्दी में होने से इन्कार किया था, परन्तु मैंने स्वयं वर्दी में देखा था।

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। कार्यवाही में विघ्न डालने से कोई लाभ नहीं होगा। किसी माननीय मन्त्री को अधिकार है कि वह किसी माननीय सदस्य के भाषण के सत्य होने से इन्कार करे।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं केवल तथ्य बतला रहा था। माननीय सदस्य ने पिछले अवसर पर कुछ तथ्य बतलाए थे जो सर्वथा ग़लत तथा बेहूदा थे (अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें। दुर्भाग्यवश मैंने साम्यवादी दल के कार्यवाहक नेता से बहुत बार बातें सुनी हैं तथा वह 'अपमान-जनक', 'निन्दाजनक' शब्दों का प्रायः प्रयोग करते हैं। उन्हें दूसरी ओर से भी ऐसी ही आशा होनी चाहिये।

श्री जवाहरलाल नेहरू: श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि मैंने कोई ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जिसे असंसदीय कहा जा सके। मैंने केवल इतना कहा था कि वह पूर्णतः कल्पनात्मक हैं, परन्तु उन्होंने अभी तक खेद प्रकट नहीं किया है।

श्री एच० एन० मुकर्जी उठे---

उपाध्यक्ष महोदय: यदि माननीय सदस्य को कोई स्पष्टीकरण करना है तो मैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दूंगा, परन्तु इसी क्षण नहीं। प्रधान मंत्री अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री जवाहरलाल नेहरू: श्रीमान्, दोनों ओर के माननीय सदस्य अभी तक होली के रंग में रंगे हैं। इस विषय में मुझे वास्तव में पता नहीं लग रहा कि मैं क्या उत्तर दूं। निस्सन्देह हमारे पत्तनों में जहाज़ों के आने तथा ईंधन आदि लेने के सम्बन्ध में नियम विद्यमान हैं। मुझे इसके बारे में कोई सूचना तक नहीं है। स्वभावतः मैं जान भी कैसे सकता हूं। जहाज़ आते हैं और चले जाते हैं। एकमात्र सूचना जो मुझे यहां आने से पहले मिली थी यह है कि ये जहाज़ अमरीका को जा रहे हैं। मुझे निश्चित रूप से तो पता नहीं, परन्तु वे पश्चिम की ओर जा रहे हैं। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार तथा प्रथा का मुझे पता है, किसी भी देश से---चाहे वह चीन हो, रूस हो या कोई और---कोई जहाज़ आए तो उससे उसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है, अर्थात् उसे ईंधन आदि लेकर चले जाने दिया जाता है।

माननीय सदस्य ने दूसरी बात यह कही है कि उन्हें कलकत्ता की सैर आदि कराई जा रही है तथा कि इन जहाज़ों के अधिकारियों को खाने पर बुलाया जाता है। वास्तव में मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। फिर भी मुझे यह समझ में नहीं आता कि यदि नाविक तथा हवाबाज़ परस्पर मिलना चाहें या एक दूसरे को खाने आदि पर बुलाएं तो इस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिये। यह तो सामान्य व्यवहार है। मैं माननीय मित्रों को बतला दूं कि हम इस देश में घृणा का प्रचार नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री एच० एन० मुकर्जी।

श्री एच०एन० मुकर्जी: प्रधान मंत्री ने कहा है कि मैंने खेद प्रकट नहीं किया है। मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि आप कार्यवाही के वृत्तान्त को देखें तो आपको इसमें एक वाक्य यह मिलेगा "यदि मैं ग़लत हूं तो मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री मुझे मेरी ग़लती बतला सकेंगे।" उन्होंने स्वयं इसे पढ़ कर सुनाया था। अब वह मुझ से खेद के प्रकट करने की आशा नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय: अब इस मामले पर काफी कहा जा चुका है।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल): माननीय सदस्य ने कहा था कि उपाध्यक्ष

महोदय उन्हें इस प्रकार खड़े होकर भाषण देने से नहीं रोक सकते। क्या उनके लिये ऐसा कहना नियमित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है कि ऐसा कहा जाय। प्रत्येक अवस्था में मैं पक्षपात से रहित हूं। मुझे तो कार्यवाही को नियमित ढंग से चलाना है। मैंने यह सुना नहीं था। जब साम्यवादी दल के ही ऐसी बात कहते हैं तो उनके अनुयाई क्या कुछ नहीं कहेंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैंने आप के आचरण की कोई आलोचना नहीं की थी। मैं तो केवल अपने वाक्य को पूरा करना चाहता था। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने शब्द वापस लूं तो मैं अवश्य ही उन्हें वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि उनका कुछ और आशय था।

अब जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, यह दुर्भाग्य की बात है कि इससे इतनी उत्तेजना पैदा हो। अब मैंने दोनों पक्षों की बात सुन ली है। मालूम होता है कि विध्वंसक तथा दूसरे जहाज़ सामान्य रूप से आते रहते हैं तथा ईंधन आदि के लिये ठहरते हैं तथा यहां तक इसमें ऐसी कोई बात नहीं जिस से सदन की कार्यवाही में विघ्न डाला जाये। प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है, उससे यह नहीं जान पड़ता कि इससे किसी विशेष प्रकार की मनोवृत्ति का पता चलता हो या किसी को उत्तेजित करने का आशय हो या यह किसी विश्व युद्ध की सम्भावना हो। ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। इस परिस्थिति में मैं अपनी सहमति नहीं दे सकता।

अब जो दूसरी सूचना मुझे दी गई है, उसका सम्बन्ध शान्ति तथा व्यवस्था से है। अब सदन दूसरे कार्यक्रम को आरम्भ करेगा।

पटल पर रखे गये पत्र

चल-चित्र (संसर) नियमावली, १९५१ में संशोधन करने के हेतु अधिसूचना।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : मैं चल-चित्र विज्ञान अधिनियम, १९५२ की धारा ८(३) के अन्तर्गत प्रत्येक निम्नलिखित अधिसूचना की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं जिसमें चल-चित्र (संसर) नियमावली १९५१ में अग्रेतर संशोधन किए गए हैं :

(१) अधिसूचना संख्या ३५/२३/५१-एफ (सी० सी० आर० ५/४), दिनांक २९-१२-१९५२, एस० आर० ओ० ८५। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस-९/५३।]**

(२) अधिसूचना संख्या ३५/२३/५१-एफ (सी० पी० आर० ५/५), दिनांक १२-१-१९५३, एस० आर० ओ० १४३। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस-९/५३।]**

(३) अधिसूचना संख्या ६/१/५३-एफ २ (सी० सी० आर० ५/६), दिनांक ६-२-१९५३, एस० आर० ओ० ३०९। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस-९/५३।]**

अचल सम्पति के अधिग्रहण तथा अर्जन सम्बन्धी अधिनियम १९५२ के अन्तरर्गत जारी की गई अधिसूचनायें

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा अर्जन सम्बन्धी अधिनियम, १९५२ की धारा १० की उपधारा (२) के अन्तर्गत निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं

[सरदार स्वर्ण सिंह]

में से प्रत्येक की एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या १०७३९-डब्ल्यू २/५२, दिनांक २९-१२-१९५२ । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-८/५३ ।**]

(२) अधिसूचना संख्या ६६५-डब्ल्यू २, दिनांक १६ जनवरी, १९५३ [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-८/५३ ।**]

(३) अधिसूचना संख्या १५२६-डब्ल्यू २/५३, दिनांक ५ फरवरी १९५३ । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-८/५३ ।**]

विनियोग (रेलवे) विधेयक

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): श्रीमान्, मैं *प्रस्ताव करता हूं कि

"रेलवे के प्रयोजनों से वित्तीय वर्ष १९५३-५४ की सेवाओं के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग को अधिकृत करने के हेतु विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न है कि

"रेलवे के प्रयोजनों से वित्तीय वर्ष १९५३-५४ की सेवाओं के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग को अधिकृत करने के हेतु विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, २, ३ तथा अनुसूची, नाम अधिनियम-सूत्र के विधेयक का अंग बना लिये गये ।

श्री एल० बी० शास्त्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न है कि :

"विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सामान्य आयव्ययक, १९५३-५४

निम्न लेखा-अनुदानों की मांगें सदन द्वारा स्वीकृत की गईं

	रुपये
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	६,०२,०००
मांग संख्या २—उद्योग	९९,१८,०००
मांग संख्या ३—व्यापारिक सूचना तथा आंकड़े	४,३६,०००
मांग संख्या ४—विविध विभाग तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का व्यय.	३,३५,०००
मांग संख्या ५—संचरण मंत्रालय	१,०१,०००
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्य-संचालन व्यय सहित)	३,६६,६९,०००
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष	९,०८,०००

*राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से स्वीकृत हुआ ।

मांग संख्या ८—विदेश संचरण सेवा	७,५८,०००
मांग संख्या ९—विधान संचालन	२४,६१,०००
मांग संख्या १०—विविध विभाग तथा संचरण मंत्रालय सम्बन्धी व्यय	६९,०००
मांग संख्या ११—रक्षा मन्त्रालय	२,१८,०००
मांग संख्या १२—रक्षा सेवाएं—क्रियाकारी—सेना	१३,६४,२५,०००
मांग संख्या १३—रक्षा सेवाएं—क्रियाकारी—नौ सेना	९४,३२,०००
मांग संख्या १४—रक्षा सेवाएं—क्रियाकारी—वायु सेना	२,१४,९४,०००
मांग संख्या १५—रक्षा सेवाएं—अ-क्रियाकारी व्यय	१,३०,५७,०००
मांग संख्या १६—रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी विविध व्यय	४२,०००
मांग संख्या १७—शिक्षा मन्त्रालय	२,७६,०००
मांग संख्या १८—पुरातत्व	३,६९,०००
मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक विभाग	१५,९९,०००
मांग संख्या २०—शिक्षा	४०,६७,०००
मांग संख्या २१—शिक्षा मन्त्रालय के विध विभागों सम्बन्धी व्यय	२,५२,०००
मांग संख्या २२—आदिम जाति क्षेत्र	३१,५४,०००
मांग संख्या २३—वैदेशिक कार्य	४६,९३,०००
मांग संख्या २४—चन्द्र नगर	१,९४,०००
मांग संख्या २५—वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध व्यय	३२,०००
मांग संख्या २६—वित्त मन्त्रालय	१२,०३,०००
मांग संख्या २७—वहि-शुल्क	२८,१२,०००
मांग संख्या २८—उत्पादन शुल्कों सम्बन्धी	४५,३६,०००
मांग संख्या २९—विभिन्न कर निगम-कर सहित	२८,४०,०००
मांग संख्या ३०—अफ़ीम	२,५६,१३,०००
मांग संख्या ३१—टिकटें	९,९६,०००
मांग संख्या ३२—अन्य सरकारी विभागों को भुगतान	९२,०००
मांग संख्या ३३—लेखा परीक्षा	५८,९९,०००
मांग संख्या ३४—मुद्रा	१३,७०,०००
मांग संख्या ३५—टकसाल	८,०२,०००
मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन	१,९०,०००

मांग संख्या ३७--अधिवार्षिकी भत्ते तथा निवृत्ति वेतन . . . ५५,२४,०००

मांग संख्या ३८--वित्त मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभागों सम्बन्धी व्यय १६,०१,०००

मांग संख्या ३९--राज्यों को सहायता अनुदान . . . ३,५७,४७,०००

मांग संख्या ४०--संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन ३,५०,४७,०००

मांग संख्या ४१--असामान्य भुगतान १,९१,०१,०००

मांग संख्या ४२--पूर्व-विभाजन भुगतान १६,२०,०००

मांग संख्या ४३--खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ३,९०,०००

मांग संख्या ४४--वन २,८०,०००

मांग संख्या ४५--कृषि ३०,६९,०००

मांग संख्या ४६--असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें ३,०८,०००

मांग संख्या ४७--खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभागों सम्बन्धी व्यय ६,११,०००

मांग संख्या ४८--स्वास्थ्य मन्त्रालय ५३,०००

मांग संख्या ४९--चिकित्सा सेवाएं ८,९५,०००

मांग संख्या ५०--सार्वजनिक स्वास्थ्य ९,५९,०००

मांग संख्या ५१--स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बन्धी विविध व्यय . . . ६,३६,०००

मांग संख्या ५२--गृह-कार्य मन्त्रालय १०,६८,०००

मांग संख्या ५३--मन्त्रिमण्डल १,९९,०००

मांग संख्या ५४--दिल्ली १२,६०,०००

मांग संख्या ५५--पुलिस ५,७६,०००

मांग संख्या ५६--जन-गणना ८७,०००

मांग संख्या ५७--गृह-कार्य मन्त्रालय के विविध विभागों सम्बन्धी व्यय ९२,०००

मांग संख्या ५८--अंडमान तथा निकोबार द्वीप १४,६६,०००

मांग संख्या ५९--सूचना तथा प्रसारण मंत्री ८,५५,०००

मांग संख्या ६०--प्रसारण १९,०६,०००

मांग संख्या ६१--सिंचाई तथा विद्युत् ६६,०००

मांग संख्या ६२--सिंचाई (कार्य-संचालन व्यय), नौ-संचालन, बांध तथा नाली का काम--राजस्व से पूरा किया गया २,०००

मांग संख्या ६३--बहुप्रयोजनी नदी योजनायें ३,८०,०००

मांग संख्या ६४--सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय के अन्तर्गत विभागों सम्बन्धी व्यय	३,३७,०००
मांग संख्या ६५--श्रम मन्त्रालय	२,४४,०००
मांग संख्या ६६--खानों के मुख्य अधीक्षक	७४,०००
मांग संख्या ६७--श्रम मन्त्रालय के अन्तर्गत विभन्न विभागों सम्बन्धी व्यय	२६,४९,०००
मांग संख्या ६८--सेवा योजनालय तथा फिर से बसाने का विभाग	११,३२,०००
मांग संख्या ६९--असैनिक रक्षा	१०,०००
मांग संख्या ७०--विधि मंत्रालय	१४,६२,०००
मांग संख्या ७१--न्याय प्रशासन	१६,०००
मांग संख्या ७२--प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय	६०,०००
मांग संख्या ७३--भारत पर्यालोकन	८,६९,०००
मांग संख्या ७४--वनस्पतिक पर्यावलोकन	२२,०००
मांग संख्या ७५--प्राणी पर्यालोकन	३६,०००
मांग संख्या ७६--भू-परिमाप	४,२८,०००
मांग संख्या ७७--खानें	१,७९,०००
मांग संख्या ७८--वैज्ञानिक अनुसंधान	२६,३५,०००
मांग संख्या ७९--प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न विभागों सम्बन्धी व्यय	१,०००
मांग संख्या ८०--संसद् कार्य विभाग	१०,०००
मांग संख्या ८१--उत्पादन मंत्रालय	६२,०००
मांग संख्या ८२--नमक	१०,४९,०००
मांग संख्या ८३--उत्पादन मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालय	९,८३,०००
मांग संख्या ८४--उत्पादन मंत्रालय के विभिन्न विभागों सम्बन्धी व्यय	१५,३६,०००
मांग संख्या ८५--पुनर्वास मंत्रालय	१,६५,०००
मांग संख्या ८६--विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	१,०५,६३,०००
मांग संख्या ८७--पुनर्वास मंत्रालय के अंतर्गत विविध व्यय	३,०००
मांग संख्या ८८--राज्य मंत्रालय	९७,०००
मांग संख्या ८९--भारतीय राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	६४,०००
मांग संख्या ९०--कच्छ	९,२६,०००

मांग संख्या ९१—बिलासपुर	२,१३,०००
मांग संख्या ९२—मनीपुर	५,२९,०००
मांग संख्या ९३—त्रिपुरा	१०,११,०००
मांग संख्या ९४—राज्यों से सम्बन्ध	५,१८,०००
मांग संख्या ९५—राज्य मंत्रालय के अन्तर्गत विविध व्यय	४.९७,०००
मांग संख्या ९६—यातायात मंत्रालय	२,५९,०००
मांग संख्या ९७—पतन तथा पोत संचालन	५,२०,०००
मांग संख्या ९८—प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाश पोत . . .	६,६४,०००
मांग संख्या ९९—केन्द्रीय सड़क निधि	४७,९४,०००
मांग संख्या १००—संचरण के साधन (राजपथों सहित)	३९,३७,०००
मांग संख्या १०१—यातायात मंत्रालय के अन्तर्गत विविध व्यय . . .	३६,०००
मांग संख्या १०२—निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय . . .	१.८२,०००
मांग संख्या १०३—प्रदाय	२२,९७,०००
मांग संख्या १०४—अन्य असैनिक कार्य	१,२३,११,०००
मांग संख्या १०५—लिखने की सामग्री तथा छपाई	४१,१२,०००
मांग संख्या १०६—निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय के विभिन्न विभागों सम्बन्धी व्यय . .	३,८७,०००
मांग संख्या १०७—संसद्	११,३२,०००
मांग संख्या १०८—संसद् सचिवालय के अंतर्गत विविध व्यय . . .	२,०००
मांग संख्या १०९—उप-प्रधान का सचिवालय	७,०००
मांग संख्या ११०—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	५१,९०,०००
मांग संख्या १११—भारतीय डाक तथा तार विभाग का पूंजी व्यय (जो राजस्व से पूरा नहीं किया गया) . .	९०,०७,०००
मांग संख्या ११२—नागरिक विमान-चालन पर पूंजी व्यय . .	१९,३३,०००
मांग संख्या ११३—संचरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . .	९,६३,०००
मांग संख्या ११४—रक्षा पूंजी व्यय	१,५०,००,०००
मांग संख्या ११५—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय .	५०,०००
मांग संख्या ११६—भारत सुरक्षा प्रेस पर पूंजी व्यय . .	६५,०००
मांग संख्या ११७—मुद्रा पर पूंजी व्यय	२०,०००
मांग संख्या ११८—टिक्सालों पर पूंजी व्यय	४,२०,०००
मांग संख्या ११९—निवृत्ति वेतनों की एकत्रित राशि	८,६५,०००

मांग संख्या १२०—छटनी किए गए कर्मचारियों को भुगतान	१५,०००
मांग संख्या १२१—वित्त मंत्रालय के अन्य पूंजीगत व्यय	५९,२५,०००
मांग संख्या १२२—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम धन	२,२२,६९,०००
मांग संख्या १२३—जंगलों पर पूंजीगत व्यय	१,९३,०००
मांग संख्या १२४—खाद्यान्नों की खरीद	५०,००,००,०००
मांग संख्या १२५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य व्यय	१,६५,६२,०००
मांग संख्या १२६—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजीगत व्यय	२८,०१,०००
मांग संख्या १२७—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजीगत व्यय	२,३९,०००
मांग संख्या १२८—प्रसारण पर पूंजीगत व्यय	५,९४,०००
मांग संख्या १२९—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजीगत व्यय	३१,६५,०००
मांग संख्या १३०—सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय का अन्य व्यय	४३,३४,०००
मांग संख्या १३१—श्रम मंत्रालय का पूंजीगत व्यय	३८,०००
मांग संख्या १३२—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय का पूंजीगत व्यय	३३,५४,०००
मांग संख्या १३३—उत्पादन मंत्रालय का पूंजीगत व्यय	३३,५४,०००
मांग संख्या १३४—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजीगत व्यय	२,०८,०००
मांग संख्या १३५—राज्य मंत्रालय का पूंजीगत व्यय	३३,४०,०००
मांग संख्या १३६—पत्तनों पर पूंजीगत व्यय	२६,७१,०००
मांग संख्या १३७—सड़कों पर पूंजीगत व्यय	७२,३२,०००
मांग संख्या १३८—यातायात मंत्रालय का अन्य पूंजीगत व्यय	१८,९६,०००
मांग संख्या १३९—नई दिल्ली पर पूंजीगत व्यय	२१,५६,०००
मांग संख्या १४०—इमारतों पर पूंजीगत व्यय	७७,१५,०००
मांग संख्या १४१—निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय का पूंजीगत व्यय	७४,०००

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

वित मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के कुछ भाग में सेवाओं के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकालने के लिये व्यवस्था करने के हेतु विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के कुछ भाग में सेवाओं के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकालने के लिये व्यवस्था करने के हेतु विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को *पुरः स्थापित करता हूं।

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं *प्रस्ताव करता हूं कि :

"वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के कुछ भाग में सेवाओं के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने के लिये व्यवस्था करने के हेतु विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के कुछ भाग में सेवाओं के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने के लिये व्यवस्था करने के हेतु विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, २, ३ तथा अनुसूची, नाम और अधिनियम सूत्र को विधेयक का अंग बना लिया गया।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वर्ष १९५२-५३ के लिये रलवे सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें।

निम्नलिखित मांगों को प्रस्तुत किया गया :—

	रुपये
मांग संख्या ३—विविध व्यय—	१८,६२,०००
मांग संख्या ४—कार्य संचालन का सामान्य व्यय प्रशासन—	५३,००,०००
मांग संख्या ५—कार्य संचालन का सामान्य व्यय—मरम्मत तथा बनाए रखना—	१,६२,२०,०००
मांग संख्या ७—कार्य संचालन का सामान्य व्यय—चलाना (ईंधन)	६४,०९,०००
मांग संख्या ९-ए—कार्य संचालन का सामान्य व्यय—श्रम कल्याण—	३१,७३,०००
मांग संख्या १५—नई लाइनों का बनाना—	२५,०००
मांग संख्या २०—सामान्य राजस्व में डाला जाने वाला लाभांश	११,२२,०००

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब अनुपूरक मांगें बहस के लिये सदन के सामने प्रस्तुत हैं।

मुझे कुछ कटौती प्रस्तावों की सूचना मिली है। जहां तक इन कटौती प्रस्तावों का सम्बन्ध है, कटौती प्रस्ताव संख्या २ और ३ तो नियमानुसार हैं। संख्या १ तथा ६ मितव्ययता सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव हैं।

कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम तो मितव्ययता के सम्बन्ध में। ऐसे प्रस्तावों में ब्योरेवार उल्लेख्या ज़रूरी है कि किस प्रकार से ऐसी कटौती सम्भव है। इसके बिना सदन ऐसे कटौती प्रस्तावों पर विचार नहीं कर सकता।

दूसरी प्रकार के कटौती प्रस्ताव का सम्बन्ध नीति से होता है तथा इसमें सारी राशि

---

* राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पुरःस्थापित किया गया।

को अस्वीकृत कर देने का प्रस्ताव किया जाता है। अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में ऐसे प्रस्ताव केवल नई सेवाओं के सम्बन्ध में ही किए जाने चाहियें।

तीसरी प्रकार के कटौती प्रस्ताव व्यक्तिगत शिकायतों के सम्बन्ध में होते हैं।

इस विचार से संख्या १ और संख्या ६ के सम्बन्ध में अनुमति नहीं दी जा सकती। संख्या १३ भी अनुमति योग्य नहीं है। संख्या ४, ५, ७, ८, ९, १०, ११ तथा १२ भी नियमानुसार नहीं हैं क्योंकि वे ऐसे मामलों सम्बन्धी नीति के बारे में हैं जो अनुपूरक मांगों में नहीं आ सकते। कटौती प्रस्ताव ७ का पाठ्य इस प्रकार से है :

छबियाबीराजानगर तथा साक्ष्यमंगला रेलवे का बनाना

"कि नई लाइनों के बनान के सम्बन्ध में २५,००,००० रु० से अनाधिक राशि में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

अनुपूरक मांगों में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इसका बनना तो अभी आरम्भ नहीं हुआ है। परिमापन-कार्य समाप्त हो चुका है। माननीय मंत्री ने यह वचन दिया था कि सारे लाइन को बनाने का काम तुरन्त आरम्भ किया जायगा तथा कि काम को १९५६ में समाप्त कर दिया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आरम्भ में अनुदान ४८,९७,००० रु० था। अनुपूरक मांग २५,००,००० रु० है। यह राशि उन रेलवे लाइनों के लिये है जिनके लिए व्यवस्था की गई है तथा जिनका स्पष्टीकारक टिप्पणी में वर्णन किया गया है तथा जिन्हें इस वर्ष में आरम्भ किया गया है। आया किसी दूसरी रेलवे को आरम्भ किया जाना चाहिये, एक नीति सम्बन्धी मामला है। अनुपूरक मांग में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस परिस्थिति में इसकी यहां अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री नाम्बियार (मयूरम) : श्रीमान्, मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या १० दक्षिणी रेलवे श्रम संघ को मान्यता के पुनः न दिये जाने के बारे में है। यह एक निश्चित बात के बारे में है तथा "सामान्य कार्य-संचालन व्यय प्रशासन" के अन्तर्गत है। अतः मैं समझता हूं कि इस पर विचार हो सकता है।

मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या १४ रेल कर्मचारियों के लिये पास, चिकित्सा सम्बन्धी सहायता तथा उत्तर पूर्वी रेलवे के पांडू इलाके में सुविधाओं को अधिक अच्छा करने के बारे में है। मांग संख्या ९५ में इन आकलनों को वसूलियों के सामने दिखाया गया है। शेष धन को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के लिए रखा गया है तथा उत्तर पूर्वी रेलवे के पांडू क्षेत्र में मलेरिया विरोधी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। अतः मेरा निवेदन है संख्या १४ भी नियमानुसार है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के कटौती प्रस्ताव संख्या १० का उद्देश्य 'दक्षिण रेलवे श्रम संघ' को मान्यता से इन्कार पर बहस करना है। माननीय सदस्य को स्मरण रहना चाहिये कि अनुपूरक मांगों पर बहस निश्चित सीमा तक ही हो सकती है। यदि कथित ५३ लाख रुपये में से पहिले उक्त संघ को कुछ रुपया दिया जाता था जो अब नहीं दिया गया तो बात और है। मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

अब कटौती प्रस्ताव १४ के बारे में स्थिति यह है कि प्रारम्भिक स्थूल आवण्टन की तुलना में पुनरावर्तित आंक में ३१·७३ लाख रु० की वृद्धि की गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस मांग की सीमा में से २१ लाख रु० की वसूलियों को निकाल दिया

[उपाध्यक्ष महोदय]

गया है जिसे प्रारम्भ में आय-व्ययक के समय मांग की राशि में शामिल किया गया था। इन आकलनों को वसूलियों के सामने दिखाया गया है तथा शेष की वृद्धि को उत्तरी दक्षिणी रेलवे के पांडू क्षेत्र में मलेरिया विरोधी उपायों तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये रखा गया है। अब माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ?

श्री नम्बियार : जिन बातों पर बहस की जाती है, वे ये हैं कि क्या इस समय जो चिकित्सा सहायता दी जा रही है, वह काफ़ी है अथवा कि कुछ अधिक सहायता की आवश्यकता है अथवा क्या इतना धन काफ़ी है या और दिया जाना चाहिये ?

उपाध्यक्ष महोदय : केवल इतनी बात के देखने की आवश्यकता है कि इस धन को उचित ढंग से व्यय किया गया है या नहीं। यह एक नीति सम्बन्धी मामला प्रतीत होता है। कोई और बात ?

श्री विट्टल राव (खम्मम्) : कटौती प्रस्ताव १२ तथा १३।

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव १२ में "नवम्बर १९५१ में नियुक्त की गई ईंधन जांच समिति की रिपोर्ट को प्रकाशित करने में असामान्य देरी" पर बहस करने की चेष्टा की गई है। यह एक नीति सम्बन्धी मामला है कि क्या ६४ लाख रु० में से किसी भाग को खर्च किया गया है या वापस लिया गया है।

कटौती प्रस्ताव संख्या १३ "बन्द्रचेहलम रोड, केन्द्रीय रेलवे पर डिब्बों की कम संख्या में व्यवस्था" के बारे में है। मांग संख्या ७ कोयले आदि पर व्यय के सम्बन्ध में है। इसमें रेलवे की खानों के चलाने से हो रही हानि भी शामिल की गई है। यह मामला कैसे उठता है ?

श्री विट्टल राव : इसमें दक्षिण रेलवे के पास फालतू धन की ओर निर्देश किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका मुख्य कारण समुद्री मार्ग से कोयले की अधिक मात्रा को ले जाने की आवश्यकता तथा जलाने के तेल की कीमत के -/८/९ रु०से बढ़ कर १२ आ०प्रति गैलन हो जाने की दृष्टि से की गई अधिक व्यवस्था है। पूर्वी रेलवे के सम्बन्ध में जो वृद्धि की गई है, उसका उद्देश्य उन रेलवे खानों की हानि को पूरा करना है जो इस समय हानि उठा कर कार्य कर रही हैं। अब 'डिब्बों' के न दे सकने का प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री विट्टल राव : यदि अधिक डिब्बे दिये जायें तो अधिक कोयला ले जाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एक आम समस्या है।

श्री विट्टल राव : हमने अपने धन को खो दिया है। ईंधन जांच समिति को कोयले को बचा कर रखने के निश्चित अभिप्राय से स्थापित किया गया था तथा इस बात के देखने के लिये भी यह क्या गोदावरी तथा वर्धा घाटी से कोयले का वितरण उचित ढंग से किया जाता है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। परन्तु इस के सम्बन्ध में कही गई सभी बातें नीति के मामलों से सम्बन्ध रखती हैं।

अब जिन कटौती प्रस्तावों की अनुमति दी जा सकती है, वे संख्या १, २, ३, ६ और १४ हैं। अब अनुपूरक मांगों तथा अभी प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों पर बहस आरम्भ की जाय।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं मांग संख्या ३ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

मैं एक महत्वपूर्ण मामले पर बोलना चाहता हूं तथा वह रेलवे की शताब्दी के मनाने के सम्बन्ध में है जिस सम्बन्ध में सरकार प्रदर्शनी के प्रबन्ध करना चाहती है। स्पष्टीकारक टिप्पणी के अनुसार तथा शताब्दी अंक के अनुसार इस मांग में शताब्दी प्रदर्शनी के लिए ही मुख्यत: व्यवस्था की गई है।

मैं दिल्ली में की जा रही रेलवे प्रदर्शनी की पूर्ण आलोचना तो नहीं करना चाहता, परन्तु इस प्रश्न के एक दो पहलू हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। सरकार इस प्रदर्शनी पर १८,६२,००० रु० का व्यय करना चाहती है जिसे प्रवेश टिकट तथा चन्दे आदि से पूरा किया जायगा। इसे किसी प्रकार से भी पूरा क्यों न किया जाय, मेरा सम्बन्ध केवल व्यय से है। मेरे निकट रेलवे के इतिहास, विकास तथा अन्य बातों को दिखलाने मात्र पर इतनी अधिक राशि का व्यय करना हास्यजनक तथा व्यर्थ सी बात है। मन्त्री महोदय ने स्पष्टीकारक टिप्पणी में व्यय की किसी मद का वर्णन नहीं किया है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर किन प्रयोजनों से इतने अधिक धन की आवश्यकता है। ऐसा जाने बिना हम इस मांग की पुष्टि नहीं कर सकते।

श्रीमान्, आप जानते हैं कि हमारी रेलवे में पहिले समय में कुछ त्रुटियां रही हैं। मैं नहीं समझ सकता कि पहिली गन्दगी को धोने के लिये इतने अधिक धन की क्यों आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि शताब्दी अंक पर कितनी राशि का व्यय किया जायगा तथा इस अंक को किस रूप में प्रकाशित किया जायगा तथा क्या इसे सभी भाषाओं में प्रकाशित किया जायगा तथा क्या प्रदर्शनी के समय यह उपलब्ध भी हो सकेगा। अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदर्शनी के लिए इतने धन के व्यय की आवश्यकता नहीं है। यदि माननीय मंत्री चाहें तो इस व्यय में कुछ मितव्ययता की जा सकती है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह प्रदर्शनी कितने समय तक रहेगी तथा इससे कितने धन के प्राप्त होने की आशा की जाती है तथा किस किस प्रकार से इसे प्राप्त किया जायगा।

श्री नम्बियार : मेरा दृष्टिकोण यह है कि इस प्रदर्शनी को संगठित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मेरा कहना यह है कि पिछले १०० वर्षों में उन्होंने रेलवे का विकास तो दिखलाया है, परन्तु इस काल में रेल-कर्मचारियों द्वारा झेली गई कठिनाइयों को नहीं दिखलाया गया। वर्तमान सरकार को रेलवे के विकास का कोई श्रेय प्राप्त नहीं तथा ब्रिटिश सरकार ने भी इसे केवल धन के कमाने का ही साधन बनाया था। आज वे सभी बातें दिखला रहे हैं, परन्तु रेल कर्मचारियों की मुसीबतों तथा कठिनाइयों को बिल्कुल नहीं दिखला रहे। कम से कम रेल कर्मचारियों के लिए मकान की व्यवस्था तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में वहां एक चार्ट ही रखा जा सकता है।

हजारों रेल कर्मचारी क्षय-रोग से पीड़ित हैं, परन्तु एक के मामले में भी कोई सहायता नहीं दी गई है। प्रदर्शनी में इस प्रकार की बातों को प्रदर्शित नहीं किया गया है। इससे मैं रेलवे प्रशासन की हंसी नहीं उड़ाना चाहता हूं, मुझे तो केवल यह दिखलाना है कि पिछले १०० वर्ष में रेल कर्मचारी किस अवस्था में काम करते आ रहे हैं। कई सौ कर्मचारी रेल दुर्घटनाओं में मर चुके हैं, परन्तु आपने प्रदर्शनी में किसी रेलवे के शहीद का वृत्तान्त नहीं रखा है। प्रदर्शनी में पिछले १०० वर्षों में हुए विकास तथा उन्नति और असफलताओं दोनों को ही दिखाया जाना चाहिये।

[श्री नम्बियार]

दक्षिण भारत से कुछ सौ रेल कर्मचारियों को प्रदर्शनी के काम के लिए दिल्ली लाया गया है। चलते समय उन्हें दिल्ली में रहने के दौरान में ३/८/- रु० प्रतिदिन देने का वचन किया गया था, परन्तु अब उन्हें केवल १ रु० ८ आना प्रतिदिन ही दिये जा रहे हैं। उन्होंने व्यापार संघ से प्रतिनिधान किया है। माननीय मंत्री को इस बारे में अवश्य कुछ करना चाहिये।

इस के अतिरिक्त दक्षिण भारत से आये हुए ये रेल कर्मचारी प्रदर्शनी के वन जैसे स्थान में रेल डिब्बों में निवास कर रहे हैं जो स्वयं एक प्रदर्शनी है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस ओर भी ध्यान दें।

'गोल्डन राक' रेल कारखाने से कुछ नमूने इस प्रदर्शनी के लिये लाए गए हैं जिनमें से एक नमूना छात्रावास का है जो इस समय बिल्कुल खाली पड़ा है। दूसरा नमूना एक स्कूल का है। अच्छा होता यदि उस स्कूल के इतिहास तथा प्रबन्ध के बारे में भी कुछ सूचना दी गई होती। ईमानदारी की प्रदर्शनी तो तभी कहला सकती है।

'रेलवे शताब्दी अंक' के प्रकाशित करने के लिए एक पत्रकार सज्जन को १०,००० रु० दिया गया है। साथ ही उसे एक प्रथम दर्जे का पास विभिन्न केन्द्रों की यात्रा के लिए दिया गया था तथा पता नहीं यात्रा भत्ते आदि के रूप में उसे और कितना धन दिया गया है। परन्तु जब उन्होंने उक्त अंक का प्रारूप पेश किया तो उसे बेकार समझा गया है तथा इस प्रकार से १०,००० रु० व्यर्थ में नष्ट कर दिए गए हैं। इस हानि से बचा जा सकता था। यदि हमें कोई प्रदर्शनी संगठित करनी ही है तो इस प्रकार से धन नष्ट नहीं होना चाहिये।

हमारे महान् नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू हाल में किलोन-अर्नाकुलम रेलवे के बनाने के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। इस समारोह पर कई हज़ार रुपये का व्यय कर दिया गया है। मेरी सूचना के अनुसार यह ३०,००० रु० है। इस व्यय को अर्नाकुलम प्लेटफार्म तथा प्लेट फार्म तक ले जाने वाली सड़क के खाते में डाल दिया गया है। मैंने इस पर एक प्रश्न की भी सूचना दे रखी है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किलोन-अर्नाकुलम् लाइन को अवश्य ही बड़ी लाइन बनाया जाना चाहिये। कल इस सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया था, वह सन्तोषजनक नहीं था। यह अब नीति का मामला नहीं है, अपितु निर्माण-कार्य से सम्बन्ध रखता है।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकारक टिप्पणी से पता चलता है कि व्यय का मुख्य भाग इस परियोजना के सम्बन्ध में भूमि के प्राप्त करने के सम्बन्ध में है। यदि धन स्वीकृत सीमा से अधिक राशि में व्यय हो चुका है या यदि त्रावणकोर-कोचीन के लोग इतने उदार हैं कि भूमि को मुफ्त देने के लिये तैयार हैं तो चर्चा निरर्थक हो जाती है।

श्री नम्बियार : मेरी प्रार्थना है कि उन्हें स्थिति पर फिर विचार करना चाहिये।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, हमें इसलिये आश्चर्य हो रहा है कि इसी साल में यह तीसरा सप्लीमेन्टरी बजट पेश हो रहा है। बजट बनाते वक्त शायद आपकी मिनिस्ट्री को गौर करना पड़ता होगा कि बिना गौर मामूली वजूहात की बिना पर कभी सप्लीमेंटरी बजट पेश न किया जाय। यह जो रेलवे का सप्लीमेन्टरी बजट है उस का डिमान्ड नं० ३ के फ़ुट नोट पर अगर हम देखें तो यह लिखा हुआ है :

"इस मांग में विभिन्न मदों पर व्यय अर्थात् ब्रांच लाइन कम्पनियों को उनके संविदा की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा मुफ्त दी गई भूमि की वास्तविक क़ीमत, परिमाप, कर्मचारियों पर निवृत्ति वेतन सम्बन्धी व्यय, अन्य विविध स्थापना तथा समस्याओं की जांच तथा हल पर किए गए व्यय आदि की व्यवस्था की गई है।"

पेंशन और स्टाफ़ के खर्च का जो अन्दाजा है वह तो जब पूरे साल का बजट पेश किया जाता है उसी वक्त किया जा सकता है। फिर इसे सप्लीमेन्टरी बजट में दोबारा शामिल करने की क्या वजह है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह डिमाण्ड जो है वह साल के दौरान में जो नया स्टाफ़ रखा गया है उस के लिये है या पहले के स्टाफ़ को ही ज्यादा देना पड़ा इसलिये है ?

दूसरी बात यह है कि एग्जिबिशन (प्रदर्शनी) के लिये भी इस में डिमान्ड पेश की गई है। मेरा कहना इस सम्बन्ध में यह है कि एग्जिबिशन की जरूरत हमें उसी वक्त होगी जब कि सेन्ट पर सेन्ट पार्टस हमारे हिन्दुस्तान में ही बनाने लगें जब आपकी चितरंजन फेक्टरी सारे पार्टस बनाने लगे तब साल दो साल में आप रेलवे की एग्जिबिशन करें तो ठीक होगा। इस एग्जिबिशन पर जो पैसा खर्च हो रहा है वह गैर जरूरी मालूम पड़ता है।

तीसरी बात इसमें नई लाइन्स पर खर्च करने की है। जैसा अभी हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने भी इशारा किया, आप को मुफ्त या बहुत कम पैसे दे कर जमीन मिल सकती है, इसलिये इस मद में भी ज्यादा पैसा रखने की कोई जरूरत नहीं है।

यह शिकायत भी बहुत सी आती हैं कि लाइन्स बनाने वाले इंजीनियर पैमाइश करने जाते हैं तो जब कभी उनको बाहर जाना होता है तो स्टेट लाइन से न जा कर कहीं से कहीं जाया करते हैं और पैमाइश करते हैं। इसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिये।

मुझे ज्यादा बहुत कहना नहीं है। सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूं कि सप्लीमेन्टरी बजट जो पेश हो रहा है उस में तीसरी डिमांड में, जब कि सारे बजट में ७१ लाख २९ हजार रक्खा गया था, अब १८ लाख की मांग की जा रही है। कुल डिमान्ड का तकरीबन चौथाई हिस्सा लिया जा रहा है। एक या दो महीने के लिये इतना ज्यादा पैसा लेकर खर्च करने से यह मालूम होता है कि बजट में कहीं खामी जरूर है।

हमको रेलवे का जो फ़ाइनेंसिंग सिस्टम (वित्तीय व्यवस्था) है उसको वाज़े तौर पर बता देना चाहिये कि हमारे हाउस की एकाउन्टस कमेटी (लेखा समिति) ने जो किताब शाया की है और उसमें नुकताचीनी की है और जो सुधार बताये हैं उन पर हमें कारबन्द होना है और उसके सुझावों के मुताबिक फ़ाइनेंशियल एडजस्टमेंट (वित्तीय समायोजन) किये बगैर कोई सुधार नहीं हो सकेगा। लिहाजा पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी द्वारा दी गई रोशनी को अपने सामने रखते हुए हमें हर साल ही नहीं बल्कि हर तीसरे चौथे महीने अपनी फ़ाइनेंशियल पोजीशन को रिव्य (पुनर्वलोकन) करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी आर्थिक हालत को ठीक किये बगैर हम खर्च में बचत नहीं कर सकते, बजट को देखने से वाजे होता है कि हमको साल में चौदह करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ और अगर हम अपनी आर्थिक हालत की तरफ़ पब्लिक एकाउन्टस कमेटी के सुझावों की रोशनी में गौर नहीं करेंगे तो हमारे यह रेलवे का विभाग जो आमदनी का बहुत बड़ा साधन है, उसमें हमें नुक़सान का सामना करना पड़ेगा। आजादी हासिल हो जाने के बाद हम को अपने स्टाफ़ के खर्चे

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

वगैरह को जांचना और उस सब को रीआरगनाइज (पुनर्संगठन) करना जरूरी था, जहां तक सरकारी कर्मचारियों के वेतन का सम्बन्ध है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंडिया गवर्नमेंट का अफ़सर २५०० या २००० रुपये मासिक से ज्यादा तनख्वाह पाये, हां एक्सपर्टस (विशेषज्ञ) को जरूर आवश्यकतानुसार इस से ज्यादा दिया जा सकता है क्योंकि उनका कोई परमानेंट अरेंजमेंट तो होता नहीं है। मंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि एक एक पैसा जो हम कंसालिडेटेड फ़ंड (संचित निधि) में प्रोवाइड करते हैं वह सारा पैसा टैक्सपेयर की जेब से आता है, वह पैसा उसके खून और मेहनत से कमाया होता है, इसलिये हम को उसको मंजूर करने से पहले खूब अच्छी तरह से जांच लेना चाहिये कि कोई पैसा गैर जरूरी तौर पर तो नहीं खर्च में लाया जा रहा है।

सप्लीमेंटरी डिमांड नम्बर १५ पर मेरा जो अमेन्डमेंट (संशोधन) है, उसको पेश करते हुए दो चार शब्द कहना चाहता हूं कि आप के इस्टीमेट (आंक) में और एक्चुअल में बड़ा फ़र्क़ पड़ जाता है, इस साल क़रीब पच्चीस लाख का फ़र्क़ पड़ गया है, दो, चार लाख का फ़र्क़ तो एस्टीमेट में पड़ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा फ़र्क़ वाक़ई बहुत चिन्ता का विषय है। उस वक्त पार्लियामेंट ने ४८·९७ लाख रुपया मंजूर कर लिया था, लेकिन अब जो ७३·९७ दिखाया गया है, यह काफ़ी ज्यादा है और यह बात कुछ ना मुनासिब और अनुचित समझी जायेगी, इस में यह कहा गया है कि:

"संगनर टाऊन द्योली विस्तर परियोजन के कार्य में प्रगति के निमित्त अतिरिक्त व्यवस्था—१३ लाख। गंगा पुल परियोजना पर निर्माण कार्य का फिर से आरम्भ करना ४ ख।"

इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब आप ऐसी स्कीमों और कंस्ट्रक्शन्स (निर्माण) के लिये इस्टीमेट पेश करते हैं, तो उसको मंजूरी के लिये पेश करने से पहले एक्सपर्टस से उसकी अच्छी तरह से जांच करा लेनी चाहिये जिससे बाद में बहुत ज्यादा चेंजेज (परिवर्तन) न करनी पड़ें और बहुत ज्यादा फ़र्क़ न पड़े। यह अक्सर देखने में आता है कि इंजीनियर्स एक प्लान तैयार करते हैं और फिर चार महीने के बाद और ज्यादा पैसा बढ़वाने की ग़रज से उस प्लान को चेंज कर देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे और यह देखे कि पहले जो इस्टीमेट मंजूर कराया जाय, वह काफ़ी जांच-पड़ताल करके तैयार कराया जाय ताकि बाद में कोई बड़ा फ़र्क़ न निकले।

अन्त में मैं रेलवे में जो लेबर काम करती है उसके लिये जो इस में रक़म मांगी गयी है, उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं और यह चीज स्वागत योग्य है, रेलवे वरर्कस (रेल कर्मचारी) की हालत सुधारने के लिये आप जितनी भी रक़म मांगें वह कम होगी क्योंकि आखिर इतने बड़े रेलवे विभाग को ये ही तो चलाने वाले हैं। अगर आप को रेलवे के कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिये फंड उपलब्ध न हों, तो मैं तो यह सुझाव दूंगा कि आप की रेलवे टिकट पर एक आना लेबर वेलफेयर फंड (श्रम कल्याण निधि) में लें और अपर क्लास टिकट पर दो आने लें।

मैं आखिर में यह जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स हैं इन पर सिवाय लेबर वेलफ़ेयर फ़ंड के सब के खिलाफ़ अपनी राय को जाहिर करते हुए मैं अपील करना चाहूंगा कि इस तरह के

सप्लीमेंटरी डिमांड्स बार बार हाउस के सामने न आयें और इस सिलसिले में जो कुछ पैसा बच सकता हो उसको बचाने के लिये मिनिस्टर, रेलवे बोर्ड और उनका विभाग कुछ उठा न रखे, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री विट्टल राव : पिछले वर्ष आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय माननीय मन्त्री ने कहा था कि हम एक प्रदर्शनी संगठित करने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें इस व्यय की उस समय सूझ क्यों नहीं पड़ी ? उन्होंने स्वयं आयव्ययक में ही इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की तथा क्या कारण है कि अब १८ लाख जैसी बड़ी राशि की मांग कर रहे हैं ?

यह एक विचित्र बात है कि हम १९५३–५४ के लिए तो बजट पास कर चुके हैं, परन्तु हम से १९५२–५३ के सम्बन्ध में अनुपूरक मांगों के स्वीकार करने के लिये कहा जा रहा है।

प्रदर्शनी का विचार तो अच्छा है। परन्तु हमें सावधान रहना चाहिये कि इससे भारतीय रेलों के पिछले १०० वर्ष के विकास का ठीक ठीक अनुमान मिलना चाहिये। सर्वप्रथम बात कर्मचारियों के रहने की अवस्था अब क्या है तथा उस समय क्या थी। कोई सौ या सत्तर वर्ष पहले महाराजा पटियाला ने स्वर्गीय महाराजा पटियाला ने बठिंडा रेलवे कालोनी में रेल कर्मचारियों के लिए कुछ मकान बनवाए थे। वे भी दिखाए जाने चाहियें। रेल कर्मचारियों के लिए मकानों के बनाने में प्रगति तथा उनकी संख्या आदि के बारे में पूरी सूचना दी जानी चाहिए।

रेल गाड़ियों में भीड़ तथा तीसरे दर्जे के यात्रियों की कठिनाइयों के बारे में भी सूचना की व्यवस्था की जानी चाहिये।

सब से महत्वपूर्ण बात जो दिखाई जानी चाहिये, वह है कि किस प्रकार से रेलवे वित्त से सरकार द्वारा आरम्भ किए गए उद्योगों के विकास में सहायता मिली है। भारत सरकार के कारखानों को कई प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं। वे सब बतलाई जानी चाहियें।

एक और बात देश की रक्षा के बारे में है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हम रक्षा विभाग के लिये काफ़ी वित्त की सहायता करते रहे हैं। रक्षा सेवाओं को तथा उनके सामान के लाने ले जाने के सम्बन्ध में हमने किराये तथा भाड़े की काफ़ी रियायतें दी रखी हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे लाइन को बनाने के लिये हमें भूमि की कीमत देनी पड़ती है। ये सब बातें उक्त प्रदर्शनी में दिखाई जानी चाहियें।

बहुत से रेल संघों ने शताब्दी प्रदर्शनी के किये जाने की विचार की सराहना की है। उन्होंने इस अवसर पर एक मास के बोनस की मांग की है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करें तथा उन्हें एक मास का बोनस दें।

श्री अलगेशन : इस चर्चा में प्रदर्शनी का बार बार वर्णन किया गया है, परन्तु केवल परस्पर विरोधी मत ही व्यक्त किए गए हैं। एक सदस्य ने मितव्ययता से काम लेने पर ज़ोर दिया है तो अन्तिम वक्ता ने इस अवसर को बड़ी धूम धाम से मनाने पर ज़ोर दिया है। उन्होंने रेल कर्मचारियों को एक मास का बोनस दिये जाने के लिये भी कहा है। परन्तु यह नहीं हो सकता है कि मितव्ययता भी रहे तथा इसे धूमधाम से भी मनाया जाय। इस प्रदर्शनी का मुख्य ध्येय यह है कि जनता को ऐसा अनुभव कराया जाय कि यह उनकी अपनी रेलें हैं तथा इस बारे में उन्हें सारी सूचना दी जाय। यदि यह ध्येय हमारे सामने है तो हमें समझ लेना चाहिये कि जितना धन हम इस पर व्यय करने जा रहे हैं, वह कोई बहुत अधिक नहीं है। जैसा कि माननीय

[श्री अलगेशन]

मंत्री ने सदन को विश्वास दिलाया है, व्यय के काफ़ी बड़े भाग को हम पुन: वसूल कर सकेंगे। यदि कुछ शेष रह भी गया तो यह बहुत मामूली सी राशि होगी। अतएव सदन को ऐसा अनुभव करने का कोई उचित कारण नहीं मिलेगा कि इस पर बहुत अधिक व्यय किया गया है।

इसके बाद यह कहा गया है कि हमें रेलवे के इतिहास को ठीक ठीक बतलाना चाहिये। निश्चय ही प्रदर्शनी का उद्देश्य सफलताओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखलाना नहीं है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य केवल यह है कि जितनी सफलता हुई है, उतनी ही दिखलाई जाय। यह प्रस्तावना भी की गई है कि दो प्रदर्शनी गाड़ियां भी देश भर में चलाई जायं ताकि जो लोग यहां नहीं आ सकते तथा प्रदर्शनी को नहीं देख सकते वह स्वयं इसे देख सकें कि इस १०० वर्ष के लम्बे काल में कितनी सफलता प्राप्त की गई है।

कुछ बातें शताब्दी अंक के प्रकाशित करने के बारे में कही गई हैं। मैं समझता हूं कि इस बात में कोई सत्य नहीं है कि उक्त अंक के प्रकाशन में कोई धन नष्ट किया जा रहा है। हम इसे अवश्य ही प्रकाशित कर रहे हैं। इसमें प्रारम्भ से लेकर आज तक के रेलवे इतिहास को चित्रित किया जायगा। यह एक अद्वितीय अवसर है तथा जितना धन हम इसके प्रकाशन पर व्यय कर रहे हैं, वह कुछ अधिक नहीं है।

कुछ बातें किलोन-अर्नाकुलम् रेलवे-गाड़ि के बारे में कही गई हैं। मैं तथा माननीय मंत्री उस अवसर पर मौजूद थे। यह एक बहुत साधारण सा समारोह था। प्रधान मंत्री द्वारा प्रयोग में लाए गए कुदाल को वहां रखा गया है ताकि उसे लोग देख सकें तथा इस अवसर का स्मरण होता रहे। यह चांदी का बना हुआ नहीं है।

मैं समझता हूं कि मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नम्बियार : प्रदर्शनी की पुस्तक के बारे में स्पष्टीकरण के हेतु, कहा यह गया है कि कुछ पत्रकारों को इस काम के लिये कहा गया था तथा इसके लिये १०,००० रु० देना मंजूर किया गया था। उन्होंने भ्रमण किया, परन्तु उनकी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह १०,००० रु० बेकार गए हैं?

श्री अलगेशन : जब हमने इस कार्य को आरम्भ करने का विचार किया था तो हमने सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय को लिखा तथा उस मन्त्रालय ने जिन महानुभाव की सिफारिश की, उन्हें यह काम सौंपा गया। उसने अवश्य सफ़र किया था, परन्तु इस पर १३०० रु० से अधिक व्यय नहीं हुआ। यह व्यय केवल १२६० रु० है।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि आपने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया है या दूसरी रिपोर्ट को?

श्री अलगेशन : हम इस संस्करण को प्रकाशित कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे अस्वीकार नहीं किया गया है।

श्री विट्टल राव : मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे उद्योगों के विकास में रेलवे के वित्त को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जा रहा है तथा रक्षा मन्त्रालय को क्या क्या रियायतें दी जा रही हैं। यह सत्य है कि सब रेलवे सरकार के सभी उद्योगों में सहायता दे रही है मैं इस बारे में एक ग्राफ़ चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री इसे तत्काल नहीं चाहते। प्रदर्शनी के बारे में माननीय मंत्री इन सब बातों पर अवश्य ही विचार करेंगे।

इसके बाद मांग संख्या ३ के सम्बन्ध में तीन कटौती प्रस्तावों पर मत लिए गए तथा वे सभी रद्द हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में "विविध व्यय" के अन्तर्गत जो व्यय होगा, उसके लिए राष्ट्रपति को १८,६२,००० रु० तक की राशि दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अन्य कटौती प्रस्तावों के समेत शेष की सभी मांगें अर्थात् संख्या ४, ५, ७, ९-ए, १५ तथा २० को विचाराधीन समझा जाय।

श्री नम्बियार : सर्वप्रथम मैं मांग संख्या ४ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चय ही मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री विट्टल राव : मैं मांग संख्या ७ तथा २० के सम्बन्ध में बोलूंगा।

केवल पिछले ही वर्ष आयव्ययक सत्र में श्री सोमानी ने माननीय मंत्री का ध्यान डिब्बों की कमी की ओर दिलाया था। उन्होंने बतलाया था कि किस प्रकार खानों से मिलों तक कोयले को न ला सकने के कारण वह विदेशों से मंगाए गए जलाने के तेल पर पांच छः करोड़ रु० प्रति वर्ष व्यय कर रहे हैं। इससे स्वयं हमारे उद्योग पर प्रभाव पड़ रहा है। सभी रेल क्षेत्रों के लिये प्रति वर्ष १,००,००,००० टन कोयले की आवश्यकता है। मुझे केवल दक्षिण रेलवे की वार्षिक आवश्यकता के बारे में बोलना है जो १६ लाख टन प्रति वर्ष है तथा जिसे दक्षिण रेलवे के ऊपर पास वाली खानें पूरा कर सकती हैं।

डिब्बों की कमी से एक और कठिनाई का सामना हो रहा है। खानों के 'सिन्गेरेन्ट गुट' नाम के व्यवसाय के प्रबन्धक महोदय ने स्वयं मुझे बतलाया कि वह कोयले के उत्पादन को १३,००० टन प्रति मास से १५,००० टन प्रति मास बढ़ाना चाहते थे, परन्तु डिब्बों के अभाव से वे ऐसा नहीं कर सके। स्पष्ट है कि डिब्बों की कमी का प्रभाव कोयले के उत्पादन पर भी पड़ रहा है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव सभापति पद पर आसीन हुए]

वह व्यवसाय १५०० से २००० टन कोयला प्रतिदिन निकालने वाला है। कहा नहीं जा सकता है कि इसे मिलों आदि तक कैसे भेजा जा सकेगा।

जहां तक ईंधन जांच समिति का सम्बन्ध है, जितना शीघ्र इस जांच की रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया जायगा उतना ही अच्छा रहेगा।

मांग संख्या २० की चर्चा करते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह ११ लाख से कुछ अधिक व्यय के करने का क्या कारण है। हो सकता है कि मैं ग़लत हूं, परन्तु मेरा विचार है कि यह राशि पूंजीगत कार्यों के सम्बन्ध में सामान्य राजस्व को दिया जाने वाला ४ प्रतिशत लाभांश का ब्याज है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष यह व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। मेरा मत है कि ऐसे मामलों में जब तक परियोजना लाभदायक न बन जाय, सामान्य राजस्व को कोई लाभांश नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री नम्बियार : मैं मांग संख्या ४ के विरोध में नहीं हूं, परन्तु मैं समझता हूं कि इसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अन्तर्गत संयुक्त मंत्रणा समिति

[श्री नम्बियार]

की विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये धन की मांग की गई है। मेरे विचार से उक्त समिति की कई सिफारिशें कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध हैं। उच्च वेतन-क्रम के प्रश्न को संतोषजनक ढंग से नहीं सुलझाया गया है। जो अच्छी सिफारिशें हैं भी तो उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सामान्य नियुक्तियों के सिवाय, सभी नौकरियों के विषय में, २५ प्रतिशत मामलों में उच्च वेतन में तरक्की दी जानी चाहिये। स्टेशन-मास्टरों के बारे में यह प्रतिशतता १२½ प्रतिशत ही है। जब वेतन आयोग २५ प्रतिशत की सिफारिश करता है तो संयुक्त मंत्रणा समिति १२½ प्रतिशत की सिफारिश क्यों करती है?

सचिवीय कर्मचारियों के विषय में कि संयुक्त मंत्रणा समिति ने केवल २५ प्रतिशत को ऊंचे वेतन क्रम में रखे जाने के लिये सिफारिश की है। शेष के ७५ प्रतिशत को निचले वेतन क्रम में ही रहना पड़ेगा तथा चाहे वे ग्रेजुएट हों, २१ वर्ष की सेवा के बाद उन्हें १३० रु० पर सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस प्रतिशतता को बदल दिया जाय।

अब आप कारीगरों के प्रश्न को लीजिये। बहुत से मामलों में संयुक्त मन्त्रणा समिति की सिफारिशें कर्मचारियों के विरुद्ध हैं। गोल्डन राक कारखाने में ही ५० प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को अर्ध-प्रशिक्षित स्तर में रख दिया गया है। मैंने रेलवे बोर्ड को इस सम्बन्ध में बारम्बार लिखा है। कोई सोलह बातों के सम्बन्ध में मैंने चर्चा की है। उनके बारे में कर्मचारी बड़ा विरोध प्रकट कर रहे हैं। उच्च वेतन में रखने के बारे में बहुत वेदना जान पड़ती है। सरकार को चाहिये कि उनकी सहायता के तुरन्त प्रबन्ध करे।

ज्येष्ठता समिति के बारे में स्थिति यह है कि दक्षिण भारत रेलवे में पहले ज़िला वार व्यवस्था की गई थी जो रेलवे का ज़िला कहलाता था। सारे ज़िले में एक ज्यष्ठता सूची रखी जाती थी। दूसरी रेलों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था सम्भवतः डिवीजन वार थी। सारे 'मीटर गेज' क्षेत्र को एक क्षेत्र समझा जाता था। उसमें किसी व्यक्ति को पता नहीं चलता था कि उसे तरक्की कब मिलेगी या मिलने पर कहां नियुक्त किया जायगा। न ही उसे तरक्कियों की प्रतिशत संख्या की सूचना होती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस ज्येष्ठता समिति का काम क्या है तथा क्या उन्होंने कोई तरीक़ा निकाला है। क्या ज़िले को आधार क्षेत्र रखा गया है या डिवीजन को या हल्के को? क्या ज्येष्ठता समिति किसी व्यक्ति को एक कोने से उठा कर दूसरे कोने में फेंकना चाहती है? बड़ी लाइन के सम्बन्ध में भी स्थिति यही है। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह देखें कि क्या इस समिति के काम से कोई लाभ भी प्राप्त हुआ है या नहीं तथा क्या इससे कोई असंगतियां तो उत्पन्न नहीं होंगी? लोगों को कई कई सौ मील परे स्थानान्तरित कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस मामले को शीघ्र ठीक किया जाय। तरक्की के नाम में कई व्यक्ति स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। कई एक ने अपील भी की, परन्तु उनकी अपील को स्वीकार नहीं किया गया। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस मामले पर ध्यान-पूर्वक विचार करेंगे।

अब मैं मांग संख्या ९५ को लेता हूं। इस मांग के अन्तर्गत एक बात पांडू क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधाओं की है तथा दूसरी है उस क्षेत्र में मलेरिया विरोधी काम की। आसाम रेलवे को सब से बुरी रेलवे समझा जाता ह। दिल्ली से पांडूगढ़ या डिब्रूगढ़ के किसी स्टेशन तक पहुंचने

में दस दिन लग जाते हैं। अनुमान किया जा सकता है कि यदि यात्रियों की यह अवस्था है तो रेल कर्मचारियों की क्या अवस्था होगी? नीलगिरी भी एक पहाड़ी क्षेत्र है, परन्तु मैं जानता हूं कि वहां क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं। कितने ही समय से आसाम रेल के कर्मचारियों को ऊनी वस्त्र नहीं दिए जा रहे हैं। 'गैंगमैन' को सरदी तथा वर्षा में रेलवे लाइन पर काम करना पड़ता है। उन्हें चप्पल तक भी नहीं दिये जाते हैं। जब यह मामूली वस्तुएं भी नहीं दी जा रही हैं तो मलेरिया निरोधक कार्यों की बातें करने से क्या लाभ? पांडू जैसे स्टेशनों पर नियुक्त रेल कर्मचारियों को सभी सुविधायें दी जानी चाहियें। उन्हें बिना सोचे समझे किसी स्थान पर स्थानान्तरित नहीं कर देना चाहिये। जो रेल कर्मचारी यह समझते हैं कि मैदान में जाकर अधिक अच्छी प्रकार से काम कर सकेंगे उन्हें ऐसा करने का अवसर मिलना चाहिये। पहाड़ों में काम करने वालों को मलेरिया निरोधक सामान दिया जाना चाहिये। माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें।

मैं कुछ शब्द मांग संख्या ५ के बारे में कहना चाहता हूं। यह मांग सामान्य कार्यचालन व्यय के बारे में है। कहा गया है कि १५ लाख का शेष धन मंहगाई भत्ते के बारे में है जिसकी कर्मचारियों द्वारा नगद वसूल करने की सम्भावना है। बहुत से केन्द्रों में अनाज की दुकानों ने काम करना बन्द कर दिया है। अब इस प्रकार की कोई राशन-व्यवस्था नहीं है। दक्षिण में रेल कर्मचारियों में बहुत असन्तोष फैला हुआ है। रेल कर्मचारियों की तत्काल मांग यह है कि वह राशन की दूकानों से चार औंस मात्रा के स्थान पर सात औंस दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वास्तव में रेलवे चाहे तो उन्हें १० या १२ औंस तक आसानी से दे सकती है। माननीय मन्त्री कृपया ध्यानपूर्वक विचार करें तथा चावल की मात्रा को बढ़ा कर सात औंस कर दें।

श्री सूर्य्य प्रसाद (मुरैना-भिंड—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सभापति जी मैं आपको इस लिये धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस डिमांड पर बोलने का मौका दिया।

मैं मध्य भारत का रहने वाला हूं। मध्य भारत में सेन्ट्रल रेलवे कार्य करती है। उसके अन्दर भी जिस जगह मैं रहता हूं वहां पहले सिंधया स्टेट रेलवे की छोटी लाइन चलती थी। जब उसका एकीकरण हुआ तो उसको केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया और अब वह सी० आर० की तरफ़ से चल रही है। मुझे मालूम हुआ कि पहले यह रेलवे बड़ी अच्छी तरह चलती थी और उस में किसी प्रकार का घाटा नहीं था, लेकिन अब रेलवे साहित्य के देखने से मुझे पता लगा कि वह रेलवे काफ़ी घाटे से चल रही है। इसका कारण मेरी समझ में नहीं आता। वहां पर ट्रेफिक (यातायात) इतना ज्यादा है कि रियासत में राज्य की तरफ़ से बसें जारी की गई हैं, लेकिन फिर भी वहां ट्रेफिक का जोर कम नहीं हो रहा है। इतना होने पर भी रेल क्यों घाटे से चल रही है यह मेरी समझ में नहीं आता। इसके लिये मैं कुछ सजेशन्स (सुझाव) माननीय मन्त्री जी की सेवा में पेश करना चाहता हूं और वह घाटे पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

घाटे का एक कारण यह भी हो सकता है कि स्टाफ़ ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। मुझे अभी अभी उस रेलवे से सफर करने का मौक़ा मिला। मैंने वहां देखा कि वहां पर रेलवे के स्टाफ़ के लोग, टी० टी० आई० वगैरह लोगों से बिना चार्ज किये हुए उनका गुड्स (वस्तुएं) जैसे सब्जी, फल इत्यादि, रेलवे से ले जाने की इजाजत देते ह और उस पर रेलवे का चार्ज नहीं हो

[श्री सूर्य्य प्रसाद]

पाता। मैं इन इलाकों में घूमा और लोगों से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि गार्ड और टी० टी० आई० को तीन चौथाई किराया दे दिया जाता है तो टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यह हालत वहां के स्टाफ़ की है। अगर सैंकड़ों लोग इस तरह से सफर करेंगे और सामान बगैर बुक किये हुए जायगा तो घाटा तो स्वाभाविक ही है। तो मेरा सुझाव है कि वहां के स्टाफ के काम को देखा जाय और वहां ठीक व्यवस्था की जाय।

वहां चार रेलवे लाइनें चलती हैं, ग्वालियर से शिवपुर कलां, ग्वालियर से भिंड, ग्वालियर से शिवपुरी और उज्जैन से आगरा। यह चारों लाइनें वहां पर काम करती हैं। रियासत का यह ख्याल था कि इन रेलवे लाइनों का समूह सारे राज्य में फैलाया जायगा और उन्हीं की आमदनी से तमाम भीतरी लाइनें बनाई जायेंगी। लेकिन जब से इंटीग्रेशन (एकीकरण) किया गया है तब से यह काम रुक गया है और न कोई छोटी लाइन बड़ी लाइन बनायी गयी है और न कोई नयी छोटी लाइन ही डाली गयी है। तो मेरा माननीय मंत्रीजी से यह सुझाव है कि उनको वहां कोई नयी लाइन डालनी चाहिये। वहां पर एक जगह बामौर है। वहां एक सीमेंट की फैक्टरी है और वहां बहुत आना जाना रहता है। अगर बामौर को अंबा से जो कि एक तहसील का हैडक्वार्टर है मिला दिया जाय और फिर इस लाइन को भिंड की लाइन से मिला दिया जाय तो इससे इंटीरियर (आन्तरिक) के इलाके की रेलवे लाइन हो जायेगी और वहां के लोगों को बहुत आराम मिल जायगा उस तरफ़ रेलवे लाइन बढ़ाने का सुझाव देने में मेरा एक और अभिप्राय है। आपको मालूम होगा कि आतंककारी लोग वहीं छिपे रहते हैं और वहां से निकल कर लोगों को आतंकित करते हैं। अभी अभी सूचना मिली है कि पुलिस और डाकुओं में मुठभेड़ हुई लेकिन डाकुओं को पुलिस नहीं पकड़ पायी। इसका कारण यही है कि वे लोग इंटीरियर में हैं जहां आमदोरफ्त का कोई साधन नहीं है। इसी लिये डाकू लोग वहां छिपते हैं। अगर आप यह नयी रेलवे लाइन डाल देंगे तो जनता को इस प्रकार और राहत मिलेगी कि डाकू लोग वहां नहीं छिप सकेंगे।

इसके अतिरिक्त मुझे यह कहना है कि सारे हिन्दुस्तान में २९ ट्रेनिंग स्कूल हैं। ग्वालियर रेलवे के कार्य में पिछड़ गया है तो इस तरह का एक और स्कूल निर्माण कर उस ट्रेनिंग स्कूल को ग्वालियर में कायम कर दिया जाय तो बहुत अच्छा हो। इससे लोगों की बेकारी भी दूर हो सकती है और लोगों को रेलवे के सम्बन्ध जानकारी भी हो सकती है। दूसरे जो कारीगर स्कूल में काम सीखें उनको वहां ट्रेनिंग देकर लगा लिया जाय तो इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। ग्वालियर से पहले फ़ौज में भरती होती थी। किन्तु अब फौज न रहने के कारण तमाम लोग बेकार हो गये हैं। अगर इस तरह का स्कूल खोल दिया जाय तो कुछ लोगों की बेकारी दूर हो सकती है।

दूसरी बात मैं जी० आई० पी० रेलवे के बारे में कहना चाहता हूं। दिल्ली से एक पैसिंजर गाड़ी बम्बई तक चलती है। यह गाड़ी ग्वालियर के पास के छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती है और इस में बैठने वाले अधिकतर थर्ड क्लास के पैसिंजर होते हैं। अगर यह पैसिंजर गाड़ी निकल जाती है और उनको नहीं मिल पाती तो उन को दूसरी गाड़ी के लिये १४, १५ घंटे रुका रहना पड़ता है। बीच में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिससे कि वह सफ़र कर सकें। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो फास्ट ट्रेन दिल्ली से आगरे तक जाती

ह वह अगर दिल्ली से झांसी तक कर दी जाय तो लोगों को बहुत राहत मिल सकती है क्योंकि उनको दूसरी गाड़ी मिल जायगी। मैंने जो कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी के स मक्ष रखे हैं आशा है कि वह उनको कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे।

श्री पी० एल० बारूपाल (गंगानगर-झुंझनू--रिक्षित--अनुसूचित जातियां): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं राजस्थान एक ऐसा इलाका है जो कि हिन्दुस्तान में सब से पिछड़ा हुआ है। जब हम हिन्दुस्तान की तरक्की करना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा यह फर्ज हो जाता है कि जो देश का एक सब से पिछड़ा हुआ हिस्सा है उसको भी साथ लेकर चलें। राजस्थान का इलाका ऐसा है जो कि पाकिस्तान के बोर्डर पर है। अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो वहां पर कोई तीन सौ मील का ऐसा एरिया है जहां पर कोई रेलवे नहीं है। हमारे भूतपूर्व महाराज श्री गंगासिंह जी की यह योजना थी कि बीकानेर से श्री कोलायत होती हुई फलौदी, और फलौदी से पोकरन होते हुए जैसलमेर को और जैसलमेर से होते हुए कराची को एक लाइन डाली जाय। लेकिन उनकी यह तमन्ना पूरी नहीं हो सकी। बाद में देश का बटवारा हो गया। तो मैं यह जरूरी समझता हूं कि यह जो जैसलमेर का इलाका है इसमें रेल डालना बहुत जरूरी है मैं सदन से यह दरख्वास्त करता हूं कि हिन्दुस्तान के और हिस्सों की रक़म को निकाल कर राजस्थान में लगाना चाहिये। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि वहां एक ऐसा इलाका है जहां अनाज नहीं पहुंचता, चारा नहीं पहुंचता। तीसरी साल वहां अकाल पड़ जाता है और वहां लोग भूखे मरते हैं। यह बात है और मुझे कहते हुए रोना आता है कि वहां तीन तीन दिन तक लोगों को खाना नहीं मिलता। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं कि सारी बातें आपके सामने रख सकूं टूटे फूटे लेकिन मेरा विचार हुआ कि जो कुछ भी मैं शब्दों में कह सकता हूं वह सभापति जी के द्वारा सदन के सामने रखूं। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अनाज बीकानेर और जोधपुर में ढाई सेर का मिलता है वह गांवों में जाकर डेढ़ सेर और सवा सेर रह जाता है। इसका करण यह है कि उस पर ले जाने का बहुत चार्ज लगता है और कुछ लोग ब्लैक भी करने लगते हैं। तो जो रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं उनको मालूम है कि कहां कहां रेलवे है और कहां कहां नहीं है साथ ही यह पाकिस्तान का बोर्डर है इसलिये आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि यहां रेलवे लाइन का होना अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी कितना जरूरी है।

दूसरे हिन्दूमलकोट पाकिस्तान के पास है। वह गंगानगर से १९ मील के फासले पर है। अगर यह १९ मील का टुकड़ा बना दिया जाता है तो गंगानगर से वह मिल जायगा जोकि एक बहुत बड़ी अनाज की मंडी है और इससे लोगों व सरकार को बहुत फायदा हो सकता है। अभी हिन्दूमलकोट से अगर कोई मुसाफिर आना चाहे तो उस को पहले भटिंडा जाना पड़ता है और वहां से हनुमानगढ़ होते हुए गंगानगर आना पड़ता है।

यह १९ मील का टुकड़ा मिला दिया जाय तो बहुत बड़ी सुविधा हो सकती है। इस के साथ ही एक टुकड़ा और है, चूरू और फतेहपुर के बारे में। जो हम बीकानेर से जयपुर जाते हैं तो बीकानेर से मेड़ता रोड और मेड़ता रोड से फुलेरा होते हुए जयपुर पहुंचते हैं अगर चूरू से लेकर फतेहपुर तक जो १५ मील का टुकड़ा है यह भी रेलवे का मिला दिया जाय तो बीकानेर से चुरू जाने वालों के लिए एक अच्छा रास्ता हो सकता है।

[श्री पी० एल० बारूपाल]

रेलवे के विषय में नयी रेलवे लाइन डालने के सम्बन्ध में तो मेरे यही विचार हैं। अब साथ ही रेलवे से जो आमदनी नहीं हो रही है उस के सम्बन्ध में कहूंगा कि जितना भ्रष्टाचार रेलवे और रीहैबिलिटेशन (पुनर्वास) में है उतना कहीं नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि मैं पिछली तीन तारीख़ को गंगा-नगर जा रहा था तो वहां पर ऐसी हालत है कि जो रेलवे के पुलिसमैन हैं और जो इस के टी० टी० लोग होते हैं वे मुसाफिरों के साथ पहले से ही मसाफिर खाने में जा कर बाहर ही सांठ गांठ कर लेते हैं और जैसे किराया छः रुपया होता है तो उन से तीन रुपये ले कर उनको बिठा देते हैं और इस तरह से रेलवे के किराये का नुक़सान होता है। इसी तरीक़े से जो महसूल वगैरह होता है वह भी बीच में ही ले लेते हैं और गवर्नमेंट को आमदनी नहीं होती। इसी तरह हर बिल्टी छापने के लिये व्यौपारी से एक रुपया लेते हैं और किसी भी दूसरे की बिल्टी छापने के लिये दो आने तीन आने लेकर जनता को तंग करते हैं। तो इसमें सुधार होना चाहिये।

मैंने रेलवे स्टेशनों की राजस्थान में स्थिति देखी है। वहां पर कोई खास सुविधा नहीं है। वहां पर जो कर्मचारी हैं वह ठीक समय पर नहीं मिलते। हां पानी की तो अत्यन्त कमी है ही, फिर भी कोई ठंडा पानी पीने को नहीं मिलता है। जो प्याऊ है उसमें ताला लगा होता है। स्टेशन पर न कोई बैठने की जगह है, धूप में खड़ा होना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो मुसाफिर खाने हैं उनका सुधार होना चाहिये। मैं यह कह सकता हूं कि जैसा दूसरे स्टेशनों में सुधार हुआ है वहां राजस्थान की तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। राजस्थान में बीकानेर एक सबसे बड़ा स्टेशन है, तो बीकानेर आदि के इतने बड़े स्टेशन होते हुए भी वहां पर कोई छाया नहीं है। जो मुसाफिर होते हैं वह धूप में रहते हैं। न हो वहां प्लेट-फार्म का कोई प्रबन्ध है। इस वजह से ऐसी दुर्घटनायें होती हैं कि कोई बूढ़ा या कमजोर आदमी होता है जो आसानी से नहीं चढ़ सकता है तो कई बार वह गिर जाते हैं और उनके हाथ, पैर, टांग वगैरह टूट जाते हैं। इस के साथ ही जो मेले लगते हैं तो मेलों में लोग ऊपर से नीचे तक चढ़ जाते हैं। आर्डर तो आप का लिखा होता है कि इस में १६ या २० सीट हैं, लेकिन १६ क्या १६ १६ गुना ऊपर से नीचे तक भरे रहते हैं। तो गाड़ियों की ठीक व्यवस्था नहीं है।

थर्ड क्लास के जो कम्पार्टमेंट हैं उन के विषय में गवर्नमेंट ने यह घोषणा की है कि हम जल्दी वहीं इनका सुधार करेंगे, लेकिन न तो उन में पानी मिलता है, न डिब्बों में पंखे हैं और टट्टियों में पानी तक भी नहीं मिलता और न साफ़ रहती हैं। न सीट का ही ठीक ढंग से प्रबन्ध है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। जो उत्तरी रेलवे की छोटी लाइनें हैं उन में सुधार होना चाहिये।

साथ ही साथ मैं बीकानेर रेलवे वर्कशाप है उसका एक उदाहरण दे कर कहना चाहता हूं कि रेलवे वर्कशाप में करीबन १००० कर्म-चारी हैं जिन में केवल ४५ ही हरिजन हैं। हमारी सरकार ने कागजों में तो रख दिया है कि हरिजनों को साढ़े बारह परसेंट नौकरी दी जायें, लेकिन वह सिर्फ़ कागज़ों में ही है। हरिजनों के लिये वहां कोई स्थान नहीं है। अभी अभी बीकानेर में एक भरती खुली है। मैं वहां के लोगों से मिला। यह तो मैं कह सकता हूं कि हमारे देश में बेकारी बहुत है। २३० आदमियों की जगह के लिये साढ़े चार हज़ार आदमियों की दरख्वास्तें आईं। यह देख कर मुझे अफसोस हुआ कि इतनी बेकारी और

भुकमरी हमारे देश में है। मैंने बहुत से लोगों से वहां पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो टट्टी का काम करने के लिये भी तैयार हैं, लेकिन हमें नौकरी चाहिये। तो इस तरफ़ तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि आप यह सब समझते हैं। लेकिन जहां हरिजनों का सवाल है वहां टालमटोल की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि तुम पढ़े लिखे कितने हो, कितनी लियाक़त है। मैं कहता हूं कि हमारा पढ़ा लिखा न होना यह हमारा दोष नहीं है, समाज का दोष है। समाज ने हमें ठकराया, पढ़ाया लिखाया नहीं। यह सारी बातें समाज के दोष के कारण हैं। समाज का पाप है, वह तो उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिये मैं कहता हूं कि अगर दूसरे के लिये बी० ए० या मैट्रिकुलेट की ज़रूरत हो तो हरिजनों के लिये प्राइमरी स्टैंडर्ड, चौथा या पांचवीं क्लास की योग्यता होनी चाहिये और वह होने पर उनको जगह दे दी जाय। यह तो हरिजनों के लिये जगह रखने की बात है तो मैंने कहा कि २३० आदमियों में कितने हरिजनों को रखा जायगा तो कहा गया कि ३० भंगियों की जगहें थीं, वहां ३० भंगी भरती कर लिये जायेंगे। इस तरह हरिजनों का कोटा पूरा हो जायेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भंगी तो लाज़मी आप को लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर ६० रुपये छोड़ कर अगर एक हज़ार रुपये तनख्वाह भी देनी हो तो भी दूसरे आदमी वह काम करने के लिये तैयार नहीं हैं। तो भंगियों की जगह देकर आप कोई अहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भंगियों का काम तो भंगी ही करेंगे। तो दूसरी जगहें हरिजनों को देनी चाहियें।

साथ ही साथ मैंने यह देखा, और मैं इसको ज़िम्मेवारी के साथ कहता हूं और अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं हिम्मत रखता हूं, मेरे साथ आप अपनी सी० आई० डी० भेजिये, मैं आपको बतलाऊं कि वहां सौ सौ रुपये के नोट कर्मचारियों को दिये जाते हैं। वे पहले से ही इन नोटों को लेकर तय कर लेते हैं कि किस आदमी को लेना है। और यह रिश्वत लेकर वह उन्हीं आदमियों को नौकरियां देते हैं। यही बड़ी लज्जा की बात है। आप कहते हैं कि यह नहीं होना चाहिये वह नहीं होना चाहिये, लेकिन मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि कितनों के ऊपर आपने एक्शन लिया, कितने आदमी आपने पकड़े हैं जिन को सज़ायें दी हैं, कितनों पर मुक़द्दमे चलाये हैं और कितनों को बरखास्त किया है? अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो इस में ज़रूर कुछ रहस्य है। और मुझे सन्देह कि इसमें बड़े से बड़ा कर्मचारी बेईमान हो सकता है अन्त में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं आप इन सब बातों पर ध्यान दें। हमें दुख है कि राजस्थान के आदमी भूखे मरते हैं, और ऐसी स्थिति से दुखी होने के कारण ही मैंने आप से प्रार्थना की है आशा है आप उपरोक्त बातों पर पूरा ध्यान देंगे।

डा० सत्यवादी (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय बजट की बहस की गंगा इस दफ़ा बड़ी लम्बी चौड़ी चल रही है, यहां तक कि वे लोग जो पिछले साल से दूर किनारे पर बैठे देख रहे थे, उनको भी इस बार हाथ धोने का मौका मिल गया है। रेलवे बजट की तारीफ न करना, यह अपने फ़र्ज़ से कोताही होगी। लेकिन इसके साथ, जैसा कि आज हर इलाके से आए हुए हमारे नुमायन्दे अपने हालात रख रहे हैं, एक दो बातें मैं भी अर्ज़ कर देना चाहता हूं। हरिजनों की बात मैं पहले कह दूं, क्योंकि मैं उन्हीं के क्षेत्र से आया हूं। अभी भाई बारूपाल जी आपके सामने कह रहे थे। कल श्री प्रभाकर जी ने उस रिपोर्ट का तज़किरा किया था इसमें रेलवे ऐडमिनिस्ट्रेशन ने सन् १९४९, १९५०, १९५१ के ऐदाद शुमार देकर बताया था कि हमारे यहां मुख्तलिफ

[डा० सत्यवादी]

दरजों में कितने हरिजन हैं और कितने दूसरे लोग हैं। कल वह यह बात बता चुके हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे दरजों में हरिजनों की नुमायन्दगी न होने के बराबर है। इसमें एक बात और है जिसको दूसरे शब्दों में अभी वारूपालजी ने कहा है। चौथी श्रेणी के मुलाज़िमों को इस ढंग से दिखाया गया है कि मालूम होता है कि उन तीन श्रेणियों की कमी यहां पूरी कर दी गयी है, कहीं २१ फ़ीसदी, कहीं २२ फ़ी सदी। लेकिन उसके पीछे जो बात है वह यह है कि उस में ज्यादा तादाद सफ़ाई का काम करने वालों की है। उन लोगों को हरिजनों में गिन कर उनके फ़ी सदी हिस्से को ऊंचा करके या ज़्यादा दिखा कर वास्तव में धोका ही देना है। मैं तो यह तजवीज़ करूंगा कि अगर सफ़ाई का काम करने वालों की तादाद शामिल कर के हरिजनों के कोटे को ऊंचा दिखाने वाली बात है, तो मैं पंजाब स्वीपर्ज़ फैडरेशन के सेक्रेटरी की हैसियत से यह आकर कहता हूं कि हम वह तमाम की तमाम जगहें, जो सफ़ाई पेशा मजदूरों के लिये दी हुई हैं छोड़ने के लिये तैयार हैं। भले ही वह सबकी सब ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को और दूसरे लोगों को दे दी जायें और उस में हम अपना परसेंटेज मांगने के लिये तैयार नहीं हैं। उसके बजाये जो दूसरे दरजे हैं, वहां भी मैं यह नहीं कहता कि आप उसमें हमारे कोटा से अधिक दें। जो हक़ आप ने उन का रखा है आप सिर्फ़ वही पूरा कर दीजिये। यह हरिजनों की नौकरी की बात है।

नयी लाइन बनाने की बात के बारे में सब ने अपने इलाके की बात कही है। मैं भी अपने क्षेत्र की बात कह दूं। देहली से करनाल होते हुए जो लाइन अम्बाला जाती है, उस पर पटियाला जाने वालों को राजपुरा होकर जाना पड़ता है, इसी तरह से सहारनपुर के रास्ते से जब जाना हो तो अम्बाला, राजपुरा, होकर पटियाला की तरफ जाना पड़ता है, हालांकि अगर जगाधरी के स्टेशन से कुरुक्षेत्र के रास्ते पटियाला तक एक छोटी सी लाइन निकाल दी जाय जिसकी लम्बाई पचास मील के लगभग होगी, तो इससे मुसाफिरों को बड़ी सहूलियत होगी, खर्चा बचेगा और वक्त भी बचेगा। इसके अलावा वह इलाका जो करनाल के ज़िले में कुरुक्षेत्र से ऊपर पटियाला के साथ लगता है, पिछड़ा हुआ है उसको इस लाइन के बन जाने से तरक्की करने में मदद मिलेगी। इसमें जहां रेलवे को फायदा है वहां दूसरी चीज़ यह है कि वह इलाका अमनो-आमान के लिहाज़ से भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उस इलाके के बार्डर (सीमा) पर जंगल लगता है जहां आये दिन डकैतियां होती रहती हैं, रेल के इस तरफ निकल जाने से यह इलाका आबाद होगा और उससे उस इलाके को तरक्की करने में मदद मिलेगी। जहां तक जगाधरी से कुरुक्षेत्र तक लाइन डालने की बात है मुझे याद है कि जिस वक्त इस मुहक का इन्तज़ाम श्री के० सन्थानम् जी के सुपुर्द था, सन् ३४ में इस तरफ़ सर्वे भी किया गया था, लेकिन न जाने क्यों इस चीज़ को उस वक्त नज़रअंदाज़ कर दिया गया, इसलिये मैं इस तरफ़ फिर एक बार आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में जगाधरी से एक छोटा सा टुकड़ा तीन, चार मील का अब्दुल्लापुर से जगाधरी तक चलता है और वह टुकड़ा किसी लालाजी के पास ठेके में है, उसमें आप सफर कीजिये तो आपको इतना मनोरंजन मिलेगा और आप को इतनी तफ़रीह मिलेगी कि क्या कहना। वहां न कोई टाईमटेबुल है और न ही कोई स्टाफ़ वगैरह है, लालाजी स्वयं एक अपनी फटी हुई झंडी लिये फिरते हैं और अपनी इच्छानुसार जब चाहते हैं गाड़ी को चला देते हैं और जब चाहते हैं उस को रोक लेते हैं, उस चार मील के टुकड़े

में आप को ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिससे आप की तबियत की तमाम कोफ्त दूर हो जाये। आज जब इतनी बड़ी बड़ी रेलों को अपने इन्तज़ाम में लाये हैं और बड़ी बड़ी रेलवेज़ को प्राईवेट कम्पनीज़ के इन्तज़ाम से ले कर सरकार खुद चला रही है, और उनको नेशनलाइज़ (राष्ट्रीयकरण) करती है, तो क्या मैं आशा करूं कि उन लालाजी के ऊपर भी रेलवे विभाग दया करेगा और मैं समझता हूं कि वह लालाजी आज इस अवस्था को पहुंच चुके हैं कि खुद उनको आराम मिलने की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा उस रेलवे लाइन को अगर आप उस इलाक़े में और ज़रा गहराई तक पहुंचा दें तो ज़िला अम्बाला को वह बहुत सा हिस्सा जो रेलवे से आज तक महरूम रक्खा गया है और जहां आज भी बहुत से लोग ऐसे आपको मिल जायेंगे जिन्होंने अपनी ज़िन्दगी में कभी रेल की शक्ल भी नहीं देखी, वह लोग भी शास्त्री जी को दुआ देंगे कि कम से कम उन के अहद में उन्होंने रेलवे के दर्शन तो कर लिये।

जहां तक करप्शन का ताल्लुक़ है, उसके बारे में हमारे सभी लोग कह चुके हैं और करप्शन की शिकायतों पर हमारे अधिकारी वर्ग ने तकलीफ़ भी ज़ाहिर की है, और अगर सिर्फ़ इसी कारण कोई रिज़ाइन करने वाली बात हो, तो मैं कहूंगा कि इस तरह की उनकी धमकी से डरने की क्या बात है।

श्री अलगेशन : श्रीमान्, मेरी आशंका है कि माननीय सदस्य इसे सामान्य चर्चा का रूप दे रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य : कोई नई बात नहीं।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति।

रलवे तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : ऐसा जान पड़ता है कि आपको शलाका का प्रयोग पहले ही करना पड़ेगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य तथा उनके पूर्व वक्ता के भाषण असंगत हैं। ये सब बातें सामान्य चर्चा में कही जा चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य केवल संगत बातें कहें और अपना भाषण समाप्त करें।

श्री के० क० बसु (डायमण्ड हार्बर): कभी कभी गाड़ियां पटरी से उतर जाती हैं।

डा० सत्यवादी : अगर इजाजत दी जाय, तो मैं केवल एक बात और कह कर समाप्त कर दूं।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मैंने यह अर्ज़ किया है कि अभी आपने जो कुछ स्पीच में फरमाया है वह किसी कटमोशन के मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि जनरल डिस्कशन (सामान्य चर्चा) में जो बहस हो चुकी है, उन सारी चीज़ों को फिर दुहराया जा रहा है, इस मौक़े पर उन चीज़ों को दुहराने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन चूंकि आनरेबुल मेम्बर एक ऐसे विषय के सम्बन्ध में कह रहे थे जिस पर आम तौर पर लोगों की हमदर्दी है, इस वास्ते अब तक उनको बोलने की इजाज़त दी गई। अब मेहरबानी करके या तो वे जो कटमोशन्स हाउस के सामने पेश हैं उन पर या जो हाउस के सामने डिमांड्स हैं उन पर बोलें, इसकी उन्हें इजाज़त है, लेकिन अब दोबारा जनरल डिस्कशन में होने वाली बहस को दुहराने की इज़ाज़त नहीं दी जा सकती।

डा० सत्यवादी : बहुत मुनासिब समाप्त करता हूं।

डा० रामाराव (काकिनाडा) : मैं मांग संख्या ९-ए के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं जो चिकित्सा की सुविधाओं के बारे में है। मैं अपने भाषण को क्षय-रोग के महत्वपूर्ण

[डा० रामा राव]

विषय तक ही सीमित रखूंगा। स्वयं भारत सरकार के परामर्षक महोदय के अनुसार रेलवे को अपना स्वास्थ्य स्थान बनाना चाहिये। उनका अनुमान बहुत थोड़ा था--अर्थात् २,००० बिस्तरों का था। मंत्री महोदय ने भी बड़ी कृपा से पिछले वर्ष २०० बिस्तरों का वचन दिया था। अभी तक उस वचन को पूरा नहीं किया गया है। २,००० की यह संख्या भी बहुत थोड़ी है। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इस मामले पर गम्भीरता से ध्यान दें तथा इस बारे में कुछ कार्यवाही करें। मेरे प्रान्त में सभी अस्पताल 'धर्म अस्पाथरी' ही हैं। माननीय मंत्री इस बारे में कम से कम व्यवस्था कर रहे हैं। जब तक कर्मचारी स्वस्थ हैं, आप उनकी शक्ति अर्थात खून से लाभ उठाते हैं, परन्तु जब वे क्षय रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो आप उनकी सर्वथा उपेक्षा कर देते हैं। उनकी आवश्यकता आराम तथा अच्छी चिकित्सा है। बाहिर के रोगियों के रूप में चिकित्सा का करना कोई चिकित्सा नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस बारे में सक्रिय रूप से कुछ करेंगे।

दूसरी बात यह है कि पिछले वर्ष माननीया स्वास्थ्य मंत्री ने सदन से बाहर एक भाषण में कहा था कि रेलवे मंत्रालय विद्यमान स्वास्थ्य शाला में २५० अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करेगा। मेरी इस पर भी घोर आपत्ति है। अभी तक उन्होंने इन बिस्तरों की व्यवस्था नहीं की है तथा वे लोगों को इन बिस्तरों से वंचित रख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कई बार यह कहा है कि जहां ५,००,००० बिस्तरों की आवश्यकता है, वहां हमारे पास केवल १५,००० बिस्तरे ही हैं। मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री अपने लिए पथक् प्रबन्ध शीघ्र से शीघ्र करेंगे।

मैं यह भी आशा करता हूं कि माननीय मंत्री बेज़ावादा अस्पताल के एक्सरे प्लान्ट पर किसी छत की व्यवस्था करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही करेंगे।

यह भी एक अपमानजनक बात है कि 'मैडीकल ग्रेजुएट्स' १०० रु० से १२५ रु० तक के वेतन पर भर्ती किये जा रहे हैं। आप मैडीकल महाविद्यालयों में प्रवेश की कठिनाइयों को समझते हैं। कुछ स्थानों में महिला डाक्टरों को रेल-कर्मचारी वर्ग निधि से वेतन न देकर किसी और निधि से दिया जाता है और इस प्रकार उन्हें कुछ लाभों से वंचित किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री बेचारी महिला डाक्टरों से अधिक दया का व्यवहार करेंगे।

श्री नम्बियार : निश्चय ही।

श्री अलगेशन : श्री विट्टल ने सर्वप्रथम ईंधन जांच समिति की रिपोर्ट के प्रकाशित करने के प्रश्न को उठाया है। यह सत्य है कि मार्च, १९५२ में समिति की एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, परन्तु इस प्रकाशन के बाद जांच का विस्तार बहुत बढ़ गया था तथा समिति को और भी बहुत सी बातों की जांच करने के लिये कहा गया था। उन्होंने उत्पादन, तैयारी, रसद्, यातायात, खपत तथा उतारने लादने से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों की जांच की तथा ऐसा करते समय उन्होंने उद्योगों की आवश्यकता और अपने कोयले की रसद् को अच्छा करने की आवश्यकता को विचार में रखा। अन्तिम रिपोर्ट केवल कल ही मिली है। विशेषज्ञ लोग इसकी छानबीन करेंगे। हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाय तथा देश के विभिन्न हितों में परिचालित की जाय ताकि इस सम्बन्ध में उनके विचारों का पता चल सके। अन्तिम रिपोर्ट के केवल कल ही मिल सक

के कारण, इसके प्रकाशित करने का प्रश्न नहीं उठ सकता। न ही यह कल्पना की जा सकती है कि इसके प्रकाशन में बहुत विलम्ब हो गया है।

उन्हीं माननीय सदस्य ने डिब्बों की कमी का सवाल उठाया है तथा कहा है कि डिब्बों की कमी से सिंगरैन्ट कोयला-खान क्षेत्रों से कोयले के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। फिर भी वास्तविक स्थिति विभिन्न है।

वहां पर डिब्बों की कमी से कोयले के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वस्तुतः हर महीने डिब्बों को अधिकाधिक संख्या में लादा जा रहा है तथा खान पर जो कोयला रह जाता है, वह कोई काम में आने वाला कोयला नहीं है। वह घटिया प्रकार का कोयला होता है जिसे 'शेल' कहा जाता है। अब उसे भी एक प्रयोग में लाया जा रहा है। इस प्रकार से उसे भी वहां से उठा लिया जायगा। सुझाव यह रखा गया है कि क्योंकि हम उस कोयले को उठा नहीं सके हैं, इसलिये उत्पादन में कमी हो गई है। वहां पर केवल घटिया प्रकार का ही कोयला पड़ा हुआ है।

इसके बाद माननीय सदस्य ने ११ लाख रु० से सामान्य राजस्व में दिए जाने का सवाल उठाया है। जब आय-व्ययक की तैयारी के समय इस लाभांश का अनुमान किया गया था तो खाते में पूंजी का अनुमान ८५० करोड़ रु० था। परन्तु इस समय यह पूंजी ८५२·८ करोड़ रु० है तथा इस अतिरिक्त पूंजी पर लाभांश की राशि ११ लाख रु० बनती है। इस कारण विकास निधि से विभिन्न राशियों पर ब्याज के भुगतान करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

मेरे माननीय मित्र श्री नम्बियार ने भी कम अधिक उन्हीं कारणों का उल्लेख किया है। उन्होंने संयुक्त मंत्रणा समिति की हंसी उड़ाई है। मैं सदन को पहले ही बतला चुका हूं कि उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार ही हम रेल कर्मचारियों को दो करोड़ रु० की बांट कर रहे हैं।

उन्होंने ज्येष्ठता समिति का भी प्रश्न उठाया है। जहां तक दक्षिण रेलवे का सम्बन्ध है इस समिति ने अपना काम समाप्त कर लिया है तथा इस समय उनकी रिपोर्ट पर विचार हो रहा है।

तत्पश्चात् उनकी इच्छा है कि हम मंहगाई भत्ते को नकद दिये जाने के प्रश्न पर भी विचार करें। मैं समझता हूं कि वहां पर इस समय जो बाज़ार की अवस्था है, उसका यह अच्छा चिन्ह है। बढ़िया प्रकार की तथा सस्ते दामों की खाने की वस्तुएं वहां पर मिल सकती हैं तथा मैं समझता हूं कि इसी कारण वह वहां जा रहे हैं।

श्री अलगशन : खुले बाज़ार में उन्हें कोई भी राशि मिल सकती है। मैं जानता हूं कि इन रुकावटों को ढीला कर दिये जाने से वह घटिया प्रकार के सम्बन्ध में अपने आन्दोलन को नहीं चला सकेंगे। परन्तु इसका कोई चारा नहीं। लोगों को अच्छी खुराक नहीं मिल रही है तथा कुछ स्थानों में तो कम क़ीमतों पर बढ़िया प्रकार की खाने की वस्तुएं मिल रही हैं।

श्री नम्बियार : यह सूचना बहुत ग़लत है।

श्री अलगेशन : मेरा विश्वास है कि उन्होंने इसी कारण मंहगाई भत्ते को नकद दिये जाने की मांग की है।

कुछ माननीय सदस्यों ने नई लाइनों की बात कही है। इसका पहले ही उत्तर दिया जा चुका है।

अन्तिम वक्ता ने रेलवे कर्मचारियों के लिए क्षय रोग की चिकित्सा के लिए किए गए प्रबन्धों का निर्देश किया है। इस पर विचार

[श्री अलगेशन]

हो रहा है तथा हम रेल कर्मचारियों के लिये स्वास्थ्य स्थान का प्रबन्ध करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत शीघ्र हम इस दिशा में कुछ कर सकेंगे।

इसके बाद प्रस्तुत मांग पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए तथा अस्वीकार हुए।

निम्न अनुपूरक अनुदानों की मांगें सदन द्वारा स्वीकृत की गईं

मांग संख्या ४—	कार्य संचालन का सामान्य व्यय—प्रशासन	५३,००,०००
मांग संख्या ५—	कार्य संचालन का सामान्य व्यय—मुरम्मत तथा बनाए रखना	१,६२,२०,०००
मांग संख्या ७—	कार्य संचालन का सामान्य व्यय—संचालन (ईंधन)	६४,०९,०००
मांग संख्या ९–ए—	कार्य संचालन का सामान्य व्यय—श्रम कल्याण	३१,७३,०००
मांग संख्या १५—	नई लाइनों का बनाना	२५,००,०००
मांग संख्या २०—	केन्द्रीय राजस्व को देय लाभांश	११,२२,०००

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के अभिप्रायों से वर्ष १९५२-५३ के सम्बन्ध में सेवाओं के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग के हेतु विधेयक के पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

सभापति महोदय : प्रस्ताव है कि उपरोक्त विधेयक के पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

विनियोग (रेलव) संख्या २ विधेयक

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पर विचार किया जाय।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि

"विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री विट्टल राव (खम्मम) : श्रीमान्, इसके बाद कोई अनुपूरक मांगें पेश नहीं की जानी चाहियें।

सभापति महोदय : प्रश्न है कि

"विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, २, ३ तथा अनुसूची, नाम तथा आधनियम सूत्र को विधेयक का अंग बना लिया गया।

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित कर दिया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न है कि:

"विधेयक को पारित कर दिया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उत्पादन सम्बन्धी संघीय शुल्क (वितरण) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"उत्पादन सम्बन्धी कुछ संघीय शुल्कों की शुद्ध आय के ५०

भाग के राज्यों में वितरण के निमित्त व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाय।"

यह विधेयक वित्त आयोग की एक सिफारिश के कार्यान्वित करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में उन सिफारिशों में सब से अधिक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि तम्बाकू, दियासलाई तथा वनस्पतिक वस्तुओं सम्बन्धी उत्पादन शुल्क के ४० प्रतिशत भाग को राज्यों में जनसंख्या के आधार पर बांटा जाय जैसा कि सदन को विदित है, सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। इस वितरण को सभी राज्यों में न करके कुछेक राज्यों में ही करने के कारणों का उल्लेख्य आयोग की रिपोर्ट (अध्याय ५) में किया गया है। अनुभव किया जायगा कि इस प्रकार के मामले में सदा ही मतभेद हो सकता है कि किस किस शुल्क का वितरण किया जाय तथा कि राज्यों को शुल्क का कौनसा भाग दिया जाय। भारत सरकार ने उनकी सिफारिशों को इस भावना से स्वीकार किया है कि यह एक निष्पक्ष निकाय है जिस पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकार का कोई प्रभाव नहीं है। इस सिफारिश के स्वीकार करने का एक और कारण यह है कि यह आयोग द्वारा बनाई गई योजना का एक अखण्ड भाग है तथा सदन इस बात को अनुभव करेगा कि जब तक सारी योजना में परिवर्त्तन न किया जाय, किसी एक भाग में परिवर्त्तन का करना सम्भव नहीं हो सकता।

जहां तक राज्यों के भाग के वितरण के प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे विदित है कि वितरण में केवल जनसंख्या के सिवाय दूसरी बातों पर भी विचार किया जाना चाहिये था। मैं समझता हूं कि हमने इस बारे में भी उचित कार्यवाही ही की है। आयोग ने स्वयं इस बात का अनुभव किया है कि अतिरिक्त सामग्री के उपलब्ध होने पर कोई भावी आयोग विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंच सकता है। हम इस सामग्री को एकत्र करने की कार्यवाही कर रहे हैं, परन्तु इस समय तो जनसंख्या ही एक ऐसा आधार है जिससे स्थूल रूप से प्रत्येक राज्य की खपत को निश्चित किया जा सकता है।

इस विधेयक में उल्लिखित सुझावों का प्रभाव यह होगा कि प्रति वर्ष १७½ करोड़ रु० की राशि को राज्यों में वितरित करना होगा। हो सकता है कि वर्ष प्रति वर्ष ये राशियां विभिन्न हों जो बात उस समय लागू कर की दर तथा उसके संग्रह पर निर्भर करती है। परन्तु मैं समझता हूं कि सामान्यतः ये आंकड़े मेरे द्वारा बतलाई गई राशि से अधिक भिन्न नहीं हो सकते।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : जहां तक मदों के चुनने का सवाल है, हम व्यर्थ प्रबन्धों से संतुष्ट नहीं हो सके हैं। यद्यपि आयोग ने यह स्वीकार किया है कि खपत के बारे में कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं फिर भी मैं समझता हूं कि संग्रह के बारे में निश्चित आंकड़े अवश्य हैं। कोई राज्य विशेष किसी विशेष मद पर इतना उत्पादन शुल्क एकत्र कर सकता है जितना कि सामान्यतः उस राज्य की खपत है।

कुछ भी हो, एक विशेष आधार पर इस प्रकार के प्रबन्ध करना, जिसमें किसी राज्य के उत्पादन अथवा खपत में भाग का विचार न रखा जाय, कोई ठीक नहीं है।

जहां तक मदों के चुनने का सवाल है इससे संतुष्ट होने का भी कोई कारण नहीं है। जहां तक केन्द्रीय राजस्व को छीना झपटी से प्राप्त करने का प्रश्न है, अधिक प्रभावशाली सरकार द्वारा अधिक भाग के प्राप्त करने

[श्री ए० सी० गुहा]

की सम्भावना सदैव बनी रहेगी। यदि इस भाग को बांटने का आधार किसी राज्य विशेष की जनसंख्या ही रहा तो कोई राज्य अपने राजस्व को उत्पादन या किसी और साधन से बढ़ाने के लिये उत्सुक नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मैं स्वयं अपने प्रान्त की चर्चा करना चाहता हूं। जब तक यह अलग प्रान्त नहीं बना, इसका सम्बन्ध गवर्नर जनरल से ही रहा है, अतः इसका अपना कोई राजस्व नहीं था। अलग प्रान्त बनने के बाद भी इसके प्रति उपेक्षा का ही व्यवहार रहा है। विभाजन के बाद भी यद्यपि पश्चिमी बंगाल केन्द्रीय राजस्व में आय-कर सम्बन्धी अपना भाग उतना ही देता रहा तो भी इसे दिये जाने वाली राशि में बहुत कमी कर दी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हम वित्त आयोग से बड़ी आशाएं लगाए हुए थे। पैट्रोल के बारे में मैं आसाम की मांग का भी समर्थन करता हूं।

माननीय मंत्री से मेरा यह भी निवेदन है कि भारत एक देश है तथा सारे देश में विकास-कार्य को एकरूपी आधार पर चलाया जाना चाहिये। विभिन्न राज्यों का राजस्व में प्रति व्यक्ति भाग भी कम अधिक बराबर होना चाहिये।

अन्त में विभाजन के फलस्वरूप पश्चिमी बंगाल को जो समस्या पेश है, मैं उसका वर्णन करना चाहता हूं। पश्चिमी बंगाल का विभाजन कोई अपनी इच्छा से नहीं हुआ। कुछ भी हो, हमारी आशा थी कि विभाजन के फलस्वरूप पश्चिमी बंगाल की जो समस्या पेश ह, केन्द्र उसे हल करने में हमारी सहायता करेगी। हमारे हां २८ या ३० लाख शरणार्थी आए हुए हैं। ठीक है कि केन्द्रीय सरकार बहुत से प्रत्यक्ष व्यय का भार सहन कर रही है, फिर भी अनाज तथा अन्य प्रासंगिक व्यय पश्चिमी बंगाल की सरकार पर पड़ रहे हैं बहुत से क्षेत्रों में—नगरों तथा ग्रामों में—बस्तियां बसाई जा रही हैं जहां कोई स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है तथा संचरण के साधन नहीं हैं। उन शरणार्थियों को वास्तव में बसाने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को सड़कें बनानी पड़ेंगी तथा और बातों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्हें वहां कुछ उद्योग धंधे भी खोलने पड़ेंगे। मेरा निवेदन है कि पश्चिमी बंगाल के भाग को निश्चित करने से पहले केन्द्रीय सरकार इन सब बातों पर ध्यान दे।

मैं समझता हूं कि प्रति व्यक्ति राजस्व को एकरूपी आधार पर लाना नितान्त आवश्यक है।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : माननीय मन्त्री ने एक आयोग को नियुक्त करने से ही सार्वजनिक आलोचना से छूट पा ली है। इस आयोग की सिफारिशें प्रान्त की आशाओं से बहुत कम हैं। राज्यों का भाग ४० प्रतिशत से, जैसा कि आयोग ने फैसला किया है, बहुत अधिक होना चाहिये था। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जो ९५ करोड़ रु० प्रति वर्ष उत्पादन कर के रूप में एकत्र किया जाता है, उसे राज्यों के लोगों द्वारा ही दिया जाता है। प्रत्येक अवस्था में आप यह भी देखेंगे कि सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था का भार अधिकतर राज्य सरकारों पर पड़ता है तथा केन्द्र पर नहीं। हो सकता है कि केन्द्र कुछ एक मामलों में अनुदान दे, फिर भी भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों की दशा को सुधारने, उत्पादन के तरीकों को बढ़िया बनाने का कोई बोझ किसानों पर ही पड़ता है।

इसी प्रकार से पैट्रोल के मामले में आसाम के लोगों को काफ़ी त्याग करना पड़ता है। दक्षिण के राज्यों को तम्बाकू के उत्पादन में

त्याग करना पड़ता है। परन्तु उन्हें अपने श्रम का मूल्य नहीं मिलता है। राज्यों के भाग को कम रखने से उत्साह जाता रहता है मेरा सुझाव है कि इस भाग को ४० प्रतिशत से बढ़ा दिया जाय तथा यदि ७५ प्रतिशत नहीं तो कम से कम ६० प्रतिशत कर दिया दिया जाय।

विभाजन के फलस्वरूप केवल दो राज्यों को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी है जिनमें से एक मेरा राज्य पश्चिमी बंगाल है। यह उचित नहीं है कि आप उन्हें भिक्षा रूप से धन की याचना करने पर विवश करें। मेरे प्रान्त के औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं तथा अपनी जीविका कमाते हैं। अतएव उस राज्य को पुनर्वास अनुदानों के अतिरिक्त और अनुदान भी दिए जाने चाहियें। निश्चय ही कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों आदि पर प्रति व्यक्ति व्यय पश्चिमी बंगाल में कहीं अधिक है। हमें प्रयत्न करना चाहिये कि उन्हें उत्पादन शुल्क में से अधिक से अधिक भाग दें। यदि इस वर्ष नहीं तो कम से कम अगले वर्ष के आयव्ययक में तो ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

श्री बी० दास : मैं एक संविधिक आयोग की आलोचना नहीं करना चाहता। वित्त आयोग की सिफारिशों पर किसी प्रकार की कार्यवाही का करना वित्त मन्त्री या भारत सरकार का काम नहीं है। जहां तक बंगाल का सम्बन्ध है, हम जानते हैं कि समय समय पर पश्चिमी बंगाल को काफ़ी अधिक अनुदान दिए गए हैं मेरा सम्बन्ध भी एक निर्धन राज्य उड़ीसा से है जहां प्रति व्यक्ति व्यय ९ रु० से लेकर दस रु० तक है। बंगाल में यह कुछ अधिक है।

उत्तर प्रदेश, मद्रास, पश्चिमी बंगाल का व्यय क्रमशः ६५, ६५ तथा ४३ करोड़ रु० है। तो मेरे मित्र श्री गुहा के इस कथन में सत्य है कि प्रति व्यक्ति व्यय में असमता है।

श्रीमान्, आपको याद है कि संविधान सभा में आसाम तथा उड़ीसा के सदस्यों ने अनुच्छेद २८० को संविधान में शामिल करने पर बहुत ज़ोर दिया था। मद्रास तथा पश्चिमी बंगाल जैसे समृद्ध राज्यों ने वित्त आयोग की स्थापना पर उस समय कोई विशेष ज़ोर नहीं दिया था। फिर भी उसकी स्थापना हुई तथा अब उसकी रिपोर्ट मिल चुकी है। श्री नलिनी रंजन सरकार ने वितरण को संग्रह या एकत्रित राशि के आधार पर करने का सुझाव दिया था। बम्बई की मांग भी यही थी। परन्तु यदि व्यापार का सारा झुकाव बम्बई या कलकत्ता की ओर कर दिया जाय, तो इस में दूसरे राज्यों का कोई दोष नहीं है। मैं समझता हूं कि जनसंख्या का आधार ही ठीक आधार है। फिर भी मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि बम्बई तथा बंगाल को एकाएक कठिनाई में डाल दिया जाय।

मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति ने वित्त आयोग को समाप्त करके एक बहुत बड़ी ग़लती की है। उक्त आयोग ने केन्द्र तथा राज्यों के परस्पर सम्बन्धों को सामने रखते हुए राज्यों के मामलों की छानबीन करनी थी। समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी वित्त आयोग ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है तथा इसमें उसे आंकड़ों आदि की सहायता भी नहीं मिल सकी है। हममें से जिन राज्यों को अधिक सहायता की आवश्यकता है, उन्हें सहायता–अनुदानों में से सहायता दी जानी चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आखिर वित्त आयोग को क्यों नहीं चलने दिया गया? कुछ और समय तक वह भारत के लोगों की आवश्यकता को

[श्री बी० दास]

समझ कर उन्हें अच्छे समय की आशा दिला सकता था। उत्पादन शुल्क का वितरण उस दिशा में एक पग है। भारत के लोगों के प्रति सामाजिक न्याय का यह सर्वप्रथम चिन्ह है। मैं समझता हूं कि हमने उक्त आयोग को समाप्त करके एक ग़लती की है। हमें इसकी तत्काल स्थापना के लिये प्रत्येक राज्य में आन्दोलन करना चाहिये। यह राष्ट्रपति का काम है कि वह अपने कार्यालय में आंकड़ों का संग्रह कराए जिससे विभिन्न लोगों के प्रति सामाजिक न्याय का पता चल सके। यह कार्य भारत सरकार का नहीं है।

मुझे प्रसन्नता है कि उड़ीसा को इस निर्णय से काफी धन मिलने लगा है। यह सदन राष्ट्रपति के किसी कार्य पर आपत्ति तो नहीं कर सकता, परन्तु कारण के जानने का इसे अधिकार है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर वित्त आयोग को क्यों समाप्त किया गया है।

श्री एस० वी० रामास्वामी (सलेम) : मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रस्तुत किया है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि इस रिपोर्ट को पूर्णत: स्वीकार किया जाय।

रिपोर्ट के पृष्ठ ८२ पर उन्होंने उत्पादन शुल्क के लिये केवल तीन मदों के चुनने का वर्णन किया है। मेरा निवेदन है कि ये कारण सन्तोषजनक नहीं हैं। बाद में एकाएक राज्यों तथा केन्द्र के बीच वितरण का अनुपात ४० तथा ६० प्रतिशत पर निश्चित कर दिया गया है। इसका भी जो कारण दिया गया है, वह पूर्ण तथा सन्तोषजनक नहीं है। प्रश्न उठता है कि क्या राज्यों को केवल ४० प्रतिशत भाग का देना न्यायोचित है।

विधेयक के 'उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण' में लिखा है कि इस विधेयक का उद्देश्य वित्त आयोग की उस सिफारिश को लागू करना है कि "संघीय उत्पादन शुल्कों के ४० प्रतिशत भाग को राज्यों में वितरित किया जाय।" इस प्रकार से सदन को इस ४० प्रतिशत बांट कें स्वीकार करने के लिये कहा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि क्या सदन से इस प्रकार की प्रार्थना का करना उचित है? सर्वप्रथम तो स्वयं रिपोर्ट पर बहस की जानी चाहिये ताकि सदन सब पहलुओं की अच्छी प्रकार से छानबीन कर सके। हमें देखना है कि क्या ४० व ६० प्रतिशत का अनुपात ठीक भी है। हमारे पास इस विधेयक पर बहस के लिये पर्याप्त समय है। अतएव मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर बहस को स्थगित किया जाय तथा एक दिन निश्चित करके रिपोर्ट पर बहस की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या अनुच्छेद २८१ का अभिप्राय यह नहीं है कि वित्त आयोग की सभी सिफारिशों को सदन के सामने रखा जाना चाहिये ताकि सदन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर सके?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : उन पर की गई कार्यवाही पर भी विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, कार्यवाही यह की गई है कि सिफारिशों को स्वीकार किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अनुच्छेद २८१ का अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की प्रत्येक सिफारिश को स्पष्टीकारक स्मृतिपत्र तथा तत्सम्बन्धी की गई कार्यवाही के साथ संसद् के प्रत्येक सदन के पटल पर

रखे जाने के प्रबन्ध करेंगे ? क्या इससे सदन को इस बात की छानबीन करने में अधिक सुविधा नहीं मिलती है कि राज्यों का भाग ४० प्रतिशत हो या अधिक ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, हम कह चुके हैं कि हम वित्त आयोग की सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार कर चुके हैं। स्पष्टीकारक स्मृतिपत्र के देने का मतलब यह है कि हम वित्त आयोग की सिफारिशों पर विस्तारपूर्वक विचार करें। इससे हम बहुत लम्बी चर्चा में पड़ जाते हैं अतएव हमने इतना बतलाना ही उचित समझा है कि वे न्यायोचित हैं। हमने वित्त आयोग के तर्क को ठीक समझा है इसी लिए हमने वित्त आयोग की सिफारिशों को भी ठीक समझा है। स्पष्टीकारक स्मृतिपत्र की तो तभी आवश्यकता होती, यदि हमने इन सिफारिशों से कोई विभिन्न कार्यवाही की होती।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा कहना यह था कि क्या सारी सिफारिशों तथा उन पर की गई कार्यवाही को सदन के सामने रखा जाना चाहिये था या नहीं ? इस प्रकार से सारी बातों पर पर्याप्त चर्चा हो सकती थी।

श्री सी० डी० देशमुख : कार्यवाही का पहले से किया जाना आवश्यक है, सदन को सूचना बाद में दी जा सकती है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि इस पर सदन में, जहां प्रत्येक राज्य से आने वाले सदस्यों का अपना अपना दृष्टिकोण है, चर्चा की जाय तो इससे वित्त आयोग की स्थापना का ध्येय ही जाता रहता है। यह विशेष उपबन्ध सरकार के निर्णय के फलस्वरूप ही सदन के सामने रखा गया है क्योंकि इस सम्बन्ध में सदन की पूर्व स्वीकृति की ज़रूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अभिप्राय यह है कि इन सिफारिशों को विचारार्थ सदन के सामने नहीं रखा जायगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तव में प्रश्न यह है कि क्या इस चर्चा से किसी भावी वित्त आयोग की स्थापना की सम्भावना है या कि चर्चा इस आयोग की सिफारिशों पर की जायगी जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लेना उचित समझा है। स्पष्टीकरण की आवश्यकता तभी होती है, जब सरकार के अनुसार कोई गम्भीर वित्तीय कारण हों।

मेरा कहना है कि आवंटन के मामलों पर चर्चा करने का सदन को विशेषाधिकार है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : संविधान की दृष्टि से बोलते हुए, सदन को अपने मत के व्यक्त करने का अधिकार है तथा उस मत को सरकार द्वारा कार्यान्वित करना अनिवार्य है। न ही मुझे इस बात का कोई औचित्य दिखाई देता कि जब तक इस विधेयक को पास नहीं किया जाता, आयोग की सिफारिशें देश पर लागू नहीं हो सकतीं। अतएव इस बात में सन्देह है कि क्या सदन को इस प्रकार के विधेयक के पारित करने की सत्ता भी प्राप्त है या नहीं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : संविधान के अनुच्छेद २८० के अनुसार राष्ट्रपति को वित्त आयोग की सिफारिशों तथा तत्सम्बन्धी स्पष्टीकारक स्मृतिपत्र को सदन पटल पर रखे जाने के प्रबन्ध करने होते हैं। ठीक है कि सदन सम्पूर्ण रूप से सत्ताशाली है, तो भी मेरा कहना है कि सामान्यतः प्रथा यह है कि राज्यों के मामलों में सदन को हस्तक्षेप का अधिकार होने के कारण सदन को ऐसा अधिकार है कि राज्यों को ४० के स्थान पर ३८ देने का ही निर्णय करे। मैं समझता हूं कि सदन अपना मत व्यक्त कर सकता है जिस पर भावी वित्त आयोग विचार कर

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

सकता है। सदन को इस विधेयक पर चर्चा का अधिकार है क्योंकि एक अधिनियम द्वारा सभी को राजस्व में से भाग दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : राज्यों की सहायता के सारे प्रश्न की जांच के लिये संविधान के अनुच्छेद २८१ में वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है। आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। ऐसा कहने से कोई लाभ नहीं कि सरकार की सिफारिशों सहित आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जाय। सदन कह सकता है कि ४० प्रतिशत नहीं, ३० प्रतिशत, या ६० प्रतिशत नहीं, ७० प्रतिशत भाग दिया जाय।

श्री सी० डी० देशमुख : आयोग ने भी अध्याय ५ के पैरा २ में अनुच्छेद २७२ का उल्लेख किया है। यह धन विधेयक है, ४० प्रतिशत ४० प्रतिशत ही रहेगा, इसे ६० प्रतिशत नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदन ६० प्रतिशत से घटा कर ४० प्रतिशत कर दे तो ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह धन केन्द्र का है, राज्यों का नहीं। आप उन्हें आयोग की सिफारिशों से अधिक नहीं दे सकते। यह धन का विनियोग है।

श्री बी० दास : अनुच्छेद २८१ के अनुसार सदन को हर बात पर चर्चा करने का अधिकार है।

श्री सी० डी० देशमुख : यद्यपि इस से दूसरे कार्यक्रम में रुकावट पड़ेगी तो भी मैं सदन की इच्छा को--यद्यपि सदन में उपस्थिति इस समय बहुत थोड़ी है, सदन नेता तक पहुंचा दूंगा।

श्री सी० डी० पांडे : श्रीमान्, राज्यों तथा केन्द्र ने अपने अपने आयव्ययक वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार तैयार किए हैं। अतएव नए सिरे से चर्चा का करना निरर्थक है।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इस प्रश्न के विस्तार में तो नहीं जाना चाहता, फिर भी यदि सदन को रिपोर्ट पर चर्चा करने की इच्छा है, तो मैं इस इच्छा को सदन नेता तक पहुंचा दूंगा।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं माननीय मंत्री को इस विधेयक के प्रस्तुत करने पर बधाई देकर यह कहना चाहता हूं कि राज्यों को विकासादि के लिए अधिक धन दे कर केन्द्र में धन की कमी हो जायगी। आयोग ने राज्यों तथा केन्द्र के भाग को ४० तथा ६० प्रतिशत पर निश्चित किया है। प्रश्न उठाया गया है कि क्या वित्त आयोग की इस सिफारिश में जिसे राष्ट्रपति स्वीकार कर चुके हैं, सदन किसी परिवर्त्तन का सुझाव दे सकता है ? मेरा विनम्र निवेदन है कि अनुच्छेद २७२ में संसद् द्वारा उस सम्बन्ध में विधि के पारित किये जाने की व्यवस्था की गई है, केवल मंजूरी के देने की ही व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है कि संसद् को इस पर चर्चा करने, विस्तारपूर्वक विचार करने तथा अपने मत को व्यक्त करने का अधिकार है। अतएव मेरा निवेदन है कि हम इस पर चर्चा कर सकते हैं तथा अपने वितरण के ढंग का सुझाव दे सकते हैं।

जैसा कि मैं कह चुका हूं, राज्यों को अधिक देने से केन्द्र में हमारे पास धन की कमी रह जायगी तथा तथा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हमें नये कर लगाने पड़ेंगे। वित्त आयोग के विचार तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद हमें इतने पर ही सन्तुष्ट होना पड़ेगा। राज्यों को अब पहले से २१ करोड़ रु० अधिक मिलेंगे। मेरा निवेदन है कि कुछेक राज्यों को पहले

से बहुत कम मिलेगा। मैं बम्बई का मामला सदन के सामने रखना चाहता हूं। राज्यों को २१ करोड़ अधिक मिलने पर भी बम्बई को ८५ लाख रु० कम मिलेंगे। उत्पादन कर की तीन मदें हैं, दियासलाई, तम्बाकू, तथा तीसरा उत्पादन शुल्क बनस्पति उत्पादन है। दियासलाई के 'विम्को' कारखाने में बहुत से मज़दूर हैं जिनकी भलाई के कार्यों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। बनस्पति उत्पादन के केन्द्रों में निर्वाह परिव्यय बढ़ चुका है। उन पर पड़ रहे बोझ पर विचार नहीं किया गया है।

जहां तक तम्बाकू का सम्बन्ध है, इसके ले जाने के लिये परमिट की आवश्यकता है जिसके लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है तथा किसानों को कठिनाई का सामना होता है। गोदामों तक इस के ले जाने में भी काफी कठिनाई को सहन करना पड़ता है। इसकी खेती करने तथा बेचने में भी बड़े ध्यान की आवश्यकता है। अतः मेरा निवेदन है कि जिन राज्यों में इसकी खेती होती है, उन्हें उत्पादन शुल्क में से कुछ अधिक भाग मिलना चाहिये। इसी प्रकार दूसरे राज्यों में किसी दूसरी वस्तु के उगाने के लिये बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती है तथा जनता देश की समृद्धि में उचित भाग देने के लिये बहुत परिश्रम करती है। वित्त आयोग को इस बात पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसी प्रकार से वनस्पति के व्यापार में लगे हुए लोगों के लिये चिकित्सा आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरा निवेदन है कि जिन राज्यों में दियासलाई, तम्बाकू तथा वनस्पति उद्योग चलाए जा रहे हैं, उनके प्रति न्याय नहीं किया गया है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आगामी अवसर पर मामले के इस विशेष पहलू पर ध्यान दिया जाय तथा इन प्रान्तों के प्रति न्याय किया जाय।

श्री सरमा (गोलाघाट-जोरहाट) : प्रश्न उठाया गया है कि क्या इस सदन को वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने का अधिकार है या नहीं। मेरा विश्वास है कि कोई व्यक्ति इस संसद् के सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न होने में सन्देह नहीं कर सकता है तथा यह नहीं कह सकता कि इस वित्तीय मामलों पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार के किसी निर्वाचन का कि इस संसद् को वित्तीय मामलों में जाने का अधिकार नहीं है, अर्थ यह होगा कि संसद् सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न नहीं है। ऐसी कोई धारणा लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की धारणा के विरुद्ध है। यदि वित्त आयोग की सिफारिशों के पीछे यह सिद्धान्त है कि जहां केन्द्र को शक्तिशाली किया जाय, वहां राज्यों को धन देकर उन्हें जीवनस्तर को ऊंचा करने में सहायता दी जाय, तो मैं कहना चाहता हूं कि इन सिफारिशों में कमी रह गई है। मुझे खेद है कि आसाम के प्रति न्याय नहीं किया गया है। आसाम को पहले आय-कर का ३ प्रतिशत भाग मिला करता था, अब उस भाग को घटा कर २·२५ प्रतिशत कर दिया गया है। केन्द्र को आसाम से चाय पर सात करोड़ रु० उत्पादन शुल्क के रूप में मिलते हैं। पैट्रोल पर भी २ करोड़ रु० का उत्पादन शुल्क मिलता है। परन्तु विभाज्य राशि में से आसाम का भाग केवल २·६ प्रतिशत कर दिया गया है तथा यह राशि कुल मिला कर १ करोड़ ७० लाख रु० ही बनती है।

आसाम में स्वतन्त्रता से पहले पुलिस तथा चाय बाग़ात के मालिकों का राज था। १९४७ से पहले वहां कोई विश्वविद्यालय भी नहीं था। १९४७ तक प्रत्येक विचार से आसाम की उपेक्षा की जाती रही है। श्रीमान्, प्राचीन इतिहास का वर्तमान इतिहास से सम्बन्ध है। आसाम के पिछड़े रहने के कारण

[श्री सरमा]

ऐतिहासिक हैं। अभी तक तेजपुर वालीपार विभाग पर छपे हुए रेलवे टिकट नहीं मिल रहे हैं। आज १९५३ में भी वहां इस प्रकार की दशा है।

आसाम में आरम्भ किए हुए विकास कार्यों तथा उपलब्ध रास्व में ८ करोड़ रु० का अन्तर है। उसके पूरा करने के लिये आसाम को केवल ३·४५ करोड़ रु० दिए गए हैं आसाम में राजस्व को बढ़ाने के कोई साधन नहीं हैं, वहां पर कोई व्यापार नहीं है। चाय के व्यापार के ७८ प्रतिशत भाग पर यूरोपियनों का कब्ज़ा है। पैट्रोल पर आसाम आयल कम्पनी का कब्ज़ा है जो भारतीय तथा गैर भारतीय में विभेद करती है। आसाम को उसके न्यायोचित भाग से वंचित करने के लिये 'गल्फ पैरिटी' सूत्र आरम्भ किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कुछ बहुत रुचिजनक है, फिर भी चर्चा से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री सरमा : श्रीमान्, मेरा निवेदन यह है कि आसाम को चाय तथा पैट्रोल के उत्पादन शुल्क में से भी कुछ भाग दिया जाय। बजाय अधिक राजस्व के प्राप्त करने के, हमारे राजस्व में कमी की जा रही है।

जन-संख्या को आवण्टन का आधार बनाया गया है। इस पर सदन में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आसाम में दूर दूर तक पहाड़ियां हैं तथा जनसंख्या का ठीक ठीक निर्धारण करना कठिन है। संचरण के कुछ साधन नहीं हैं। ये पहाड़ियां अन-उपजाऊ हैं। इनमें और लोगों का बसाना कठिन है। ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आने से दूर दूर तक पानी फैल जाता है आसाम सरकार को इन इलाकों में बसने वालों को प्रायः सहायता देनी पड़ती है।

इन सब बातों को सोचते हुए मेरा निवेदन है कि आसाम के प्रति न्याय नहीं किया गया है। भारत सरकार को तो चाय पर कर से ७ करोड़ रुपया मिल जाता है, परन्तु मज़दूरों को बेकारी से परेशानी हो जाती है। इन सब को खिलाने का भार उपायुक्त पर पड़ता है क्योंकि अन्यथा शान्ति तथा व्यवस्था के भंग होने की आशंका बनी रहती है।

उस राज्य को अनेक कठिनाइयों का सामना है तथा यदि उसे केन्द्र से पर्याप्त धन न मिला तो परिस्थिति गम्भीर हो जायगी। आसाम एक कमज़ोर कड़ी होते हुए भी महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि इसमें बल पड़ गया तो सारे भारत को बहुत कठिनाई का सामना हो जायगा। मन्त्री लोग जाते हैं, परन्तु शिलांग तक—वे वास्तविक आसाम को नहीं देख पाते।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इससे केन्द्र तथा राज्य दोनों के वित्तीय सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है। मुझे समझ नहीं आता कि इसके प्रस्तुत करने में अनुचित शीघ्रता से क्यों काम लिया गया है तथा इस पर विस्तारपूर्वक विचार करने के लिये पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया गया।

माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि इसमें पर्याप्त बांट नहीं की गई है। इस बारे में सदन का एकमत जान पड़ता है कि राज्यों का भाग अधिक होना चाहिये तथा केन्द्र का कम। सरकार का यह विचार कि वह आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर चुकी है तथा इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, उचित मालूम नहीं होता है। वित्त मंत्री की स्थिति तर्कसंगत नहीं है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि राज्यों को जो भाग दिया गया

है, वह न्यायोचित नहीं है। हमने सर्व कल्याण-कारी राज्य की स्थापना का बीड़ा उठा रखा है, परन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त हम राज्यों को अधिक धन के देने में कतराते हैं। राज्यों को पूर्णतः अशक्त बना दिया गया है। जनता को अपने विकास कार्य में सहायता नहीं दी गई है। बांट की वर्तमान दर को स्वेच्छा से निश्चित कर दिया गया है तथा केवल जनसंख्या को ही आधार माना गया है। चाहिये था कि इस विधेयक में दिया-सलाई, तम्बाकू तथा वनस्पति के इलावा दूसरी वस्तुओं को भी शामिल किया जाता तथा राज्यों को बांट में अधिक धन दिया जाता। इस बांट से राज्यों की मांग पूरी नहीं होती है।

(ख) भाग के राज्यों के केन्द्र के साथ वित्तीय एकीकरण के समय राज्यों तथा केन्द्र के बीच बहुत से समझौते हुए थे। मैं मैसूर तथा केन्द्र के बीच इसी प्रकार के एक समझौते की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसकी शर्तें निश्चय ही राज्यों के पक्ष में कम तथा केन्द्र के पक्ष में अधिक थीं। वास्तव में कहा गया था कि श्री के० सी० रेड्डी ने केन्द्र के सामने हथियार डाल दिए हैं। मुझे आशंका है कि इस विधेयक के पारित होने से भाग (ख) राज्यों को और सहायता नहीं मिल सकेगी। अतः मेरा निवेदन है कि राज्यों की बांट के भाग को बढ़ा दिया जाना चाहिये अर्थात् ४० प्रतिशत से ६० प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये। यह कोई अनुचित मांग नहीं है क्योंकि भारत सरकार को दियासलाई, वनस्पति तथा तम्बाकू से अति-रिक्त दूसरी वस्तुओं पर भी पूरा उत्पादन कर मिलता है।

एक माननीय सदस्य : श्रीमान्, वित्त मंत्री ने कहा है कि वह इसके लिये कुछ समय देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए नहीं।

श्री सी० डी० देशमुख : मैंने यह कहा था कि वित्त आयोग की रिपोर्ट पर--तथा इस विधेयक पर नहीं--बहस सम्बन्धी कुछ सदस्यों की इच्छा पर विचार किया जायगा। प्रत्येक विषय में आय-व्ययक प्रस्थापनाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। मेरे विचार से वित्त आयोग ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है--चाहे सिवाय एक दो विख्यात व्यक्तियों के सब ही इससे रुष्ट क्यों न हों। मेरे लिए तो उनकी सिफारिशें एक निर्णय हैं जिससे बढ़िया निर्णय वर्त्तमान परिस्थिति में नहीं दिया जा सकता था। कठिनाइयां तो सभी को हैं, परन्तु केन्द्र की कठिनाइयां किसी एक राज्य से कहीं जटिल हैं। हमारे सामने पंच वर्षीय योजना है जिससे हमारी आर्थिक अवस्था के सुधरने की बहुत सी आशाएं बंधी हुई हैं। हमें अपना ध्यान उस योजना पर भी रखना चाहिये। इस दृष्टिकोण से इस निर्णय को अनुचित नहीं कहा जा सकता। चाहे हमारी आकांक्षा कुछ भी हो।

आसाम के प्रतिनिधि ने आय कर को ३ प्रतिशत से घटा कर २'२५ कर दिये जाने की शिकायत की है। कई दूसरे मामलों में भी ऐसे ही हुआ है। कारण यह है कि कुल एकत्रित राशि को बढ़ा दिया गया है तथा आय-कर के भागियों की संख्या बढ़ गई है। अब भाग (ख) राज्य भी इसमें शामिल हैं। कुछ भी हो इस निर्णय पर समूचे रूप से ही विचार किया जा सकता है।

अन्तिम वक्ता ने कहा है कि इस विधेयक के पारित करने से हम राज्यों को दी जा रही वित्तीय सहायता से सर्वथा इन्कार कर देंगे। परन्तु मेरे मतानुसार विधेयक के पारित न करने का अर्थ यह होगा कि राज्यों को वित्तीय सहायता से सर्वथा इन्कार कर दिया जाय। यह सहायता राज्यों को प्रत्येक वर्ष दिये जा

[श्री सी० डी० देशमुख]

रहे सहायता अनुदानों तथा ऋणों से अधिक पद्धतिबद्ध है। सदन इन राशियों को घटा तो सकता है परन्तु बढ़ाने का उसे अधिकार नहीं। आयव्ययक के बनाने में भी यही सिद्धान्त काम करता है। अन्तर केवल सीमा तथा नियमतता का है। अतएव मेरा विचार है कि सदन इस बात को अनुभव करे तथा वित्त आयोग के निर्णय को बिना शिकायत स्वीकार करे। परिस्थिति काफ़ी कठिन है। ४० प्रतिशत भाग भी केन्द्र की उदारता का प्रतीक है। हो सकता था कि हम सदन से ३० प्रतिशत की सिफारिश करते। इस बार मैं झुकना नहीं चाहता तथा सरकार को ऐसा कोई परामर्श देने का मेरा विचार नहीं है कि वर्त्तमान विधेयक में कोई विचार नहीं है। मेरे सामने उन कठिनाइयों का भी विचार है जिनका सामना पंचवर्षीय योजना के पूरा करने में केन्द्र को करना होगा। हो सकता है यहां तहां कुछ अन्याय हो, परन्तु कुछ प्रकार के अन्याय का कोई इलाज नहीं है। हमें जो कुछ मिलता है, उसका सर्वोत्तम लाभ उठाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को इसी भावना से मंजूर किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि

"विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

१ से ५ तक के खण्ड, नाम तथा अधिनियम सूत्र को विधेयक का अंग बना लिया गया।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"विधेयक को पारित कर दिया जाय।"

श्री एस० वी० वीरस्वामी : संविधान के अनुच्छेद २८१ में कहा गया है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को एक स्पष्टीकारक स्मृतिपत्र के साथ प्रत्येक सदन पटल पर रखने के प्रबन्ध करेंगे। इससे स्पष्ट है कि वे सिफारिशें सदन पर बाध्य नहीं हैं। न हो इस विधेयक के पारित करने के बाद उन पर चर्चा करने से कोई लाभ है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक सिफारिशों के बाध्य होने का सम्बन्ध है, किसी ने ऐसा दावा नहीं किया है। चर्चा के बारे में, वह काफी हो चुकी है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने माननीय वित्त मंत्री की युक्तियों को सुना है तथा मैं उनसे सहमत हूं। फिर भी मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद २८१ के उपबन्धों को ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया है। विधेयक को तो सदन में प्रस्तुत किया गया है परन्तु वित्त आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही तथा स्पष्टीकारक स्मृतिपत्र को सदन में प्रस्तुत करने की शर्त पूरी नहीं की गई है।

वित्त आयोग की रिपोर्ट पर केवल अनुच्छेद २८१ के अनुसार ही विचार किया जा सकता है। मेरा नम्र निवेदन है कि इसे विधि का मामला नहीं समझा जा सकता।

इस सम्बन्ध में मेरा ध्यान अनुच्छेद २७२ की ओर दिलाया गया है। मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद २७२ के उपबन्धों को उसी परिस्थिति में लागू किया जा सकता है जब किसी वित्त आयोग की स्थापना न की गई हो। परन्तु एक बार वित्त आयोग के स्थापित हो जाने से उसकी सिफारिशों को सदन के सामने रखना पड़ता है तथा सदन उनके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर सकता है तथा सदन का मत सरकार को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़ता है। मेरा संदेह

अभी तक बना है कि क्या हम इस प्रकार के विधेयक को पारित भी कर सकते हैं।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : आय-कर तथा वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में कुछ भ्रम दिखाई देता है अनुच्छेद २७० के अनुसार कृषि से अतिरिक्त दूसरी प्रकार की आय पर लगे कर करों को निश्चित किये गए तरीकों से बांटा जायगा तथा अनुच्छेद २७० (४) (ख) (२) के अनुसार 'निश्चित' शब्द की परिभाषा इस प्रकार से है।

> "वित्त आयोग के गठित हो जाने के पश्चात् वित्त-आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित।"

अतएव आय कर के सम्बन्ध में राष्ट्रपति का आदेश अन्तिम होगा तथा स्मृतिपत्र के सदन-पटल पर रखने का अर्थ केवल यही होगा कि की गई कार्यवाही के बारे में सदन को सूचित किया जाय।

जहां तक उत्पादन शुल्कों का सम्बन्ध है, राष्ट्रपति या सरकार पर इन सिफारिशों का मानना बाध्य नहीं है। उत्पादन शुल्कों के केन्द्र तथा राज्यों में परस्पर बांट के प्रश्न को संसद् के सामने रखना ही पड़ेगा तथा मेरा निवेदन है कि विधेयक में यही किया गया है।

संसद् को इस बारे में समस्त अधिकार प्राप्त हैं। वह चाहे तो वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर दे, चाहे तो अस्वीकार। राष्ट्रपति द्वारा इन सिफारिशों पर की गई कार्यवाही या स्मृतिपत्र के पटल पर रखने से इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं है। राष्ट्रपति इस कार्यवाही तथा स्मृति-पत्र को केवल तभी सदन पटल पर रख सकेंगे। जब यह विधेयक पारित हो जायगा। इस लिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक से न तो संसद् के सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न होने में कोई अन्तर आता है तथा न ही संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन होता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने बिल्कुल ठीक तरीके से कार्य किया है तथा संविधान के अनुसार से कार्य किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : तर्क कुछ भी हो, परिमानों को स्वीकार कर लिया गया है। माननीय मंत्री।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, मुझे और कुछ नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि

> "विधेयक को पारित कर दिया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन का कार्यक्रम

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : कार्यक्रम सूची में अगला जो विधेयक है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य-परिषद् की बैठक ६ मार्च को स्थगित हो रही है तथा इसके उपबन्धों की अवधि २८ मार्च तक है। मैं चाहता हूं कि राज्य परिषद् की बैठक के स्थगित होने से पहले आप एक दिन इस विधेयक पर विचारार्थ निश्चित कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हम किसी प्रकार एक घंटे का समय निकाल सकें तो दूसरे दिनों में हम आधा घंटा रोज़ इस पर लगा सकेंगे।

इसके पश्चात् सदन कि बैठक बुधवार ४ मार्च, १९५३ को दिन के दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई।